बजट प्राविधान एवं भारतीय समाज पर इसका आर्थिक प्रभाव

विशेष सन्दर्भ- 2000–2005

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की पी० एच० डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध- 2007
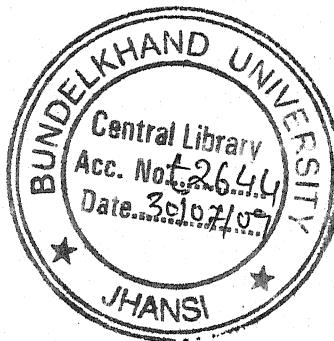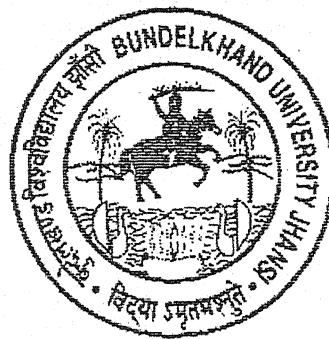
V.S. Chauhan

शोध निदेशक :-
डॉ० विजय सिंह चौहान
रीडर, अर्थशास्त्र विभाग,
पं० जवाहर लाल नेहरू परास्नातक
महाविद्यालय, बाँदा, उ० प्र, २१० ००१

प्रतिमा गुप्ता

-: शोधार्थिनी :-
श्रीमती प्रतिमा गुप्ता

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

V. S. Chauhan
M.Sc., M.A., Ph.D.
Reader,
Department of Economics
Pt. J.N.P.G. College, Banda
Uttar Pradesh, 210 001

Residence:
Kalu Kuwan
Baberu Road,
Banda, 210 001
Tel- 05192-225119
Mob.- 09415143688

CERTIFICATE

IT GIVES ME PLEASURE TO CERTIFY THAT SMT. PRATIMA GUPTA HAS COMPLETED HER Ph.D. THESIS ENTITLED- बजट प्राविधान एवं भारतीय समाज पर इसका आर्थिक प्रभाव (विशेष सन्दर्भ– 2000–2005) UNDER MY SUPESRVISION. SHE REMAINED PRESENT 200 DAYS IN PERFORMING THE VARIOUS ACTIVITIES WHICH ARE NECESSARY IN GIVING THE SHAPE OF COMPLETE Ph.D. WORK. HER WORK IS ORIGIONAL AND UNPUBLISHED.

I, THEREFORE RECOMMEND HER WORK FOR EVALUATION FOR THE AWARD OF Ph.D. DEGREE.

I, WISH HER SUCCESS IN LIFE.

DATED:- 18.5.07

V.S. Chauhan

(DR. V.S. CHAUHAN)

-: आभार :-

मानव जीवन को प्रथक्कृत बनाने में आचार्य की भूमिका वरेण्य एवं सर्वविदित है। वह न केवल अन्त समय आलोक पैदा करता है, बल्कि संस्कार युक्त संरचना में उसका योगदान अगण्य होता है। आचार्य की कसौटी वेतन नहीं हो सकती है क्योंकि उसका कार्य मानव के उस अतिरिक्त संसार से है, जिसमें मूल्यों की रचना करनी पड़ती है। साथ ही व्यक्ति का समाज के अनुकूल व्यक्तित्व का भी गठन होता है। देश का अतीत ही नहीं, वर्तमान भी इस बात का साक्षी है कि बिना शिक्षित समाज के देश की उन्नति एवं जनकल्याण सम्भव नहीं है और आचार्य शिक्षा प्रक्रिया का आवश्यक एवं प्रभावशाली अंग होता है।

"Plants are developed by cultivation man by education."

प्राचीन भारत में गुरु देव रुप में प्रतिष्ठित थे। धार्मिक गुरु तो ब्रम्ह रुप में प्रतिष्ठित थे।

गुरुः ब्रहमा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वराः।
गुरुः साक्षात पर ब्रहम, तस्मै श्री गुरुवे नमः।।

आज भी चाहे मनुष्य की विचारधारा में कितना भी परिवर्तन हो गया हो, लेकिन गुरु का अपना महत्व है। आज वह देव रुप में तो प्रतिष्ठित नहीं है, परन्तु शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग अवश्य है। आज उसे मित्र, पथ प्रदर्शक, मार्ग निर्देशक और विषय विशेषज्ञ के रुप में स्वीकार किया जा सकता है। मानव

मार्ग निर्देशक और विषय विशेषज्ञ के रुप में स्वीकार किया जा सकता है। मानव समाज का विकास शिक्षा पर ही निर्भर करता है।

जिस बच्चे का पालन अशिक्षित माँ के द्वारा तथा अन्धेरी कोठरी में हुआ हो वह बालक न तो अच्छा श्रमिक बन सकता है और न ही "सम्मानित नागरिक"।

शिक्षा मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य का सामाजिक विकास रुक जाता है और मानव अपने आपको उन्नति के पथ की ओर अग्रसारित नहीं कर पाता है।

प्रस्तुत शोध कार्य **"बजट प्राविधान एवं भारतीय समाज पर इसका आर्थिक प्रभाव"** (विशेष सन्दर्भ 2000–05) विषय पर आधारित है।

'बजट' किसी भी अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। उसमें उस देश की आर्थिक नीति की झलक दिखाई देती है। 'बजट' को अर्थव्यवस्था का दर्पण कैसे कहा जा सकता है तथा उसमे देश की आर्थिक नीति की झलक कैसे दिखाई देती है यह क्यों कैसे महत्वपूर्ण है तथा यह जनमानस के किस पक्ष को सबसे अधिक प्रभावित करता है।

प्रस्तुत शोध में इन्हीं तथ्यों का तथा विषय से सम्बन्धित अन्य तथ्यों का विस्तृत अध्ययन है यह एक अर्थशास्त्री पहलू है, एवं अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत शोध विषय पर लेख प्रस्तुत करते हुये मैं अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रही हूँ क्योंकि मेरे द्वारा किया गया अथक प्रयास इस शोध अभिकल्प के माध्यम से पूर्ण हुआ है। इस शोध प्रबन्ध में बजट जनमानस को किस प्रकार और कितना प्रभावित करता है पर विषद चर्चा की गयी है।

नेहरु परास्नातक महाविद्यालय, बाँदा के प्रबन्ध तन्त्र की भी कृतज्ञ हूँ कि मुझे उक्त महाविद्यालय को अपना शोध केन्द्र चयन करने का अवसर प्रदान किया।

यह शोध प्रबन्ध उक्त महाविद्यालय के **अर्थशास्त्र विभाग के रीडर डॉ0 विजय सिंह चौहान** के पर्यवेक्षक के रुप में सतत् मार्ग दर्शन व उत्साह वर्द्धन के कारण ही पूर्ण हो सका है। इस शोध प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण व लेखन डॉ0 सिंह के विद्वतापूर्ण बहुमूल्य, सारगर्भित एवं उच्चकोटि के परामर्श के फलस्वरुप ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

मैं पं0 जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य **श्री नन्दलाल शुक्ला जी** की हृदय से आभारी हूँ जिन्होनें मुझे इस कार्य को करने की अनुमति प्रदान की।

मैं पं0 जवाहर लाल नेहरु के **प्रो0 श्री शिवशरण दादू गुप्ता** की हृदय से बहुत ही आभारी हूं क्योंकि उन्होने मुझे शोध कार्य करने के लिये प्रेरित किया और इस पथ में अग्रसारित होने के लिये मेरा भरपूर सहयोग किया और उत्साहवर्धन किया।

मैं **कुंवर रनजीत सिंह चौहान** जो दिल्ली में सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं की भी हृदय से आभारी हूँ क्योंकि उन्होने इस शोध कार्य में मेरा बहुत सहयोग किया।

मैं **प्रो0 जे0 एल0 गुप्ता (ग्वालियर)** की भी हृदय से आभारी हूँ क्योंकि उन्होने इस शोध कार्य में मुझे समय-2 पर सहयोग प्रदान किया एवं मेरा उत्साह वर्धन किया।

अन्ततः मैं अपनी **परम पूज्य माता जी एवं पिता जी** और मेरे बड़े भईया जी एवं पति महोदय को ह्रदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ जिन्होने मुझे समय–समय पर अपना सहयोग प्रदान किया और जो मेरी उच्च शिक्षा के आधार हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं अपने आपको इस शोध कार्य करने योग्य बना सकीं।

अन्त में अपने मैं श्री राकेश शुक्ला जी एवं गौरव त्रिपाठी का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से मैं अपने कार्य का सुचारु ढंग से पूर्ण कर सकी।

स्थानः– बाँदा

दिनाँकः– 18/05/07

प्रतिमा गुप्ता

शोधार्थिनी

श्रीमती प्रतिमा गुप्ता

*****

* अध्याय क्रम *

*****

* चित्र तालिका *

* सारणी तालिका *

प्रथम अध्याय

: सामान्य विवरण :

A– पृष्ठभूमि– सामान्य परिदृश्य

B– समस्या का परिचय

C– अध्ययन की उपादेयता

D– अध्ययन सम्बन्धी व्रत निवेदन

I– अतिरिक्त संसाधनों का सृजन

II– आर्थिक सुधार परिचय

E– अध्ययन की अवधारणा

बजट प्राविधान एवं भारतीय समाज पर इसका आर्थिक प्रभाव

(विशेष सन्दर्भ– 2000–2005)

–: प्रथम अध्याय-सामान्य विवरण :–

A- पृष्ठभूमि– सामान्य परिचय– बजट– सरकार के कामकाज, आकांक्षा योजना और कार्यान्वयन को आइना दिखाने वाला "बजट" दरअसल होता क्या है ? यह एक तरह की वित्तीय कवायद है जिसे सरकार (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार) के वित्तमंत्री साल दर साल दोहराते हैं। प्रत्येक बार कई तरह की नई बातें, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के दुनिया भर के सुधार एजेण्डे की शक्ल देने की भरपूर कोशिश की जाती है। हर वित्तमंत्री का अपना अन्दाज होता है। वह साल भर तक देशवासियों को प्रलोभनों के मायजाल में फंसाये रखने की शैली अपनाता है और अपने द्वारा पेश् किये हुये बजट को सामाजिक विकास की कसौटियों पर पूर्णतः खरा उतारने की कोशिश में प्रयत्नशील रहता है।

अतः सार रुप में कहा जाय तो वित्त प्रशासकीय तन्त्र का ईंधन है। प्रशासन के प्रत्येक कार्य हेतु वित्त अपेक्षित है। अतः लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। बजट इस वित्तीय प्रशासन का व्यवहारिक रुप है। जिसको किसी भी अर्थव्यवस्था का दर्पण कहा जा सकता है। बजट क्या होता है ? यह कैसे बनाया जाता है ? तथा यह किसी सरकार की राजस्व नीति निर्धारण में क्यों आवश्यक है तथा यह भारतीय समाज को किस प्रकार और कितना आर्थिक रुप से प्रभावित करता है। प्रस्तुत शोध इसी दिशा में एक अथक प्रयास है।

बजट किसी देश की सरकार के वार्षिक आय–व्यय का एक विवरण होता है।

फिलिप इ. टेलर के अनुसार ''बजट सरकार की महान वित्तीय योजना है। इसमें बजट अवधि, सामान्यतः एक वर्ष, के लिये प्रत्याशित आय तथा व्यय का अनुमान रहता है।

बजट पद्धति का प्रारम्भ सन् 1804 से माना जाता है। अंग्रेजी शब्द 'बजट' की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द 'बूजट' से हुई है जिसका अर्थ चमड़े का बैग या थैला होता है। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैण्ड में 1733 में किया गया जबकि ब्रिटिश वित्तमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये एक चमड़े के थैले में से निकाला, उस समय व्यंग रुप में कहा गया, कि वित्तमंत्री ने अपना 'बजट खोला' है। तभी से सरकार के वार्षिक आय–व्यय के वित्तीय विवरण के लिये इस शब्द का प्रचलन हो गया।

भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। सन् 1859 में वायसराय की कार्यकारणी परिषद में पहली बार एक विशेषज्ञ सदस्य जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रुप में सम्मिलित किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 18 फरवरी 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया। ब्रिटिश परम्परा का पालन करते हुये जेम्स ने अपने भाषण में भारत की वित्तीय स्थिति का सारगर्भित, विश्लेषण एवं सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विलसन को ही माना जाता है। अकवर्थ समिति के सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को आम बजट से सन् 1924 में अलग कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य अपना–अपना बजट अलग से तैयार करते हैं।

भारतीय संविधान में 'बजट' शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये

अनुमानित आय एवं व्ययों का विवरण प्रस्तुत करवाता है। इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को 'बजट' कहा जाता है। इसमें कुल 109 मांगें होती हैं। जिनमें 103 सामान्य और 6 रक्षा से सम्बन्धित मांग होती हैं। ये सभी मांगों को अनुदान मांगों के रुप में सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। संविधिक रुप से यह आवश्यक है कि वित्त विधेयक प्रस्तुत किये जाने के तारीख से 75 दिन के अन्दर पारित हो जाये। भारत के बजटीय इतिहास में 22 अप्रैल 1999 को हमेशा याद किया जायेगा। इस दिन लोकसभा ने केन्द्रीय आम 'बजट' 1999–2000 को मात्र 15 मिनट तथा रेलवे बजट 1999–2000 को 3 मिनट में पारित कर दिया। इसका मुख्य कारण था 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत के प्रस्ताव पर मतदान में पराजित हो जाने के बाद भाजपा गठबन्धन सरकार द्वारा त्यागपत्र देना। चूंकि बजट पेश करने की तारीख से 75 दिन के अन्दर इसे पास करना अनिवार्य था, अन्यथा सभी कर प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाते। राजनैतिक अस्थिरता के मद्देनजर सभी राजनैतिक दलों ने वित्तीय अस्थिरता पैदा न हो इसलिये केन्द्रीय आम बजट 1999–2000 बिना किसी बहस के पास करा दिया। बजट एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। यह एक तुलनात्मक तालिका है जिसमें उगाही जाने वाली आमदनियों तथा किये जाने वाले खर्चों की धनराशियों की दी हुई होती है। इसके भी अतिरिक्त, यह आय का संग्रह करने तथा खर्चे करने के लिये उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा दिया गया एक आदेश तथा अधिकार है।

B- समस्या का परिचय– किसी देश के बजट में उस देश की आर्थिक नीति की झलक दिखाई देती है, देश की बजट नीति से देश में वस्तुएं और सेवाओं की मांग प्रभावित होती है।

बजटों पर देश का रोजगार व आय स्तर यहां तक कि उपभोग स्तर भी निर्भर करता है।

बजट में थोड़ा परिवर्तन बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की बजट नीति का प्रतिबिम्ब होती है। बजट का मौसम आमतौर में उपभोक्ताओं के लिये घबराहट और चिन्ता का विषय होता है। बजट के पूर्व दुकानों लगे "Buy before the Budget or lose" के बैनर या तो उपभोक्ताओं को घबराहट मे खरीददारी करने के लिये (Panic Buying) करने के लिये विवश कर देते हैं या फिर उन्हें अनिश्चित भविष्य के प्रति आशंकित कर देते हैं। अतः प्रत्येक वर्ष का बजट हमारे सामान्य जीवन में क्या परिवर्तन लायेगा।

लगभग प्रत्येक वर्ष का बजट होली के पहले फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक वित्तमंत्री बजट को लोकसभा में सभी के समक्ष एक गुलाबी भविष्य की परिकल्पना के साथ ही प्रस्तुत करते हैं। गुलाबी बजट और उसके तुरन्त बाद होली लेकिन जब उपभोक्ता इन रंगों की खुमारी से निकलकर देखता है कि क्रांतिकारी, साहसिक, जादुई मील का पत्थर भारतीय अर्थतन्त्र का द्वारा खोलने वाले गुलाबी बजट किस हद तक गुलाबी है ? क्या हमारी आर्थिक तंगहाली का अंत सचमुच निकट आ गया है या होली के अतिशय उत्साह में कही हम बजटों के खतरनाक पक्ष (लाल पक्ष) को नजरंदाज तो नहीं कर देते हैं। क्या बजट के फायदे समाज के हर वर्ग को मिलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूढ़ने से पूर्व हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि केवल वर्ष भर का आर्थिक लेखा–जोखा प्रस्तुत करने वाला बजट पिछले 12–14 वर्षों से इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि इसे Trend Setter की संज्ञा दी जाने लगी। इस महत्व को समझने के लिये हमें आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि में जाना होगा। एक ओर कठोर आर्थिक

सुधार दूसरी ओर उपभोक्ताओं पर भार एक ऐसे वातावरण को जन्म दे रहे है जिसमें पारस्परिक समायोजन की महती आवश्यकता है। इस दूरी के दुष्परिणाम व निकट स्थहल की समस्या ही अध्ययन की विषय–वस्तु है।

C- अध्ययन की उपादेयता या प्रासंगिता– सदियों से हमारा देश दासता की बेड़ियों में जकड़ा था, असीम बलिदानों के फलस्वरुप जब हम आजादी मिली तो साथ ही साथ विरासत में मिली– बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी, जब हम स्वतन्त्रता की सुबह का स्वागत करने आगे बढ़े तो हमारे हाथ कॉप रहे थे, क्योंकि हवा में तिरंगा तो लहरा रहा था परन्तु आर्थिक विकास के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था।

स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया अपनायी भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारम्भ किया गया था। अब तक आठ पंचवर्षीय येाजनायें, तीन एक–एक वर्षीय योजनायें व तीन वर्ष का अन्तरकाल तथा नौवीं योजना के भी 5 वर्ष 31 मार्च सन् 2002 को समाप्त हो गये हैं, और इस प्रकार नियोजन के 50 वर्ष पूरे समाप्त हो चुके हैं।

लगभग सभी अर्थशास्त्रीयों ने लिखा है कि विकासशील देश के लिये आर्थिक नियोजन का बड़ा महत्व है वे कहते हैं कि– "आर्थिक नियोजन हमारे इस युग की महान औषधि है।"

प्रारम्भ में भारत देश के आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य– मनुष्य के रहन–सहन के स्तर का ऊँचा उठाना, आर्थिक साधनों का समुचित उपयोग करके, उनका बहुमुखी विकास करना सुखी एवं समृद्ध जीवन की सम्भावनाओं को बढ़ाना, देश में परिवहन साधनों का समुचित

प्रबन्ध करना, गृह उद्योगों को विकसित करना, ग्राम्य जीवन को सुविधाजनक बनाना एवं विस्तृत बाजारों का विकास करना प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आदि, अन्त में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।

परन्तु भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक नियोजन की सफलता के लिये यद्यपि भौतिक, मानवीय एवं तकनीकी साधनों के संग्रह की आवश्यकता तो थी ही, लेकिन वित्तीय साधनों के संग्रह की आवश्यकता तो थी ही, लेकिन वित्तीय साधनों के संग्रह की आवश्यकता इन सब साधनों से अधिक थी और आज भी निरन्तर बनी हुई है। आर्थिक योजना बड़ी हो या छोटी बिना पर्याप्त वित्तीय साधनों के पूरी नहीं होती, यदि किसी भी प्रकार सरकार वित्तीय साधनों को जुटा पाने में असमर्थ होती है, तो अच्छी से अच्छी योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं, लेकिन भारत सरकार के साथ ऐसा नहीं हुआ उसने हर संभव साधनों से योजनाओं के लिये वित्त का प्रबन्ध किया और उन्हें कारगर किया परन्तु यदि दूसरी ओर दृष्टि डाले तो अर्थव्यवस्था का सबसे अभिन्न अंग जनमानस में इस विकास के उपरान्त भी घोर असन्तोष व्याप्त है इसका कारण आखिर क्या है ? इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

भारत जैसे विकासशील देश जहां विविधताएं है, बहुआयामी सामाजिक संरचना है, ऐसे में बजट प्रावधानों की समीक्षा करना विशेषतया जब देश अन्तर्राष्ट्रीय विकास की दौड़ प्रतियोगिता में खड़ा हो, नितांत प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण बन जाता है। **प्रस्तावित अध्ययन "बजट प्राविधान एवं भारतीय समाज पर इसका आर्थिक प्रभाव" इस दिशा में रोचक कदम होगा क्योंकि इससे अनेकों अर्न्तसापेक्ष व्यवहारिक स्थितियों की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होगी।**

D. अध्ययनान्तर्गत व्रत निवेदन (I) **अतिरिक्त संसाधनों का सृजन**

(II) **आर्थिक सुधार परिचय**

(I) अतिरिक्त संसाधनों का सृजन– दो सौ वर्षों से अधिक की दासता से स्वतन्त्र हुये भारत के लिये वित्तीय क्षेत्रक उस चिकित्सक की भाँति था, जो लम्बे समय से बीमार चले आ रहे किसी कमजोर व्यक्ति को अनेक प्रकार की औषधियों और टॉनिक देकर स्वस्थ बनाने का प्रयास करता है।

भारत सरकार की ओर से आयोजन आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई। संगठन के अतिरिक्त इस संस्था का मुख्य कार्य योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना है। अब तक 9 पंचवर्षीय योजनायें, तीन एक–एक वर्षीय योजनाएं व तीन वर्ष का अन्तरकाल तथा दसवीं योजना के भी तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस प्रकार नियोजन के 52 वर्ष पूरे समाप्त हो चुके हैं।

भारत एक विशाल देश है। यहां की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है तथा यहां आर्थिक समस्यायें अनेक तथा विभिन्न प्रकार की हैं। अतः आयोजन क्रम से लाभ उठाने के लिये यह परम आवश्यक है कि योजनाओं का आकार पर्याप्त रुप से बड़ा रखा जाय, अन्यथा योजनाओं से प्राप्त लाभ बेकार हो जायेगें किन्तु उसी के साथ–साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरुरी है कि योजनाओं का जो आकार आंका जाये उसे पूरा करने के लिये साधनों की व्यवसथा सम्भव हो सकेगी या नहीं।

योजनाओं में विभिन्न आकार एवं प्रकार की परियोजनाएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में साधनों की आवश्यकता होती है इन साधनों में वित्तीय साधन एवं अन्य

सभी प्रकार के साधन सम्मिलित हैं। अधिकांशतः परियोजनाओं के आकार का निर्धारण दृव्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

साधनों के बारे में एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह सभी साधन हमेशा आन्तरिक ही नहीं होते, बल्कि कभी–कभी विदेशी साधनों (विदेशी विनिमय या, विदेशी तकनीकी ज्ञान, मशीन आदि) की भी आवश्यकता होती है। यदि देश के पास इतना अधिक विदेशी विनिमय हो कि किसी तरह की बाहय सहायता की आवश्यकता न पड़े तो कठिनाई नहीं होती, अन्यथा आन्तरिक साधनों के अतिरिक्त बाहय साधनों की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक होता है। किसी भी राष्ट्र योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कुछ हद तक उस राष्ट्र की भावी राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक घटनाओं पर निर्भर करती है। यदि इन सभी दिशाओं में अनुकूल परिस्थितियां रही तथा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित हुआ तथा योजना कार्यक्रमों में जनता की सक्रिय भागीदारी रही तो शत–प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति की संभावनायें बढ़ जाती हैं।

घाटे की वित्त व्यवस्था एक विशेष वित्तीय विधि है जिसके द्वारा सरकार अपने प्रस्तावित सार्वजनिक व्ययों को पूरा करने के लिये (कर, फीस, ऋण आदि के) अतिरिक्त साधनों को उत्पन्न करती है। विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिये विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के फलस्वरुप विभिन्न श्रोतों से प्राप्त राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय की तुलना में कम पड़ जाती है। इन दोनों को अन्तराल पूरा करने के लिये सरकार की अतिरिक्त वित्तीय साधनों का सहारा लेना पड़ता है तो यह घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है।

वर्तमान शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक सन्तुलित और अतिरेक का बजट आदर्श बजट

माना जाता था, परन्तु आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में विकास प्रक्रिया की विभिन्न आर्थिक और कल्याणकारी क्रियाओं में राज्य का एक समर्थ अभिकर्ता के रुप में प्रवेश होने के कारण सम्प्रति उसके कार्य क्षेत्र में अत्यन्त प्रसार हो गया है। परिणामतः राजकीय व्यय की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जिसकी प्रक्रिया में घाटे का बजट तैयार करना सामान्य तथ्य हो गया है। सरकार को अपने व्यय प्रस्तावों की पूर्ति हेतु विभिन्न श्रोतों से वित्त एकत्र करने पड़ते हैं और इसी प्रक्रिया में बजट में घाटा भी उत्पन्न हो जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था सरकारी बजट के घाटे को पूरा करने की एक विधि है जिसका प्रतिपादन पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को विश्वव्यापी महामन्दी से उबारने के लिये वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में केन्स ने किया था।

घाटे की वित्त व्यवस्था वह विशेष वित्तीय विधि है जिसके द्वारा सरकार प्रस्तावित सार्वजनिक आय की तुलना में सार्वजनिक व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिये संसाधन एकत्र करती है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था उस व्यवस्था की सूचक है जब किसी बजट प्रस्ताव के आय और व्यय के अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार पिछले नकद शेषों को कम करके या केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर या अतिरिक्त करैन्सी छापकर संसाधनों का निर्माण करती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारुप के अनुसार घाटे की वित्त व्यवस्था शब्द का प्रयोग बजट के घाटे द्वारा कुल राजकीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है ऐसी नीति अपनाने का सार यही है कि सरकार अपनी उस आय की तुलना में अधिक व्यय करती हैं जो उसे करारोपण सार्वजनिक उद्यम, ऋण, बचत तथा अन्य मदों से उपलब्ध होती है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओ में घाटे को पूरा करने के लिये जनता और बैंकों से ऋण लिया

जाता है। ऋण गृहण की इस प्रक्रिया का प्रभाव का मुद्रापूर्ति में वृद्धि के रुप में पडता है, परन्तु घाटे की वित्त व्यवस्था की इस प्रक्रिया में नवीन मुद्रा का सृजन नहीं होता है। इस कारण यहां घाटे की वित्त व्यवस्था से आशय नवीन मुद्रा के सृजन से नहीं है। इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। भारत में पूर्व संचित नगद शेषों के अभाव में घाटे की वित्त व्यवस्था की व्यवहारिक परिणति में बजट प्रक्रिया में जब प्रस्तावित सार्वजनिक व्यय से सार्वजनिक आय की मात्रा कम पड़ जाती है तब सरकार केन्द्रीय बैंक से इस घाटे को पूरा करने के लिये ऋण लेती है। केन्द्रीय बैंक ऐसी दशा में अतिरिक्त मुद्रा सृजित करता है जिसके परिणाम स्वरुप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है जिसे सरकार सार्वजनिक व्यय प्रस्तावों को पूरा करने के लिये व्यय करती है। इस प्रकार भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध नवीन मुद्रा सृजित कर कुल मुद्रा की पूर्ति से है। घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा निर्मित अतिरिक्त मुद्रा सरकार की वस्तुओं और सेवाओं को अविलम्ब प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़ा देती है। व्यय कार्यक्रमों को पूरा करने का यह अपेक्षाकृत अधिक नवीन श्रोत है। केन्द्रीय अर्थशास्त्र के विकास के बाद इस संकल्पना का प्रसार और महत्व अधिक बढ़ गया है। सिद्धान्ततः घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग मुख्य रुप से तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाता है।

(i) विकसित देशों में मंदी की अवस्था में जब समर्थ मांग की कमी हो अथवा औद्योगिक इकाइयों में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान हो तो घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेकर उत्पादन, रोजगार एवं आय में वृद्धि की जा सकती है।

(ii) किसी आकस्मिक घटना यथा युद्ध, बाढ़, अकाल आदि का सामना करने के लिये अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। **(iii)** तृतीय किसी अल्पविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, जहाँ अप्रयुक्त व अल्पप्रयुक्त उत्पादक संसाधन विद्यमान है, को विकसित करने, उत्पादन रोजगार और आय बढ़ाने के लिये घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है।

सारणी– 3.1

योजनागत व्यय और घाटे की वित्त व्यवस्था

योजना	कुल वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	घाटे की वित्त व्यवस्था	
		प्रस्तावित (करोड़ रुपये में)	वास्तविक (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
प्रथम योजना	1960	290	333
द्वितीय योजना	4672	1200	948
तृतीय योजना	8577	N.A.	1133
वार्षिक योजनाएं	6756	N.A.	682
चतुर्थ योजना	16160	N.A.	2060
पांचवीं योजना	40712	1000	5830
छठीं योजना	97500	5000	N.A.
सातवीं योजना	178870	N.A.	28260
आठवीं योजना	384370	N.A.	33040
नवीं योजना	N.A.	N.A.	N.A.
दसवीं योजना	N.A.	N.A.	N.A.

भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का आधार मुख्य रुप से आर्थिक विकास की दर को तीव्र करना रहा है। योजना आरम्भ के समय यह अनुभव किया गया कि देश में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान है जिसे अतिरिक्त मुद्रा निर्मित किये बिना उत्पादक कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अप्रयुक्त अतिरिक्त भौतिक संसाधनों और अल्परोजगार व बेरोजगार श्रम शक्ति को उत्पादक कार्य में लगाने के लिये इसे अपरिहार्य माना गया। वर्ष 1951–52 से 1980–81 तक घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा 13549 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मुद्रा निर्मित की गयी। विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित और वास्तविक घाटे की वित्त व्यवस्था का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि योजनागत वास्तविक व्यय का एक बहुत बड़ा भाग घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया गया है। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा प्रभूति घनराशि एकत्र की गयी। इसके प्रमुख कारण के रुप मे विकास कार्यों के लिये संसाधन एकत्र करने की अभिलाषा तो रही ही है। साथ–साथ सरकार के गैर विकासात्मक व्यय में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। राजकीय पूंजी विनियोग के साथ राजकीय कर्मचारियों के वेतनमान और मंहगाई भत्ते में वृद्धि के कारण सरकार का खर्च उत्तरोत्तर बढ़ता गया। करवंचन एक ओर कृषि आय पर करों का अभाव दूसरी ओर सार्वजनिक आय की प्राप्ति में महत्वपूर्ण बाधक तत्व है। खनिज तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हमें अपने संसाधनों का बहुत बड़ा भाग इनके आयात के लिये देना पड़ता है। युद्ध और अकाल के वर्षों में अत्याधिक अतिरिक्त संसाधन एकत्र करनें पड़े। इन सब तत्वों का संगृथित परिणाम यह हुआ कि संसाधन एकत्र करने के लिये सभी योजनाओं में भारी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पड़ी।

प्रथम पंचवर्षीय रिपोर्ट के अनुसार भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न तीन विधियों को अपनाया जाता है।

1. केन्द्रीय बैंक से ऋण
2. नकदशेषों की निकासी
3. सरकार द्वारा नई मुद्रा का निर्माण

घाटे की वित्त व्यवस्था की उक्त तीनों विधियां अन्ततः स्फीतिक प्रवृत्ति को ही जन्म देती है फिलहाल इसका उद्‌देश्य मंदीकाल में अतिरिक्त मुद्रा द्वारा क्रय शक्ति को सृजित करना, युद्ध काल में सरकारी व्यय की आपूर्ति में सहायता करना तथा विकासशील देशों में अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन करना आदि है किन्तु व्यवहार में अब घाटे की एक प्रथा जैसी बन गई है और कीमत वृद्धि एवं मुद्रास्फीति का प्रधान कारक सिद्ध हुई है।

सारणी देखने से पता लगता है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था की राशि निरन्तर बढ़ती गई है यद्यपि वित्तमंत्री घाटे की वित्त व्यवस्था की अनुमानित राशि की वास्तविक संशोधन के अनुरुप सीमित रखने का आश्वासन देते हैं लेकिन व्यवहार की कसौटी में यह लगभग निर्मूल साबित हो रहा है। योजनाओं में उत्पादन तथा रोजगार के लक्ष्य प्रारम्भ में ही निर्धारित कर दिये जाते हैं। जब ये लक्ष्य उन खर्चों के द्वारा पूरे नहीं होते जिनकी वित्त व्यवस्था कराधान तथा उधार द्वारा की जाती है तब उनके लिये अतिरिक्त साधन ढूढ़ने होते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा कहा तक लिया जाना चाहिये। इसमें निर्णय सोच–समझ कर लिया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था तो मात्र एक उपाय है जो सरकार की ओर से साधनों के स्थानान्तरण में सहायता प्रदान करती है।

(ii) आर्थिक सुधार परिचय– भारत जब स्वतन्त्र हुआ था, उस समय खाद्यान्न एवं अनेक उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव था। औद्योगिक उत्पादन एवं औद्योगिक इकाइयों की मात्रा अत्यन्त ही सीमित थी। औद्योगिक संरचना के लिये आवश्यक तत्वों का अभाव था। सामाजिक सुविधायें भी केवल नाम मात्र की थी। देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अतः सरकार ने 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक नियोजन की नीति अपनायी जिसके अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनायें प्रारम्भ की गई। उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेन्स नीति अपनायी गई। जिसके अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना व संचालन के लिये आवश्यक संरचना का विकास देशी हितों को ध्यान में रखकर किया गया। विदेशी पूंजी भी आमंत्रित की गई लेकिन उसे देश के नियमों के अन्तर्गत ही विकसित होने का अवसर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ऋण व सहायता प्राप्त की गई, देश में सार्वजनिक उद्योगों का भी विकास किया गया। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर प्रतिबन्ध लगाये गये। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कृषि में यन्त्रीकरण की नीति अपनायी गयी। इससे देश का विकास हुआ अनेक आधारभूति उद्योग स्थापित हुये जिससे न केवल औद्योगिक उत्पादन ही बढ़ा परन्तु औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात भी किया जाने लगा, कृषि क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता सी आयी। सामाजिक क्षेत्र में भी जनसाधारण को अनेक सुविधायें (जैसे–स्कूल, कॉलेज, बीमा, अस्पताल, सड़के परिवहन आदि) मिलने लगी।

पन्तु इस सबके होते हुये भी, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी स्थिति अच्छी नहीं रही। औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में निम्न रही। सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश

इकाइयां पूंजी पर उचित प्रतिफल देने में असमर्थ रहीं। आयात निर्यात से अधिक रहे, अतः विदेशी मुद्रा की कमी सदा ही बनी रही। अतः जुलाई 1991 से आर्थिक नीति में सुधार की रणनीति या कार्यक्रम अपनाया गया।

आर्थिक सुधार की पहली लहर में सुधार कार्यक्रम राजीव गांधी के शासन काल में चालू किये गये परन्तु उनके इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुये, व्यापार घाटा कम होने के बजाय बढ़ गया। जबकि छठीं योजना 1980–81 से 1984–85 के दौरान व्यापार शेष का औसत घाटा 5933 करोड़ रुपये था, यह सातवीं योजना (1985–86 से 1989–90) के दौरान छलांग लगाकार 10841 करोड़ रुपये हो गया। इसके अन्तर्गत अदृश्य मदों से कुल शुद्ध प्राप्ति 19072 करोड़ रुपये थी। इसके अन्तर्गत अदृश्य मदों से कुल शुद्ध प्राप्ति 19072 करोड़ रुपये हो थी। सातवीं योजना में अदृश्य मदों से प्राप्ति गिरकर 15891 करोड़ रुपये हो गयी। परिणामतः देश को एक गंभीर भुगतान शेष की स्थिति का सामना करना पड़ा। अतः भारत ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 7 अरब डॉलर का भारी ऋण देने के लिये प्रार्थना पत्र भेजा ताकि देश इस संकट से मुक्त हो सके। विश्व बैंक और आइ0एम0एफ0 ने भारत को सहायता देना तो स्वीकार कर लिया किन्तु यह शर्त लगायी कि वह अपनी अर्थव्यवस्था में स्थिरता कायम करने का प्रयास करेगा।

पी0वी0 नरसिंह राव की सरकार के आधीन आर्थिक सुधार दूसरी लहर – कांग्रेस (इ) की नयी सरकार ने 21 जून 1991 को सत्ता संभालने के पश्चात बहुत से स्थायीकरण संबंधी उपायों की घोषणा की ताकि आन्तरिक और विदेशी विश्वास प्राप्त किया जा सके। ब्याज

दर को बढ़ाकर मौद्रिक नीति को और मजबूत बनाया गया, रुपये की विनिमय दर का 22% अवमूल्यन किया गया और व्यापार प्रणाली में भारी सरलीकरण और उदारीकरण की घोषणा की गयी। आर्थिक रणनीति के केन्द्र के रुप में सरकार ने राजकोषीय असंतुलन को कम करने का प्रोग्राम बनाया जिसके समर्थन के लिये आर्थिक नीति में सुधार किये गये जो कि अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को एक नयी गति प्रदान करने के लिये अनिवार्य थे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिये गये ज्ञापन में डॉ0 मनमोहन सिंह ने उल्लेख किया, इनका मुख्य बल औद्योगिक उत्पादन की कुशलता एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना, भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग एवं तकनीकी का कहीं अधिक मात्रा में प्रयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन को उन्नत करना तथा इसके क्षेत्र की सुव्यस्था करना और वित्तीय क्षेत्र का सुधार एवं आधुनिकीकरण था ताकि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को अधिक कुशलता से पूरा कर सके।

मुख्य समष्टि – आर्थिक लक्ष्य निम्नलिखित तय किये गये– दूसरी लहर के आर्थिक सुधारों के मुख्य क्षेत्र हैं **(1)** राजकोषीय नीति **(2)** मौद्रिक नीति **(3)** कीमत निर्धारण नीति **(4)** व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति।

(1) राजकोषीय नीति– हमारा मध्यकालीन लक्ष्य समग्र सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को जो सकल देशीय उत्पाद के 12.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है कम करके 1990 के दशक के मध्य तक सकल देशी उत्पाद के 7 प्रतिशत तक पहुंच गया था। कम करके 1991–92 में 6.5% और 1992–93 में 5% तक लाना है। इस उद्देश्य के लिये सरकार सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियन्त्रित करना चाहती थी और कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ाने का लक्ष्य रखती थी।

सरकार यह भी चाहती थी कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर राजकोषीय अनुशासन लागू हो। 1991–92 में साहाय्यों में कटौती की आरम्भ की गई क्रिया को और बढ़ाया गया और एक निरपेक्ष प्रशासनिक कीमतों की प्रणाली कायम की जायेगी, जिसके लिये बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन और देशीय संभरण की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। सरकार एक अधिक कुशल व्यय प्रणाली का विकास करने का सुनिश्चित प्रयास करेगी।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को अपने सार्वजनिक उद्यमों विशेषकर राज्य बिजली बोर्डों एवं सड़क परिवहन निगमों की स्थिति सुधारने के लिये प्रोत्साहन देगी। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों को मिलने वाले बजट समर्थन हटा लिये जायेगें और उन्हें अपनी कुशलता एवं लाभदायकता को उन्नत करने के लिये मजबूत बनाया जायेगा।

(2) मौद्रिक नीति– स्फीतिकारी दबावों को कम करने और लक्षित भुगतान शेष में सुधार लाने के लिये प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीति चलायी जायेगी। उदाहरणार्थ 1991–92 के लिये विस्तृत मुद्रा अर्थात M_3 की वृद्धि 13 प्रतिशत तय की गयी जो कि उत्पादन एवं स्फीति संबंधी लक्ष्यों से युक्तिसंगत थी। नयी वर्द्धमान नकद–रिजर्व आवश्यकताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुये रिजर्व मुद्रा में 5.5 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य रखा गया ताकि 1992–93 में विस्तृत एवं रिजर्व मुद्रा की वृद्धि दर में और मन्द गति प्राप्त की जाये।

कीमत नीति– बजटीय साहाय्यों को कम करने और अधिक लोचशील कीमत ढांचे को प्रोन्नत करने की दृष्टि से सरकार ने बहुत सी वस्तुओं जिनमें महत्वपूर्ण आदान, पैट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक शामिल है की प्रशासित कीमतों में वृद्धि की घोषणा की। इसी प्रकार रेलवे के किरायों,

बसों के किरायों और कृषि वस्तुओं जैसे– चीनी की कीमतों में भी वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त कीमत नीतियां सभी क्षेत्रों में अधिक लोचशीलता कायम करने के उद्देश्य से कार्य करेगी और सार्वजनिक उद्यमों को बाजार शक्तियों के अनुसार कीमतें तय करने की अधिक स्वतन्त्रता दी जायेगी।

विदेशी खाते सम्बन्धी नीति– सरकार के स्थायीकरण और आयात संकुचन उपायों से यह प्रत्याशा की गयी कि वे विदेशी खाते के घाटै को कम करने 1991–92 में सकल देशीय उत्पाद के 2.1 प्रतिशत पर लाया जाय। 1992–93 में चालू खाते घाटा सकल देशीय उत्पाद के 2 प्रतिशत के आस–पास ही रखने का लक्ष्य रखा गया।

सामाजिक नीतियां– सरकार का मत था कि जहां समिष्ट आर्थिक समायोजन की क्रिया तो कष्टपूर्ण ही होगी, परन्तु सरकार इस क्रिया को मानवीय रुप देना चाहती है इस कारण निर्धरता दूर करने के उद्देश्य को यह समायोजन क्रिया का अभिन्न अंग मानती है। इस सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पीने के पानी की उपलब्धि छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता, स्त्रियों कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रोग्रामों के लिये अधिक व्यय का प्रावधान किया। इसके साथ–साथ सरकार और ग्राम क्षेत्रों में रोजगार–जनन प्रोजेक्टों पर भी अधिक व्यय करना चाहती थी।

औद्योगिक नीति सुधार– वह विनियामक ढांचा जो उद्यमकर्ता के प्रवेश और विकास मार्ग में रुकावट था। जुलाई 24, 1991 को घोषित नीति द्वारा बुनियादी रुप में परिवर्तित किया गया, इस क्षेत्र में अन्य आर्थिक सुधारों के साथ चालू किये गये उपाय निम्नलिखित है।

(i) 15 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी औद्योगिक प्रोजेक्टों के लिये औद्योगिक लाइसेंस हटा लिये गये। इस सूची में ऐसे उद्योग शामिल किये गये हैं जो सुरक्षा एवं सामरिक महत्व से संबंधित है, जो सामजिक कारणों खतरनाक रसायन और पर्यावरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण कारणों से जुड़े हैं।

(ii) एम0 आर0 टी0 पी0 कम्पनियों को अपने विनियोग निर्णयों के लिये एम0 आर0 टी0 पी0 आयोग से स्वीकृत नहीं लेनी पड़ेगी। न ही एकाधिकारी घरानों को अपनी विस्तार योजनाओं नये उद्यम स्थापित करने, विलयन एवं स्वामित्यहरण के लिये सरकार से इजाजत लेनी होगी।

(iii) कृमिक विनिर्माण प्रोग्राम प्रणाली जिसमें कुछ विशेष प्रोजेक्टों में समय के साथ–साथ आयात के अंश को क्रमिक रुप में घटाना जरुरी है, भी अब हटा ली गयी है।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित क्रियाओं का दायरा अब पहले से बहुत तंग है शेष आरक्षित को निजी क्षेत्र को खोलने पर अब कोई पाबंदी नहीं है।

विदेशी विनियोग नीति– औद्योगिक नीति 1991 विदेशी विनियोग के लिये अधिक अवसर भी प्रदान करती है ताकि तकनालाजी हस्तांरण, विपणन विशेषज्ञता और आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों के प्रयोग का लाभ उठाया जा सके। इसका यह भी इरादा है कि विदेशी निजी पूंजी अन्तर्प्रवाहों की संरचना में अत्यन्त आवश्यक परिवर्तन किया जाए ताकि ऋण उत्पन्न करने वाले प्रवाहों की अपेक्षा हिस्सा–पूंजी की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सके। इस संबंध में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी है।

(i) बहुत से उद्योगों में 51 प्रतिशत विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी

विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी जायेगी। इससे पूर्व सभी विदेशी विनियोग सामान्यतः 40 प्रतिशत तक सीमित था।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने के लिये बहुसंख्यक विदेशी हिस्सा पूंजी को 51 प्रतिशत तक ऐसी व्यापार कम्पनियों में लगाने की इजाजत होगी जो निर्यात क्रियाओं में लगी हुई है।

(iii) सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनालाजी संधियों के लिये स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। यह सुविधा अन्य उद्योगों को भी प्राप्त होगी यदि ऐसी संधियों में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो।

व्यापार नीति– हमारी अर्थव्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने की हमारी रणनीति के अंग के रुप में यह आवश्यक था कि उद्योग को प्राप्त अत्याधिक और प्रायः अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे–धीरे समाप्त किया जाये, क्योंकि इससे एक सबल निर्यात क्षेत्र के विकास के लिये प्रोत्साहन कमजोर हुआ है। इस रणनीत का एक महत्वपूर्ण अंग परिणात्मक प्रतिबन्धों की शासन प्रणाली का कीमत आधारित प्रणाली से संक्रमण है। हमारा मध्यकालीन उद्देश्य लाइसेंसो एवं परिमाणात्मक प्रतिबन्धों को क्रमिक रुप में हटाना है ताकि ये मदें खुले सामान्य लाइसेसों की श्रेणी में अधिकाधिक रुप में आ सकें। यह परिवर्तन 3–5 वर्षों की अवधि के अन्दर लाया जायेगा।

पिछले कई वर्षों से, आयात एवं निर्यात की बहुत सी मदों का मार्गीकरण विशिष्ट सार्वजनिक श्रेत्र की एजेंसियों द्वारा ही किया जाता था। अब यह निर्णय किया गया है कि इस संबंध में सार्वजनिक श्रेत्र के एकाधिकार को तेजी से कम किया जाय।

सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति– सरकार का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर आन्तरिक अतिरेक पैदा नहीं किये है क्योंकि इसके लिये पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा का अभाव रहा। इसने उच्च लागत ढांचे को प्रोन्नत किया है क्योंकि इसके लिये पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा का अभाव रहा। इसने उच्च लागत ढांचे को प्रोन्नत किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये सरकार ने नया दृष्टिकोण अपनाया जिसके मुख्य अंग निम्नलिखित थे।

(i) सार्वजनिक विनियोग के वर्तमान पोर्टफोलियो के यथार्थवाद की कसौटी के आधार पर समीक्षा की जायेगी ताकि उन क्षेत्रों को इससे दूर रखा जाय जिनमें सामाजिक धारणायें महत्वपूर्ण नहीं है और जहाँ निजी क्षेत्र अधिक कुशल है।

(ii) ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमों जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र को जारी रखना उचित है, को अपेक्षाकृत बहुत अधिक प्रबंधकीय स्वायत्ता प्राप्त होगी।

(iii) सार्वजनिक उद्यमों को प्राप्त होने वाला बजटीय समर्थन क्रमिक रुप में घटाया जायेगा।

(iv) सर्वजनिक उद्यमों में बाजार–अनुशासन लाने के लिये निजी क्षेत्र से स्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जायेगा और कुछ चुने हुये उद्यमों में हिस्सा पूंजी का विनिवेश किया जायेगा।

(v) जीर्ण रुप में बीमार सार्वजनिक उद्यमों को भारी हानियां करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

इस नीति के पालन के लिये उपाय किये जायेगें।

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से कम करके 8 कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में भी चयनात्मक रुप में निजी क्षेत्र के सहयोग की इजाजत दी गयी। विदेशी कम्पनियों के साथ सांझे उद्यम अब संभव हो सकेगे।

(2) ऐसे सार्वजनिक उद्यम जो जीर्ण रुप में बीमार हों और जिनमें सक्षम बनने की कोई संभावना नहीं उन्हें पुनरुत्थान, या पुनः स्थापना के लिये औद्योगिक एवं वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड को सौंप दिया जायेगा।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिये बोध ज्ञापन के माध्यम द्वारा लाभदायकता और प्रत्यायदर पर मूल बल देते हुये इन्हें मजबूत किया जायेगा।

(4) सरकार की 20% तक हिस्सा पूंजी पारस्परिक निधियों द्वारा चुने हुये निजी उद्यमों में विनियोजित की जायेगी निकासी नीतियों के दुष्प्रभावों से श्रमिकों को अधिकतम संभव सीमा तक सुरक्षित करने का प्रयास किया जायेगा। अतिरिक्त श्रमिकों की मात्रा को कम करने के लिये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाए आरम्भ की गयी है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त राष्ट्रीय, नवीकरण निधि कायम की गयी है ताकि श्रमिकों के प्रशिक्षण एवं पुनः रोजगार की व्यवस्था की जा सके।

चाहे निजीकरण और विश्वीकरण की नीतियां श्री राजीव गांधी द्वारा 1985 में चालू की गयी, परन्तु इन नीतियों को 1991 में श्री पी० वी० नरसिम्हा राव की सरकार ने त्वरित कर दिया है। केन्द्रीय सरकार के आर्थिक सुधार के नये पैकेज में नवरत्न सरकारी उद्यम विदेश संचार निगम लिमिटेड और सरकार पैट्रोलियम कम्पनी आई०बी०पी० का विनिवेश करने से कुल घाटे की फकत एक प्रतिशत रकम जुट पायी विदेश संचार निगम लिमिटेड से टाटा समूह की सामरिक भागीदार हुई है। वि०स०नि०लि० घाटे का सरकारी उद्यम नहीं था। वि०स०नि०लि० भारी मुनाफे में था। दूर संचार विशेषज्ञों के अनुसार विदेश संचार के साथ देश की आन्तरिक

सुरक्षा का संवेदनशील विषय नत्थी है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार सरकारी उद्यमों के शेयर बेचने और सामरिक भागीदारी के लिये वर्तमान समय सही नहीं है। इस समय शेयर बाजार सांड जमीन पर धराशायी है। शेयरों की दरें सबसे कम है शेयर बाजार में मंदी के समय सरकारी उद्यमों के शेयरों का सही मूल्य नहीं मिलेगा, दूसरे शब्दों में सरकारी उद्यमों को बेचकर रकम जुटाने का बुनियादी लक्ष्य ही नाकाम हो गया। नवरत्न सरकारी उद्यम कौड़ियों के मोल बिक रहे हैं। आर्थिक सुधारों के प्रजापति ब्रम्हा पूर्व प्रधानमंत्री पी0वी0 नरसिम्हा राव ने तीखे शब्दों में कहा कि उनके द्वारा प्रारम्भ सुधारों में सरकारी उद्यम बेचने का कोई प्रावधान नहीं था। उस समय 20% शेयर बेचने की योजना थी। सरकारी कारखाने के 80% शेयर सरकार के पास रहने से स्वामित्व को कोई खतरा नहीं था। नरसिंह राव सरकारी उद्यम के प्रबन्ध से असन्तुष्ट है वे चाहते हैं कि उद्यमों को बेचने की जगह उनमें प्रबन्धकों की सेवायें ली जाती।

पैट्रोलियम क्षेत्र विनिवेश का गोरखधन्धा– सरकारी आई0बी0पी0 के विनिवेश में सरकार ने बहुत ही चतुराई से इण्डियन ऑयल कम्पनी को शेयर बेचे। आई ओ सी ने अपने खजाने का दरवाजा खोला और आई0बी0पी0 लिया। आई0बी0पी0 को खरीदने वाली विदेशी तेल कम्पनियों को किनारे किया गया। केन्द्रीय सरकार के विदेश मंत्री को आशंका कि विदेशी तेल कम्पनी भारत में अपने माल का जखीरा लाकर जमा करेगे। इस विदेशी तेल भण्डार से भारतीय कम्पनियों को हानि होगी। अर्थशास्त्री प्रेम शंकर झा और शेयर विशेषज्ञ अजीत सिंह सरकार की दलील को बेकार बताते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आई ओ सी के पैट्रोलियम शोधक कारखानों में मुनाफा तीन सौ प्रतिशत तक है। यदि बहुराष्ट्रीय निगम तेल क्षेत्र में आते हैं तब स्वदेशी तेल

शोधकों (रिफायनरी) से सीधी प्रतिस्पर्धा होती है। इसका आरोप है कि पैट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में विदेशी दखल रोकने से रिलायन्स समूह अम्बानी खेमा लाभान्वित होगा। अम्बानी की एशिया में बृहदतम रिफायनरी गुजरात में है। अम्बानी रिफायनरी विश्व स्तर की है। ईरान से प्रस्तावित तेल गैस पाइप लाइन भी रिलायन्स की रिफायनरी तक आने की योजना थी। रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाण्डीस ने लोक सभा में अम्बानी समूह पर आर्थिक घपले के आरोप लगाये थे। फर्नाण्डीस ने देश में कारपोरेट सरकार चलने की तीव्र आलोचना की। यहाँ प्रश्न यह है कि पैट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश नहीं होने से क्या रिलायन्स को फायदा हो रहा है अथवा नहीं ? तेल क्षेत्र के इन अधिगृहणों से रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

सरकारी खर्चों में कमी का ढोंग– भाजपा राजग सरकार ने सरकारी खर्चों में कमी और नौकरशाही का छोटा करने के लिये सुधारों का सुनहरा जाल फेंका है। केन्द्रीय सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (बी0आर0एस0) की योजना का खाका पेश किया जिसमें 30 वर्ष नौकरी कर चुके सरकारी कर्मियों को वीआरएस लेने पर तीन वर्ष की एकमुश्त पगार ग्रेच्युटी भविष्य निधि आदि देने का ऐलान किया गया। वी आर एस लेने वाले को पेंशन भी मिलेगी। यह पेंशन राशि कुल वेतन का 3/4 है। सरकार को सालाना 1/4 वेतन की बचत है। लेकिन भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, तीन वर्ष के वेतन आदि के भुगतान के लिये भारी खजाना कहां से आयेगा ? सरकारी नौकरशाही को कम करने का नारा छलावा है मसलन केन्द्र सरकार के लगभग 15 मन्त्रालयों को समाप्त करना था।

कर्जों का दुष्चक्र– स्मरण रहे कि सन् 1975 से 1991 तक 85 बिलियन डालर के कर्जों से

सोवियत संघ छिन्न–भिन्न हो गया। एशियाई सिहों कोरिया, मलयेशिया, इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड, सिंगापुर और हांगकांग की हवा निकल गयी। सभी बिलियन डालर के कर्ज में डूब गये। आसियान के सरताज जापान की सशक्त अर्थव्यवस्था की भी कमर झुक गयी। भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वेसर्वा लोगों ने इनसे कोई सबक नहीं सीखा। भारत पर 160 बिलियन डालर के लगभग कर्जा अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा है। इस कर्जे के ब्याज देने में ही बजट बिगड़ रहा है। ब्याज चुकाने के लिये उधार लेना पड़ रहा है। कर्ज देने वाले विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में अनेक निर्णय लेने पड़े। कर्जों की शर्तों के कारण राज्य विद्युत बोर्डों का निजीकरण करना पड़ रहा है। सरकारी कारखानों का निजीकरण विवशता में हो रहा है। बीमा और बैंकिग क्षेत्र मे विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां घुसी हैं। सरकारी बैंक और आम बीमा कम्पनियों के खतरे की घण्टी बजी है। कांग्रेस महामंत्री कमलनाथ के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 2 करोड़ कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक चुकी है।

बचत जमा पर घटती ब्याज दर– आर्थिक सुधारों का कुल्हाड़ा आम नागरिकों की बचत पर चला है। देश में बड़े पैमाने पर निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, और उच्च्य मध्यम वर्ग, सरकारी बचत पत्रों, विकासपत्रों, सरकारी बाण्ड, सरकारी साझाकोष (म्यूचुअल फण्ड) और सावधि जमा, (एफडी) में अपनी बचत लगाते थे। सार्वजनिक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) में भी जमा करने की प्रवृत्ति थी। सुधारों के महाप्रवाह में सभी की ब्याज दर तेजी से घटायी गयी। परिणामतः सरकारी बचतों में पूंजी का प्रवाह रुकने लगा है। उधर बैंकों के आरक्षित खजाने भी खाली होने लगे हैं। गौरतलब यह है कि केन्द्रीय एवं प्रदेशीय सरकारें बचत राशि और बीमा राशि से ही विकास कार्य चलाते

हैं। निजीकरण के बाद विदेशी बीमा कम्पनी, विदेशी बैंक और विदेशी बचत कोष भारतीय विकास के लिये आसानी से ऋण क्यों देगा ? दुर्भाग्य जनक यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर घटाकर अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर लाना चाहते हैं। उधर विदेशी वित्तीय संस्थान सालाना 95% का मुनाफा बटोर रहे हैं। सन् 2002–03 के बजट में यही क्रम चालू रहेगा, विडम्बना यह है कि नरसिम्हन समिति की रपट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में सरकारी हिस्सेदारी 33% तक लाने की सिफारिश की गयी है। इसके भयानक परिणाम होगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के तार–तार होने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ0डी0आई0) 5 बिलियन डालर हुआ। इसी दौरान चीन 45–50 बिलियन डालर का एफ0डी0आई0 हुआ।

कृषि क्षेत्र में हाहाकार– भारत के कृषि प्रधान देश होने के बावजूद खेतिहर क्षेत्र में त्राहि–त्राहि मची है। कृषि मामलात की स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने रहस्योद्घाटन किया कि 60 से 70 प्रतिशत काश्तकार भूस्वामी नहीं बल्कि बटाईदार हैं। देश में 55 वर्षों में भूमि सुधार सही तरीके से लागू नहीं हो पाए। उल्लेखनीय यह है कि साइबर क्रान्ति के केन्द्र आन्ध्र प्रदेश में 5000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कर्नाटक में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं पंजाब भी इसी राह पर है जबकि सरकारी भारतीय खाद्य निगम उचित दरों पर सबसे अधिक खरीद राजनैतिक मजबूरियों में पंजाब, हरियाणा और आन्ध्र से कर रहा है। आर्थिक सुधारों ने कृषि पर कसाई का गड़ासा चलाया है। कृषि बिजली दरें और सिंचाई दरें अनाप–शनाप बढ़ रही है। विदेशी उत्पादों से भारतीय बाजार पट गया है। नकदी फसल, तिलहन उत्पादकों का दिवाला निकल रहा है। प्रसाधित खाद्य सामग्री ने किसानों के पेट पर लात मारी है। वे

विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आलू, प्याज, टमाटर, सेब आदि से सड़कें जाम कर रहे हैं, उनके उत्पादन का दाम उन्हें भुखमरी पर विवश कर रहा है। सरकार ने किसानों को बचाने के आधे–अधूरे कदम उठाए हैं।

बेरोजगारी एवं लघु उद्योग– देश में 8.5 करोड़ से अधिक बेरोजगार है उनमें तकनीकी शिक्षा के विशेषज्ञों की लम्बी फौज है। आर्थिक सुधार से नए रोजगारों का सृजन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ है, त्रासदी यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में सन् 2001–02 एवं 2002–03 में 20 लाख नौकरियां कम हुई हैं। आई टी संचार कम्प्यूटर उद्योग का जहाज डूब रहा है। विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के कारण देश के 30 लाख लघु मध्यम उद्योगों में छटनी और तालाबन्दी का भयानक दौर है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने रोजमर्रा की जरूरत की जिन्सों के स्वदेशी उत्पादको को गहरी मूर्छा में पहुंचा दिया है।

आज इन प्रयासों के फल मिलना आरम्भ हो गए हैं विदेशी निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास भी बढ़ा है और वे बिजली तथा पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों सहित बहुत से क्षेत्रों में निवेश करने में सक्रिय रुचि दिखा रहे हैं।

इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधारों के कारण एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां हम कुछ और साहसिक कदम उठा सकते हैं।

E. अध्ययन की अवधारणा – किसी भी शोध प्रबन्ध में अवधारणाओं की एक केन्द्रीय भूमिका होती है सैद्धान्तिक आधार एवं अनुभवगम्य विश्लेषण कर्ता दोनों को एक सुनिश्चित पद प्रदान करता है। इस लघु शोध प्रबन्ध में कतिपय अवधारणा प्रयुक्त होती है जिनका स्पष्टीकरण निम्नवत है।

1. बजट– बजट सरकार की आमदनी और खर्च का सालाना लेखा–जोखा है। सरकारी बजट हमेशा अगले वित्त वर्ष से जुड़ा होता है यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक।

2. बजट क्यों बनाया जाता है– हमारी संसदीय व्यवस्था का एक बेसिक सिद्धान्त यह है कि बिना संसद की मंजूरी के सरकार न तो एक पैसा खर्च कर सकती है और न ही कोई नया टैक्स लगा सकती है। संविधान के अनुच्छेद के 112 के तहत सरकार को हर साल फरवरी में अगले वित्त वर्ष की प्राप्तियों और खर्चों का अनुमानित ब्योरा सदन में रखना होता है।

बजट के भाग– बजट में मोटे तौर पर 3 चीजें होती है। पिछले वित्त वर्ष के अन्तिम आंकड़े यानी फाइनल एस्टिमेट्स, दूसरा चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और तीसरा अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमानित आंकड़े यानी बजट एस्टिमेट्स चर्चा का मुख्य विषय अगले साल के लिए प्रस्तावित स्कीमें और प्रस्ताव ही होते हैं।

लेखानुदान– लेखानुदान का मोटे तौर पर अर्थ है अंतरिम बजट। अगर चुनाव युद्ध या किसी राष्ट्रीय आपदा की वजह से सरकार फरवरी के अंत में बजट न पेश कर पाए तो वह कुछ महीनों या हफ्तों की तयशुदा अवधि के लिए सदन से न्यूनतम खर्च की अनुमति मांगती है। विभिन्न मंत्रालयों के जरूरी खर्च का इंतजाम करने के लिए लेखानुदान लाने की मजबूरी होती है।

वित्त विधेयक (Finance Bill)- जिस बिल के जरिये सरकार नए टैक्सों के लिए या मौजूदा टैक्स कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव रखती है उसे फाइनेंस बिल कहा जाता है।

रेवेन्यू या कैपिटल– रेवेन्यू का मतलब है राजस्व यानी चालू खाते पर प्राप्ति। रेवेन्यू कलेक्सन के तीन मुख्य हिस्से हैं संघीय तंत्र का कुल टैक्स और शुल्क– कलेक्सन सरकार द्वारा अतीत

में किए गए निवेश पर नकद लाभांश ब्याज आय और विभिन्न सरकारी सेवाओं के बदले वसूली गई फीस प्राप्तियां। दरअसल बजट को रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट नाम के दो वर्गों में ही पेश किया जाता है।

रेवेन्यू बजट– मोटे तौर पर रेवेन्यू बजट की तुलना एक आम गृहस्थ के नकद खर्च और नकद आमदनी के हिसाब–किताब के साथ की जा सकती है। जिस तरह हर परिवार को हर महीने नकद आमदनी का एक हिस्सा पंसारी, दूधिये या सब्जी वाले नकद भुगतान के रूप में करना पड़ता है उसी तरह भारत सरकार की आमदनी और खर्च का एक बड़ा हिस्सा भी चालू नकद वर्ग में आता है। जिसका इस्तेमाल पूंजी निर्माण या निवेश के लिए नहीं होता।

रेवेन्यू एक्सपेंडिचर– रेवेन्यू बजट सिर्फ रेवेन्यू प्राप्तियों का नहीं रेवेन्यू खर्चों का भी हिसाब दिखाया जाता है। रेवेन्यू खर्च के तहत विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज पर आने वाला खर्च आता है जिसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते शामिल होते हैं। सरकार घरेलू और विदेशी बाजार में जो कर्ज लेती है उस पर ब्याज भुगतान भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शुमार होता है इसके अलावा सभी किस्म की सब्सिडी भी रेवेन्यू खर्च में गिनी जाती है। इस बारे में मोटा नियम यह है कि जिन खर्चों के नतीजे में सभी किस्म की पूंजी (कैपिटल) का निर्माण होता है वे रेवेन्यू खर्च के तहत आते हैं। राज्यों को दिए जाने वाले सभी तरह के अनुदान भी रेवेन्यू खर्चों में शामिल किए जाते हैं।

कैपिटल बजट– सरकार अपने सारे लोन और सम्पत्ति निर्माण पर किए गए खर्चों को पूंजी प्राप्ति और पूंजी व्यय का हिसाब रखने वाले कैपिटल बजट में दिखाती है। कैपिटल बजट निवेश

और उधार का बही खाता है। पब्लिक एकाउंट का लेन–देन इसी के तहत दिखाया जाता ळै। घरेलू बाजार में कर्ज स्कीमों से उगाही जाने वाली राशि, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से लिया गया सारा उधार, ट्रेजरी बिल (सरकारी) गारंटी वाले दीर्घकालीन बांड की उगाही, विदेशी सरकारों और संस्थानों से प्राप्त लोन और केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों से रिकवर की गई राशि को कैपिटल प्राप्ति के तहत दिखाया जाता है।

कैपिटल पेमेंट– सरकार जमीन इमारतों, मशीनरी उपकरणों आदि पर जो राशि खर्च करती है। उसे एक तरह से निवेश के रूप में देखा जाता है इसलिए इस खर्च को कैपिटल खर्च कहा जाता है। सरकार शेयरों और उधारी पर जो पैसा लगाती है उसे भी इसी वर्ग में रखा जाता है। साथ ही राज्य सरकारों केन्द्रशासित प्रदेशों, सरकारी कम्पनियों, निगमों और दूसरे ऐसे संस्थानों को दिए जाने वाले कर्ज और अग्रिम राशियां (एडवांस) भी इसी वर्ग में शुमार होती हैं।

4 तरह के डेफिसिट– डेफिसट यानी घाटा। आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपइया तो घाटे का जन्म होता है, लेकिन सरकरी घाटे की परिभाषा इतनी आसान नहीं है। बजट दस्तावेज में आपको चार किस्म के डेफिसट देखने को मिलेंगे।

1. बजट डेफिसट (बजट घाटा)– यह सरकारी खजाने के घाटे की सबसे मोटी तस्वीर है रेवेन्यू एकाउंट खाता और कैपिटल एकाउंट दोनों को मिलाकर देखने पर सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्तियों से ज्यादा बैठता है तो बजट डेफिसट उभरता है।

बजट घाटा : बजट व्यय (राजस्व व्यय+पूंजीगज व्यय)– बजट प्राप्ति (राजस्व प्राप्ति+पूंजीगत प्राप्ति)

<u>**2. रेवेन्यू डेफिसिट–**</u> यह सरकार का सबसे बदनाम घाटा है। सरकार के रेवेन्यू खर्चे (इंट्रेस्ट, पेमेंट्स, सैलरी, बिल, अफसरों के पर्क्स और सब्सिडी वगैरह) अगर सरकारों की रेवेन्यू उगाही (डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और नान टैक्स कलेक्सन) से ज्यादा बैठे तो रेवेन्यू डेफिसिट पैदा होता है।

<u>**3. फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा)–**</u> खजाने की बदहाली की सबसे अच्छी तस्वीर दिखाने वाला घाटा। इसमें बजट घाटे के साथ सरकार की शुद्ध उधारी यानी उसके नेट कर्जो को भी जोड़कर देखा जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट में नान डेट कैपिटल रिसीट यानी गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियां जोड़े इसे वर्ग 'A' माने अब एक वर्ग 'B' बनाएं। उसमें कुल व्यय रखे और उसमें रिपेमेंट्स घटाने के बाद बची कर्ज देनदारी जोड़ें। अब वर्ग 'B' में से वर्ग 'A' की राशि घटाएं। जो बचेगा वह होगा वित्त मंत्रियों का सबसे बड़ा सिरदर्द यानी फिस्कल डेफिसिट।

<u>**प्राइमरी डेफिसिट–**</u> फिस्कल डेफिसिट में से सरकार की इंटरेस्ट पेमेंट्स यानी ब्याज अदायगी कम कर दें तो बनता है प्राइमरी डेफिसिट।

<u>**G.D.P. -**</u> सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) वस्तुओं तथा सेवाओं का घरेलू उत्पादन का कुल मूल्य होता है यह आर्थिक वृद्धि का प्रमुख मापदण्ड है।

<u>**N.D.P. –**</u> शुद्ध घरेलू उत्पादन (Net Domestic Product) सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजीह्रास घटाकर प्राप्त किया जाता है।

<u>**G.N.P.–**</u> सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product) सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शुद्ध साधन आय, विदेशी कारक लागत सकल घरेलू उत्पादन (G.D.P.) में जोड़कर की जाती है।

N.N.P.- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product) साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद G.N.P. में से पूंजी के ह्रास के भत्तों को हटा दिया जाता है।

राष्ट्रीय व्यय योग्य आय– (National Disposable income) व्यय योग्य आय वह आय है जो किसी अर्थव्यवस्था के परिवारों को सभी स्रोतों से किसी वर्ष में प्राप्त होती है तथा उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय तथा सम्पत्तियों पर लगाए गए करों का भुगतान करने के बाद शेष बचती है जिसे वे अपनी इच्छानुसार उपभोग पर व्यय करने तथा बचत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार यह उनकी क्रय की माप प्रदर्शित करती है।

निजी आय– Private income केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के अनुसार निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तान्तरण और शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तान्तरण का योग है। इस प्रकार निजी आय = निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय।

राष्ट्रीय आय– National Income राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। उत्पत्ति के सभी साधनों जैसे भूमि श्रम, पूंजी, संगठन व उद्यमी को प्राप्त होने वाले आय सम्बन्धी भुगतानों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं।

NI = N.N.P. – Indirect Taxes + Govt. Subsidies

*****

द्वितीय अध्याय

अध्ययन पद्धति

A- अध्ययन का क्षेत्र

- **I**- विस्तार एवं सीमा
- **II**- अध्ययन के उपागम
- **III**- अध्ययन का समय

B- अध्ययन की परिकल्पना

C- अध्ययन के उद्‌देश्य

D- अध्ययन के उपकरण

E- अनुसंधान रीति

- **I**- गणना पद्धति
- **II**- विश्लेषण रीति

* द्वितीय अध्याय- अध्ययन पद्धति *

अध्ययन का क्षेत्र– अध्ययन के क्षेत्र के अन्तर्गत हमारे आस–पास समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति उत्पादक, उपभोक्ता, व्यापारी, मजदूर किसान सरकारी कर्मचारी आदि से प्रश्नावली अनसूची द्वारा साक्षात्कार करके यह ज्ञात किया जाएगा, कि वस्तुओं (खाद्य वस्तुओं, उपभोग वस्तुएं आदि) के मूल्यों में परिवर्तन से उनका जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। अर्थात प्रतिवर्ष बजट के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त समाज के लोगों का आर्थिक जीवन प्रभावित होता है– कैसे और किस हद तक?

यदि देखा जाए तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है चाहे वह किसान हो, उत्पादक हो, मजदूर हो व्यापारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो इसलिए वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या कमी से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है।

I- विस्तार एवं सीमा–

1. शोध के विषयानुसार विगत पांच वर्षों के बजटीय प्रावधानों का उल्लेख किया जाएगा।

2. प्रत्येक वर्ष के बजट का समाज के विभिन्न वर्गों यथा– सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध शिक्षकों, अधिवक्ताओं, प्रमुख व्यापारियों, उपभोक्ताओं (पुरुष एवं महिला), मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों आदि में पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे।

3. शोध की सीमा के अन्तर्गत बांदा नगर के विभिन्न वर्गों का मुख्यतया अध्ययन किया जाएगा, जिसका माध्यम प्रश्नावली अनसूची के द्वारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होगा।

प्रस्तुत उपर्युक्त परिसीमाओं के नियंत्रण से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध आर्थिक विश्लेषण का एक अंगीभूत प्रव्यय है और शोध प्रबन्ध मूलतः वर्णनात्मक अंशतः विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। वर्णनात्मक अनुसंधान प्रकृति से तात्पर्य उस रूप से है जिससे किसी विषय या समस्याओं के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

II- **अध्ययन के उपागम–** अध्ययन के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आदि उपागम होते हैं। इस शोध विषय के अन्तर्गत मुख्यतया हमें आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करना है।

III- **अध्ययन का समय–** हमारे अध्ययन का समय विगत 5 वर्ष है सन् 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05।

(B) **अध्ययन की परिकल्पना–** बजट चाहे जिसे वर्ष का हो, और जिस भी वित्त मंत्री ने पेश किया हो वह उनका आर्थिक सुधारों की दिशा में एक नया प्रयास होता है भले ही वह समाज के किसी वर्ग के लिए खुशियां और किसी के लिए दुख का पैगाम लाता है।

बजट आने बाद वस्तुओं के मूल्यों में असहाय वृद्धि गृहणियों को अपने घरेलू बजट में समायोजन करने को बाध्य कर देती है। या यूं कह लें कि जीवन यापन की विभिन्न सुविधाओं में कटौती कर, मूल्य वृद्धि के नए दौर से लड़ने की तैयारी प्रारम्भ हो जाती है।

अध्ययन की परिकल्पनायें– परिकल्पना एक कल्पना है मान्यताओं का एक समूह है वह अर्थ कथन है जिसे अभी सम्पूर्ण होना है, परिकल्पना तथ्यों का वह कच्चा घड़ा है जिसका पकना निःशेष है एक परिकल्पना शोध बढ़ाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथ्यों एवं अनुभवों से परे

प्रक्षेपण करने वाले वास्तविक एवं अवधारणात्मक तथ्यों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में एक स्थायी कथन नहीं है। जिसकी मान्यताओं की या निष्कर्षों की जांच की जानी है अन्तिम विश्लेषण तथ्यों के सापेक्ष व्यवहारिक सत्यता के आधार पर व्यूत्पन्न या तो स्वीकृत होती है या तिरस्कृत होती है स्थूल रूप से वैज्ञानिक अध्ययन में दो प्रकार की परिकल्पनाएं प्रयुक्त होती है

यथा–

1. **तात्विक परिकल्पना**
2. **सांख्यिकी परिकल्पना**

तात्विक परिकल्पना– इस परिकल्पना के अन्तर्गत दो या दो से अधिक चरों के बीच अनुमान पर आधारित सम्बन्धों को व्यक्त किया जाता है। एक तात्विक परिकल्पना परीक्षण योग्य नहीं होती है। पहले इस प्रयोगात्मक शब्दों में अनुदित करना पड़ता है।

करीलगंर के शब्दों में– "एक कल्पना दो या दो से अधिक चरों के सम्बन्ध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है।"

सांख्यिकी परिकल्पना– सांख्यिकी परिकल्पना को निम्न भांति अध्यात्मक रूप दिया जा सकता है यथा एक ऐसी परिकल्पना जिसका प्रतिपादन आज्ञान्तिक परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए उस समय किया जाता है जबकि आदर्श संरचना के अपनाए जाने पर सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है। **इस सम्बन्ध में गुड एवं हैट का मत है कि–** उपकल्पना के निर्माण के दौरान इस बात के निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस प्रकार तथ्यों का संकलन किया जाए। इस प्रकार उपकल्पना का निर्माण अनुसंधान कर्ता को दिशा प्रदान करता है।

एक सांख्यिकी परिकल्पना के अनेक विकल्प हो सकते हैं, किन्तु प्रायः विकल्प के रूप में चुनी गई परिकल्पना जिसका प्रतिपादन रोनाल्ड फिशर द्वारा किया गया है। **फिशर के अनुसार** शून्य परिकल्पना को अप्रमाणित सिद्ध करने के लिए प्रत्येक प्रयोग को वर्तमान हुआ कहा जा सकता है।

शून्य परिकल्पना या नकारात्मक परिकल्पना संयोग की आशा की पृष्ठभूमि में प्राप्त किए आंकड़ों के परीक्षण को व्यक्त करने का सूक्ष्म ढंग है हमें इसे शून्य परिकल्पना के नाम से इसलिए पुकारते हैं, क्योंकि परीक्षण कार्य रीति की सहायता से इसे गलत अथवा सही सिद्ध करना चाहते हैं।

उक्त दर्शन से स्पष्ट है कि किसी सफल अनुसंधान के लिए परिकल्पनाएं एक अनिवार्य शर्त है प्रस्तुत शोध से सम्बनित निम्नांकित परिकल्पनाएं हैं जिन्हें गलत व सही सिद्ध करते हुए पूर्ण करना है।

भारतीय समाज में बजट प्रतिक्रियाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान अध्ययन की वस्तुगत परिकल्पनाएं इस प्रकार हैं–

1. देश में विगत पांच वर्षों से कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है।

2. विकासशील अर्थव्यवस्था में कीमतों का कुछ बढ़ना स्वाभाविक है, परन्तु कीमतों का इतना बढ़ना जो कि स्वयं अर्थव्यवस्था को चरमरा दे अवांछनीय है।

3. एक कृषि प्रधान देश में समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन बजट प्रावधानों में गौड़ रखा गया है।

4. एकाएक छूट समाप्त कर देना अविवेकी कदम है।

5. वाणिज्यिक वर्ग भी आर्थिक सुधारों से असन्तुष्ट है।

6. कर्मचारी/सेवावर्ग में भी बजट प्रावधानों से निराशा व्याप्त है।

परिकल्पना का महत्व–

1. अनुसंधान का मार्ग निदर्शन।

2. अनुसंधान की प्रेरक।

3. परिकल्पना पद्धति के विकास में सहायक।

4. परिकल्पना द्वारा तथ्यों के चुनाव में सरलता।

5. परिकल्पना वैज्ञानिक निष्कर्षों की जानकारी देती है।

6. परिकल्पना सिद्धान्त की रचना में सहायता देती है।

7. पुनरावृत्ति से बचाना।

(C) अध्ययन के उद्देश्य– प्रत्येक देश की बजट नीति पृथक–पृथक होती है स्वतंत्रता के पूर्व विदेशी सरकार की भारत के प्रति बजट नीति तथा स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की बजट नीति में काफी अन्तर है स्वतंत्रता के पूर्व उनके द्वारा किसी भी बजट में लोक कल्याणकारी झलक नहीं दिखाई दी उनके द्वारा बजटों में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे समाज के निर्बलों को राहत मिलती या आय व रोजगार की असमानताएं दूर की जा सकती।

स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक वर्ष किसी भी वित्तमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट देश के आर्थिक विकास तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी होता है, परन्तु क्या वास्तव

में यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी होता है या सिर्फ एक परम्परावादी कदम।

यह हमारे अध्ययन का उद्देश्य है कि बजट समाज के प्रत्येक वर्ग को कितना और किस प्रकार प्रभावित करता है अध्ययनोदेद्श्य के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है –

1. 2000–2005 के बजट प्रावधानों की समीक्षा करना।
2. विगत 5 वर्षों में लागू आर्थिक सुधारों की विवेचना करना।
3. विगत 5 वर्षों के अतिरिक्त संसाधनों के सृजन हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की समालोचना करना।
4. बजट प्रावधानों का समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
5. कर संग्रहयता व करदाता के बीच असंतुलन का पता लगाना।
6. सरकार और उपभोक्ता के मध्य बजट से पजे अन्तराल को समाप्त करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाना।
7. भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये बजट के स्वरुप व उसकी मानसिकता के निर्धारण हेतु सुझाव देना।

(D) अध्ययन के उपकरण– किसी भी कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचाने के लिये किसी न किसी माध्यम अर्थात् उपकरण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये तथा विषय वस्तु की समीक्षा हेतु साक्षात्कार किया जायेगा। जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों से प्रश्नों की अनुसूची के माध्यम से सम्पन्न होगा। सामान्य जनों की समझ में उतारने

हेतु चित्रमय प्रदर्शन, गणना कार्य हेतु लघु सारणियों का प्रयोग यथा सम्भव किया जायेगा।

(E) **अनुसंधान रीति या अध्ययन पद्धति–** अध्ययन पद्धति अनुसंधान का धेरा मार्ग प्रशस्त करता है और अध्ययन के उद्‌देश्य परिकल्पना और अध्ययन की विषय वस्तु की स्पष्टोक्ति आदि की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। इस दृष्टि से वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित अनुसंधान की पद्धति निदर्शन पद्धति पर आधारित है।

प्रथम दृष्टया समाज के विभिन्न वर्गों यथा– सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध शिक्षकों, अधिवक्ताओं, प्रमुख व्यापारियों, उपभोक्ताओं (पुरुष एवं महिला) मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों आदि से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान (Direct Personal Investigation) द्वारा सूची के माध्यम से प्राथमिक समंकों का संकलन किया जायेगा। सांख्यिकी रीतियों द्वारा वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण निर्वचन व समीक्षा की जायेगी।

द्वितीयक समंकों यथा 5 वर्षों के बजट का पुनरीक्षण आर्थिक विकास की दर एवं मुद्रास्फीति व अतिरिक्त संसाधनों के सृजन में घाटे की प्रवृत्ति आदि आर्थिक चरों का विश्लेषण अध्ययन का आधार होगा। अध्ययन की अन्तिम इकाई कोई व्यक्ति होगा जो समाज के विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित होगा। अध्ययन की प्राथमिक अवस्था– व्यक्तिगत इकाई, द्वितीय अवस्था–वर्ग समूह और तृतीय अवस्था–कुल समूह होगा। सहमति, असहमति, सुझावों द्वितीय समंकों के मूल्यांकन की प्रवृष्टि भी अध्ययन की विषय वस्तु होगी।

(1) गणना पद्धति **(2) विश्लेषण रीति**

(1) गणना पद्धति– प्रस्तुत शोध मे आंकड़ों की सहायता से सूचकांकों की गणना की गई है, तथा आवश्यकतानुसार अन्य सांख्कीय सूत्रों का प्रयोग करके गणना की गई है।

प्रयुक्त सांख्यकीय सूत्र–

(1) औसत = $\frac{\text{राशियों का योगफल}}{\text{राशियों की संख्या}}$

(2) प्रतिशत = $\frac{\text{उत्तर से सम्बन्धित संख्या} \times 100}{\text{कुल संख्या}}$

(3) समान्तर माध्य = $\frac{Ex}{n}$

(4) लाभ = विक्रय मूल्य – क्रय मूल्य

(5) हानि = क्रय मूल्य – विक्रय मूल्य

(6) सूचकांक(Index)= $\frac{\text{Current year value} \times 100}{\text{Base yeat value}}$

(2) विश्लेषण रीति– गणना द्वारा प्राप्त सूचकांकों एवं अन्य आंकड़ों का इस रीति से विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये हैं। प्राप्त निष्कर्ष मुख्यतः विचारणीय बिन्दु होगे। प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है अतः विचार क्रम एवं परकों को स्पष्ट करने के लिये प्रमुखतः आत्मगत की सहायता ली गयी है। लेकिन अध्ययन को परिणात्मक एवं गुणात्मक बनाने के लिये सामान्य साांख्यकीय विधियों जैसे–माध्य, प्रतिशत आदि का प्रयोग किया जायेगा। इस शोध का अध्ययन करने में आवश्यकतानुसार तथ्यों को स्पष्ट करने के लिये चित्रों एवं रेखाचित्रों की भी सहायता ली गयी है। कुल मिलाकर तथ्य एवं तर्कों के आधार पर इस शोध अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है।

*****

तृतीय अध्याय

पाँच वर्षीय बजट प्रावधानों का उल्लेख

(i) अतिरिक्त संसाधनों का सृजन

(ii) भुगतान संतुलन की स्थिति

(iii) मुद्रा स्फीति की स्थिति

(iv) छूट का स्तरीय विवेचन

(v) कर ढांचा

(vi) अन्य आर्थिक चर

* तृतीय अध्याय - पाँच वर्षीय बजट प्रावधानों का उल्लेख *

अतिरिक्त संसाधनों का सृजन– अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिये लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी प्राथमिकताएं तय करना तो आसान है किन्तु आयोजित परियोजनाओं के लिये आवश्यक वित्त जुटाना बहुत कठिन है। सरकार को उपलब्ध वित्त के साधन मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटे जाते हैं।

(1) देशीय बजट के श्रोत

(2) विदेशी सहायता

(3) न्यून वित्त व्यवस्था

देशी बजट के श्रोतों से अभिप्राय उन सभी राशियों से है जो सरकार देश में ही एकत्र करती है, जो इस प्रकार है।

(1) चालू राजस्व से अतिरेक

(2) सरकारी उद्यमों का योगदान

(3) बाजार ऋणों छोटी बचत, पूर्वोपायी कोष आदि द्वारा आन्तरिके गैर सरकारी बचत को गतिमान करना।

(4) अतिरिक्त करों और सरकारी उद्यमों से अतिरिक्त राजस्व के रुप में अतिरिक्त साधन गतिमान करना।

विगत 5 वर्षों के बजटीय प्रावधानों किस मद से कितना अतिरिक्त संसाधनों का सृजन किया इसका उल्लेख निम्नवत् है।

अप्रैल–दिसम्बर 2005 की अवधि के लिये महालेखा नियन्त्रक द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय सरकार के वित्त साधनों संबंधी आकड़ों के अनुसार सकल कर राजस्व 2,30,839 करोड़ रुपये और कुल व्यय 3,32,499 करोड़ रुपये आकलित किया गया। अप्रैल–दिसम्बर 2005 की अवधि में सीमा शुल्क और सेवाकर में दर्ज की गई वास्तविक अभिवृद्धि बजट में परिकल्पित दरों से अधिक थी। उत्पाद शुल्क, निगम आयकर तथा व्यैक्तिक आयकर में अभिवृद्धि क्रमशः 9%, 22%, तथा 15% पर अपेक्षाकृत कम थी। तथापि ब0अ0 2005–06 में अनुमानित 21.3% की तुलना में सकल कर राजस्व में 18.8% की तथा पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 18.3 प्रतिशत की समग्र अभिवृद्धि मोटे तौर पर पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये समरुप दृष्टिकोण सुझाती है। इसके अतिरिक्त बजट अ0 के अनुपात के रुप में सकल कर राजस्व अप्रैल–दिसम्बर 2005 में पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि की तुलना में उच्चतर है। इस वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ माह के लिये कर भिन्न राजस्व 48,031 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में 1.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि का द्योतक है। ऋण अदला–बदली के लिये समायोजित प्रथम नौ माह में ऋण भिन्न प्राप्तियां 2,24,165 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि से 8.2 प्रतिशत अधिक है। बजट के अनुमान के अनुपात के रुप में वर्ष 2005–06 में उत्पाद शुल्क, व्यैक्तिक आयकर, निगम आयकर तथा कर–भिन्न राजस्व में निम्नतर राजस्व वसूली हुई। व्यय मदों के लिये इसी प्रकार की तुलना ब्याज अदायगीरों, मुख्य सब्सिडियों और पेंशन जैसे प्रमुख आयोजना भिन्न व्यय में निम्नतर स्तर दर्शाती है। सारणी (3.2)। बेहतर व्यय प्रबंधन के एक स्वागत योग्य चिन्ह के रुप में बजट में व्यवस्था किये गये आयोजन गत व्यय 66 प्रतिशत को

(सारणी– 3.2) केन्द्र सरकार के वित्त के साधन

(करोड़ रुपये में)	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5	6	7
1. राजस्व प्राप्तियां (केन्द्र को निबल)	192605	201306	231748	253935	309322	351200
सकल कर राजस्व	N.A.	N.A.	216266	251527	3117733	370025
कर (केन्द्र को निबल)	136658	133532	159425	184169	233906	273466
कर भिन्न राजस्व	55947	7774	72223	69766	75416	77734
2. पूंजीगत प्राप्तियां– (जिसमें से निम्नलिखित से हुई प्राप्तियां)	134184	162500	168648	184860	168507	163144
क– ऋणों की वसूली	12046	16403	34191	18023	27100	12000
ख– अन्य प्राप्तियां	2125	3646	3151	13200	4000	–
उधार एवं अन्य देयतायें	120013	142451	131306	153637	137407	151144
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	326789	363806	400396	438795	477829	514344
4. आयोजना भिन्न व्यय (i)+(ii)	242923	261116	288942	317821	332239	370847
क– राजस्व लेखा (जिसमें निम्नलिखित के अंश है)	N.A.	N.A.	268074	289384	293650	330530
ब्याज संदाय	N.A.	N.A.	117804	123223	129500	133950
प्रमुख राज्य सहायता	N.A.	N.A.	40416	48636	42021	46098
पेंशन	N.A.	N.A.	14496	15466	15928	19542
ख– पूंजी लेखा	N.A.	N.A.	20868	28437	38589	40317
5. आयोजना व्यय (i)+(ii)	1182269	101194	111455	120974	115590	143497
(i) राजस्व लेखा	N.A.	N.A.	71554	76843	91843	115982
(ii) पूंजी लेखा	N.A.	N.A.	39901	44131	53747	27515
6. कुल व्यय (4+5) = 6 (क) (ख)	325592	362310	400396	438795	477829	514344
(क) राजस्व व्यय	N.A.	N.A.	339628	366227	385493	446512
(ख) पूंजी व्यय	N.A.	N.A.	60769	72568	92336	67832
7. राजस्व घाटा	N.A.	N.A.	107880	112292	76171	95312
8. राजकोषीय घाटा	118816	140955	131306	153637	137407	151144
9. प्राथमिक घाटा	19502	33495	13502	30414	7907	17199

श्रोत– आर्थिक समीक्षा– 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 श्रोत– महालेखा नियंत्रक

(सारणी– 3.3) केन्द्र सरकार के वित्त के साधन

(करोड़ रुपये में)	बजट	अप्रैल से	दिसम्बर	कालम 4 वर्ष 2005–06 के ब0अ0 के : के रुप में	2004–05 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन 4/3
	2005–06	2004–05	2005–06		
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व प्राप्तियां (केन्द्र को निबल)	351200	188493	216746	61.7	15.0
सकल कर राजस्व	370025	194231	230839	62.4	18.8
कर (केन्द्र को निबल)	273466	141246	168715	61.7	19.4
कर भिन्न राजस्व	77734	47247	48031	61.8	1.7
2. पूंजीगत प्राप्तियां– (जिसमें से निम्नलिखित से हुई प्राप्तियां)	163144	138298	115753	71.0	–16.3
क– ऋणों की वसूली	12000	45153	7408	61.7	–83.6
ख– अन्य प्राप्तियां	0	2906	11	0.0	–99.6
उधार एवं अन्य देयतायें	151144	90239	108334	71.7	20.1
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	514344	326791	332499	64.6	1.7
4. आयोजना भिन्न व्यय (i)+(ii)	370847	245567	237904	64.2	-3.1
क– राजस्व लेखा (जिसमें निम्नलिखित के अंश है)	330530	198208	221552	67.0	11.8
ब्याज अदायगी	133945	79885	80972	60.5	1.4
प्रमुख सब्सिडी	46098	32393	33230	72.1	2.9
पेंशन	19542	12480	14621	74.8	17.2
ख– पूंजी लेखा	40317	47359	16352	40.6	–65.5
5. आयोजना व्यय (i)+(ii)	143497	81224	94595	65.9	16.5
(i) राजस्व लेखा	115982	53254	74875	64.6	40.6
(ii) पूंजी लेखा	27515	27970	19720	71.7	–29.5
6. कुल व्यय (4+5) = 6 (क) (ख)	514344	326791	332499	64.6	1.7
(क) राजस्व व्यय	446512	251462	296427	66.4	17.9
(ख) पूंजी व्यय	67832	75329	36072	53.2	–52.1
7. राजस्व घाटा	95312	62969	79681	83.6	26.5
8. राजकोषीय घाटा	151144	90239	108334	71.7	20.1
9. प्राथमिक घाटा	17199	10354	27362	159.1	164.3

श्रोत- आर्थिक समीक्षा (2005-06)

सारणी– 3.4
केन्द्र सरकार के वित्त के साधन

वर्ष	राजस्व घाटा करोड़	राजकोषीय घाटा रुपये	प्राथमिक घाटा में	परिवर्तन राजस्व घटा सूचकांकों का परिकलन आधार वर्ष– 2002–03	परिवर्तन राजकोषीय घाटा सूचकांकों का परिकलन आधार वर्ष 2000–01	प्राथमिक घाटा सूचकांकों का परिकलन आधार वर्ष– 2000–01
2000–01	N.A.	118816	19502	—	$\frac{118816 \times 100}{118816} = 100$	$\frac{19502 \times 100}{19502} = 100$
2001–02	N.A.	140955	33495	—	$\frac{140955 \times 100}{118816} = 118.6$	$\frac{33495 \times 100}{19502} = 171.7$
2002–03	107880	131306	13502	$\frac{107880 \times 100}{107880} = 100$	$\frac{131306 \times 100}{118816} = 110.5$	$\frac{13502 \times 100}{19502} = 69.2$
2003–04	112292	153637	30414	$\frac{112292 \times 100}{107880} = 104.05$	$\frac{153637 \times 100}{118816} = 129.3$	$\frac{30414 \times 100}{118816} = 155.9$
2004–05	76171	137407	7907	$\frac{76171 \times 100}{107880} = 70.06$	$\frac{137407 \times 100}{118816} = 115.9$	$\frac{7907 \times 100}{118816} = 40.5$
2005–06	95312	151144	17199	$\frac{95312 \times 100}{107880} = 89.9$	$\frac{151144 \times 100}{118816} = 127.3$	$\frac{17199 \times 100}{19502} = 88.1$

निष्कर्ष- सूचकांकों को देखकर स्पष्ट होता है कि विचलनों में आर्थिक स्थिरता नहीं है, अतः यह बिन्दु विचारणीय है।

चित्र– 3.6

प्राथमिक घाटा सूचकांक

चित्र– 3.7

राजस्व घाटा सूचकांक

चित्र– 3.8

राजकोषीय घाटा सूचकांक
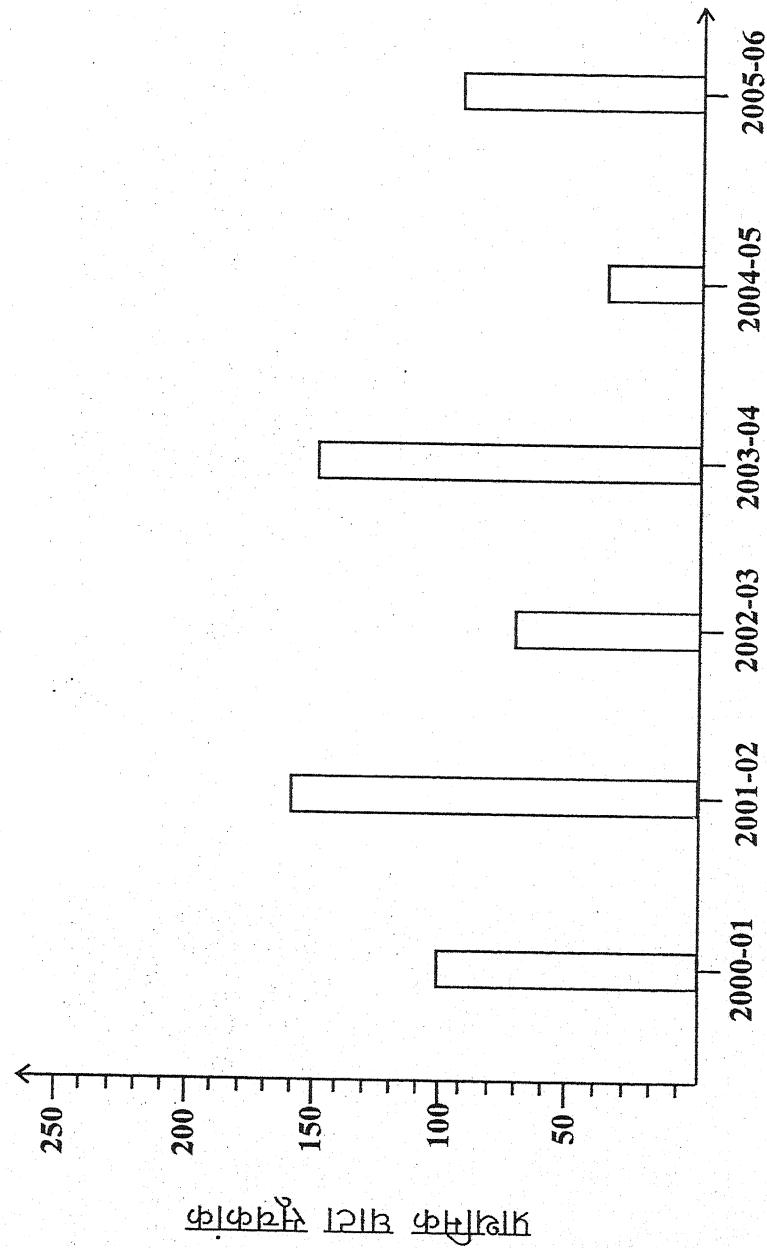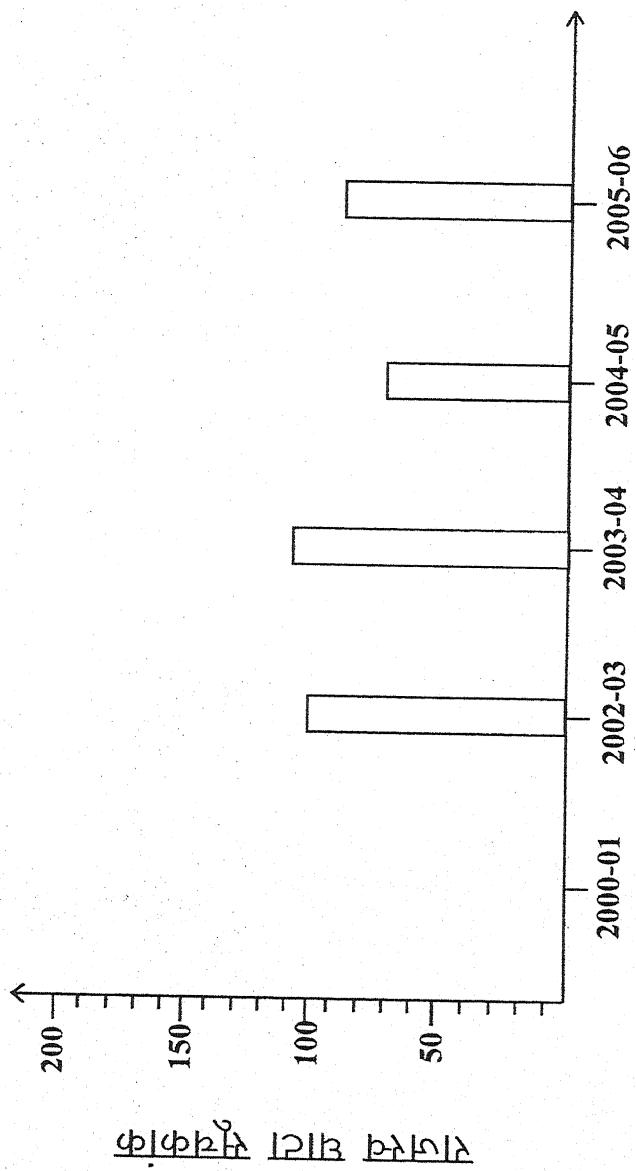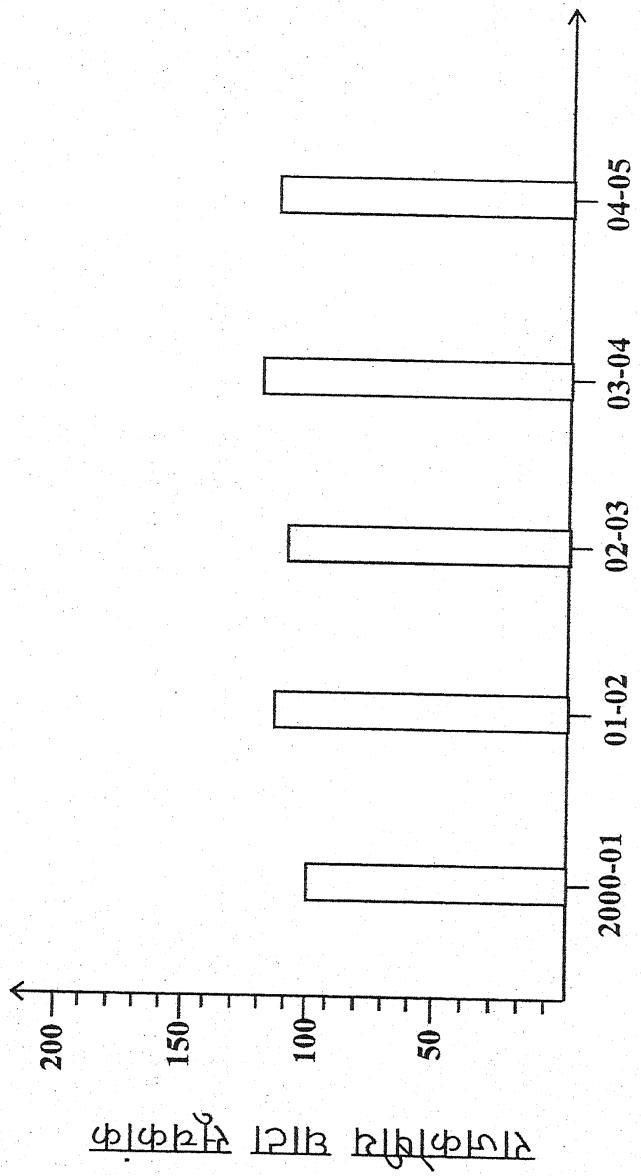
दिसम्बर 2005 तक व्यय किया जा चुका है जो 16.5% की अभिवृद्धि को निर्दिष्ट करता है आयोजना भिन्न व्यय के दिसम्बर 2005 तक केवल 6.7% की वृद्धि हुई।

2- (Balacne of Payments) भुगतान संतुलन की स्थिति :- विभिन्न देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं के आयात–निर्यात के अतिरिक्त अन्य प्रकार के लेन–देन होते हैं। जैसे–बीमा, जहाजी, किराया, बैंको का शुल्क, ब्याज, लाभ पूंजी का स्थानान्तरण सेवाओं के पुरस्कार इत्यादि। व्यापार सन्तुलन के अतिरिक्त जब अन्य सभी विदेशी लेन–देन भी सम्मिलित कर लिये जाते हैं तो यह भुगतान सन्तुलन कहलाता है। इस प्रकार भुगतान सन्तुलन किसी देश में एक निश्चित समय में समस्त विदेशी लेन–देन विवरण होता है–

बेनहम के शब्दों में– "एक देश का भुगतान सन्तुलन एक निश्चित अवधि के भीतर बाकी विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा होता है।"

विगत 5 वर्षों के भुगतान सन्तुलन का विवरण इस प्रकार है। 2004–05 में भारत के भुगतान सन्तुलन की संरचनात्मक संघटना में महत्वपूर्ण विचलन देखा गया जबकि तीन लगातार वर्षों के अधिशेष के बाद चालू खाता घाटे में बदल गया । (सारणी 3.5) वर्ष 1977–78 से 24 वर्षों में मौजूद चालू लेखा घाटे में जो महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। वह 1999–2000 से कम होना प्रारम्भ हो गया। इस संकुचन ने वर्ष 2001–02 में अधिशेष को प्रोत्साहित किया और यह अधिशेष, वर्ष 2003–04 तक जारी रहा।

व्यापार सन्तुलन या व्यापार शेष = आयात – निर्यात

चालू खाते में भुगतान शेष = व्यापार शेष + शुद्ध अदृश्य मद

भुगतान शेष की सुविधा की दृष्टि से वर्गीकरण (क) चालू खाते में भुगतान शेष (ख) पूंजी खाते में भुगतान शेष के रुप में किया जाता है।

चालू खाते पर वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान, एक पक्षीय भुगतान और दान शामिल किये जाते हैं, इस प्रकार चालू खाते पर भुगतान शेष में वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात अदृश्य मदें और दान सम्मिलित किये जाते हैं।

पूंजी खाते पर भुगतान शेष में देश की अन्तर्राष्ट्रीय वित्त स्थिति से सम्बन्धित चालू खाते की मदों का और अधिक स्पष्टीकरण मिलता है। चालू खाते की सभी मदें पूंजी खाते में व्यस्त होती है परिमाणतः पूंजी खाते में देश की विदेशी परिसम्पत और दायित्वों का अध्ययन किया जाता है। देश के विदेशी मुद्रा प्रारक्षण (Foreign exchange reserve) में परिवर्तन जो देश की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान स्थिति की सबलता या निर्बलता के सूचक होते हैं। पूंजी खाते में शामिल किये जाते हैं।

तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार घाटा जो आयात में अत्याधिक बढ़ोत्तरी के कारण हुआ, चालू लेखा घाटे को बढ़ाता रहा। वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि के दौरान अदृश्य निधियों (निबल) ने चालू लेखा अधिशेष को बनाये रखने हेतु सदैव व्यापार घाटे का सामना किया है तथापि यह प्रवृत्ति वर्ष 2004–05 में विपरीत दिशा में चली गयी।

सारणी 3.5

भुगतान संतुलन- सारांश (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष	चालू खाता शेष
1990–91	18477	27915	9438	9680
1998–99	34298	47544	13246	4038
1999–2000	37452	55383	17841	4698
2000–01	45452	57912	12460	2666
2001–02	44703	56277	11574	3400
2002–03	53774	64464	10690	6345
2003–04	66285	80008	13718	14083
2004–05	82150	118779	36629	5400
2004–05(अप्रैल से	36715	51483	14768	485
2005–06 सितम्बर)	44761	76396	31635	12956

श्रोत- आर्थिक समीक्षा 2005-06

श्रोत- भारतीय रिजर्व बैंक

3. **मुद्रा स्फीति की स्थिति–** प्रत्येक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन की गति कम हो सकती है या अधिक परन्तु यह निश्चित है कि एक लम्बी अवधि तक मुद्रा में स्थिरता बनाये रखना असम्भव होता है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तनों के मुख्य रुप दो माने जाते हैं। मुद्रास्फीति (Inflation) तथा अवस्फीति अथवा संकुचन (Deflation)

:– चालू खाता शेष :–

:– भुगतान सन्तुलन :–
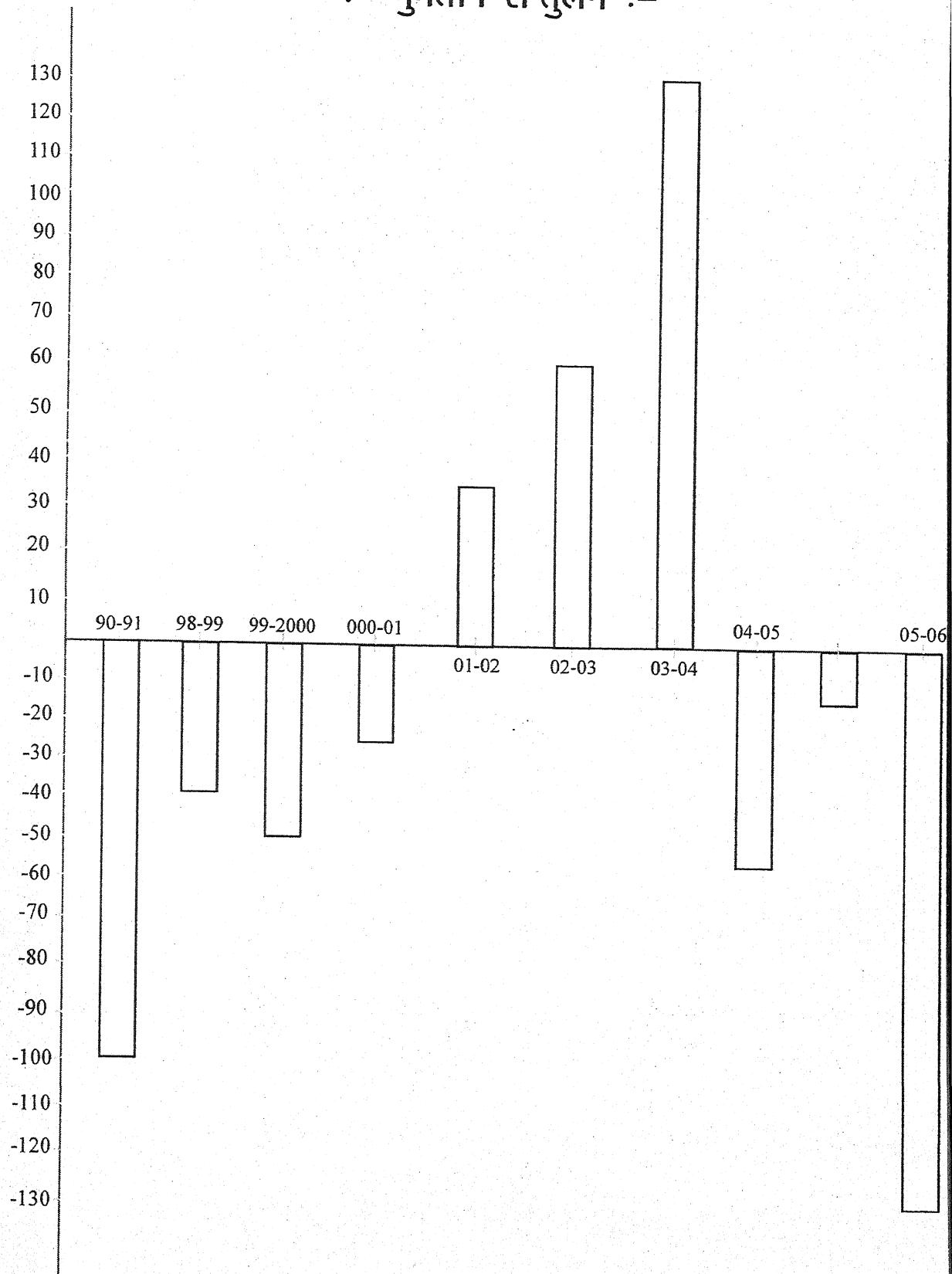
मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। (वस्तुओं की मांग अधिक और पूर्ति कम) तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है।

जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है तो मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।

मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत निर्देशकों द्वारा की जाती है। कीमत निर्देशांक वस्तुओं के औसत मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की माप करते हैं। आधार वर्ष का निर्देशांक 100 मान लिया जाता है तथा उसकी तुलना में चालू वर्ष के निर्देशांक की गणना की जाती है।

वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष 1993–94 है तथा यह 435 पण्य वस्तुओं की थोक कीमतों में घट–बढ़ का एक संकेत है।

विगत 5 वर्षों की मुद्रास्फीति की स्थिति इस प्रकार है।

चित्र- ३.२

थोक मूल्य परिवर्तन 52 सप्ताह की औसत मुद्रा स्फीती दर (प्रतिशत)
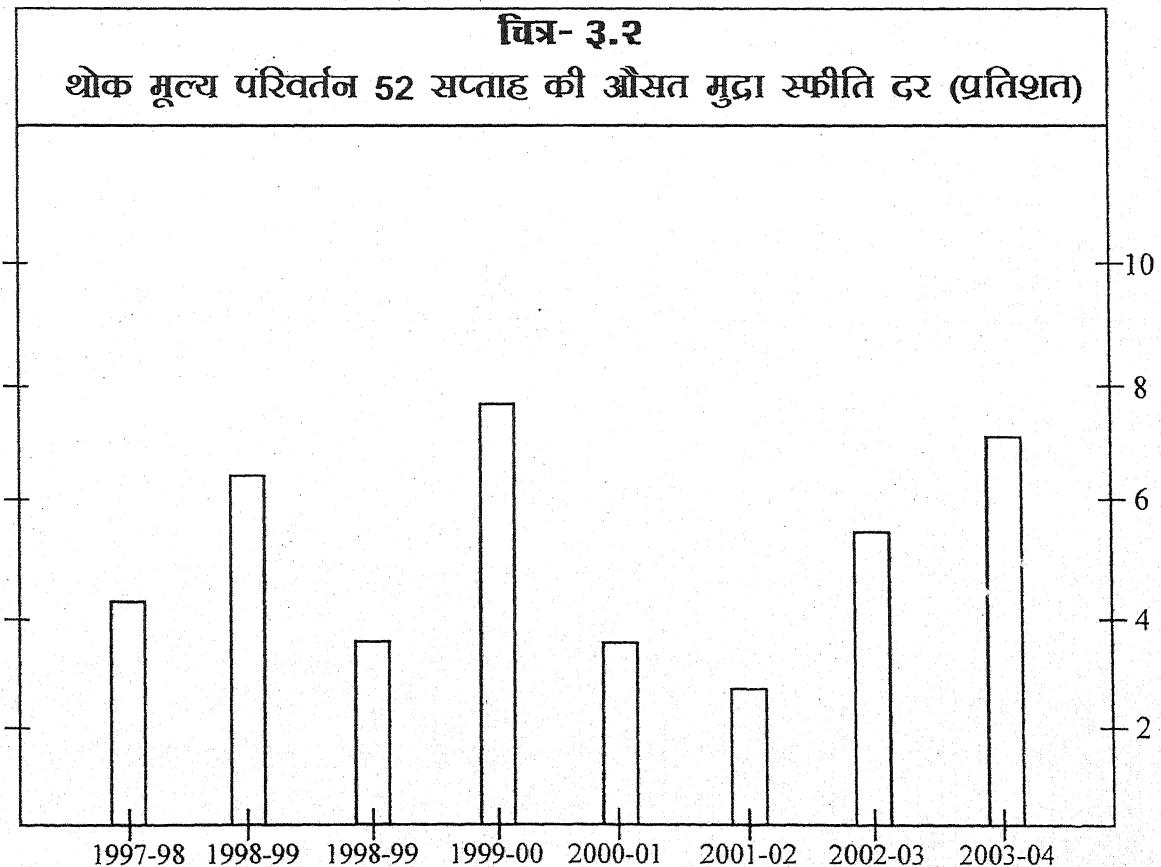
सारणी- 3.7

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रा स्फीति दर

(प्रतिशत)

आधार-1993–94 =100

वर्ष	वर्ष की समाप्ति दर	52 सप्ताह का औसत
1995–96	4.4	8.0
1996–97	5.4	4.6
1997–98	4.5	4.4
1998–99	5.3	5.9
1999–00	6.5	3.3
2000–01	5.5	7.2
2001–02	1.6	3.6
2002–03	6.5	3.4
2003–04	4.6	5.4
2004–05	5.1	6.5
2005–06	4.5	4.7

श्रोत- आर्थिक समीक्षा।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के संदर्भ में वार्षिक बिन्दु दर बिन्दु मुद्रास्फीति दर मार्च, 2004 के में 4.6 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर मार्च, 2005 के अन्त में 5.1 प्रतिशत हेा गई, वर्ष 2005–06 की शुरुआत में 2 अप्रैल 2005 को 5.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से हुई, जिसके बाद 27 अगस्त 2005 तक नरमी का रुख रहा जब यह 3.3% के निरन्तर स्तर में पहुंच गई।

सारणी - 3.6

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित बिन्दु दर बिन्दु मुद्रा स्फीति दर

थोक मूल्य सूचकांक

(प्रतिशत)

आधार 1993–94 =100

मास	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
अप्रैल	5.5	1.5	6.6	4.9	5.9
मई	5.5	1.6	6.5	5.0	5.6
जून	5.4	2.4	5.4	6.8	4.3
जुलाई	5.3	2.8	4.6	7.4	4.3
अगस्त	5.4	3.3	3.9	8.8	3.6
सितम्बर	4.5	3.5	4.9	7.8	4.3
अक्तूबर	2.9	3.1	5.1	7.4	4.8
नवम्बर	5.6	3.4	5.4	7.8	4.3
दिसम्बर	2.1	3.3	5.8	6.8	4.6
जनवरी	1.5	4.2	6.5	5.3	4.5
फरवरी	1.4	5.3	6.1	5.2	–
मार्च	1.8	6.0	4.8	5.5	–
औसत	3.6	3.4	5.5	6.5	4.7

श्रोत- आर्थिक समीक्षा वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06।

चित्र–3.4
थोक मूल्य सूचकांक
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
थोक मूल्य सूचकांक
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
जनवरी
फरवरी
मार्च
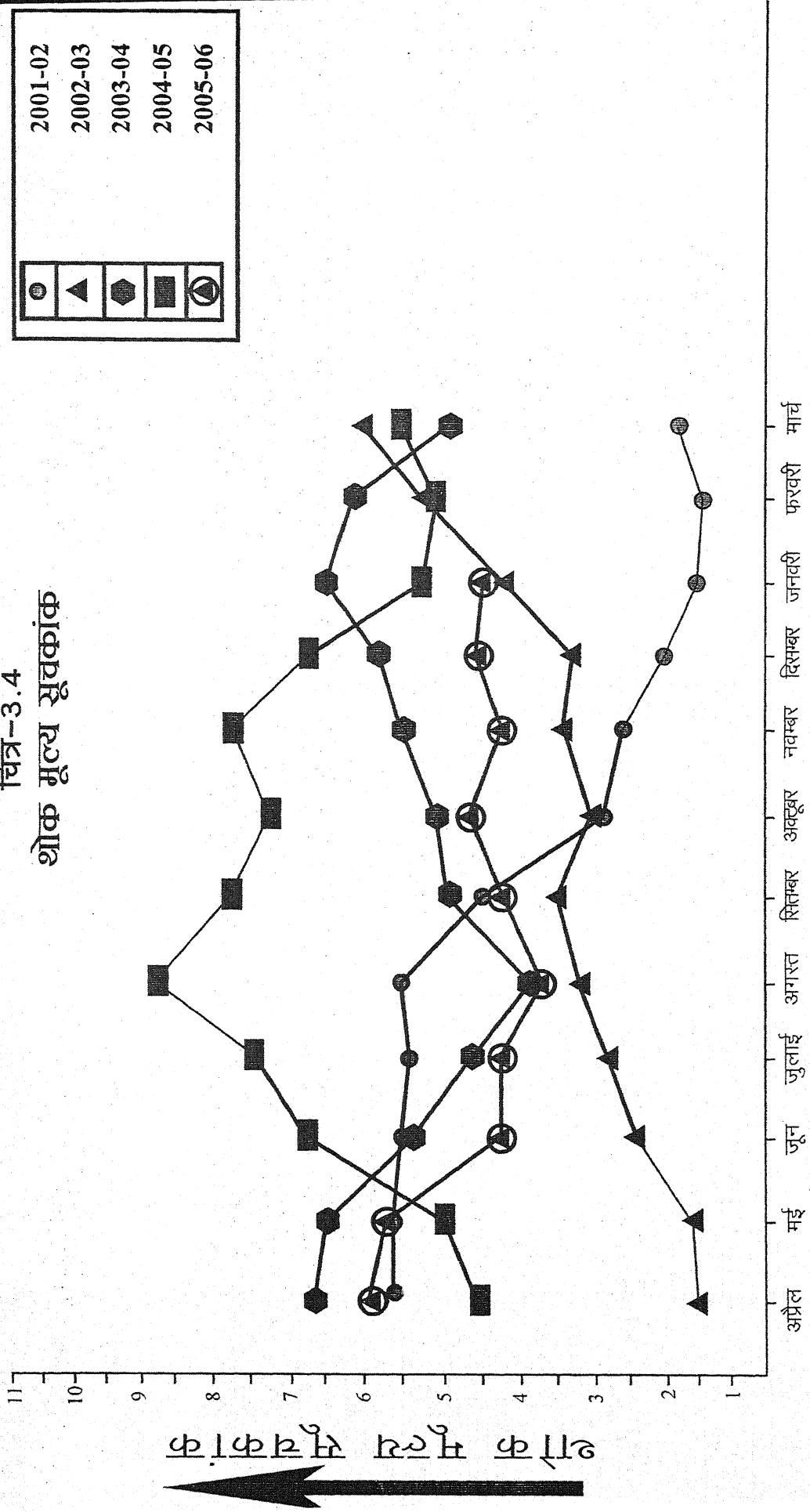
चित्र–3.3
थो० मू० सू० की प्रवृत्ति (52 सप्ताह की औसत मुद्रा स्फीति)
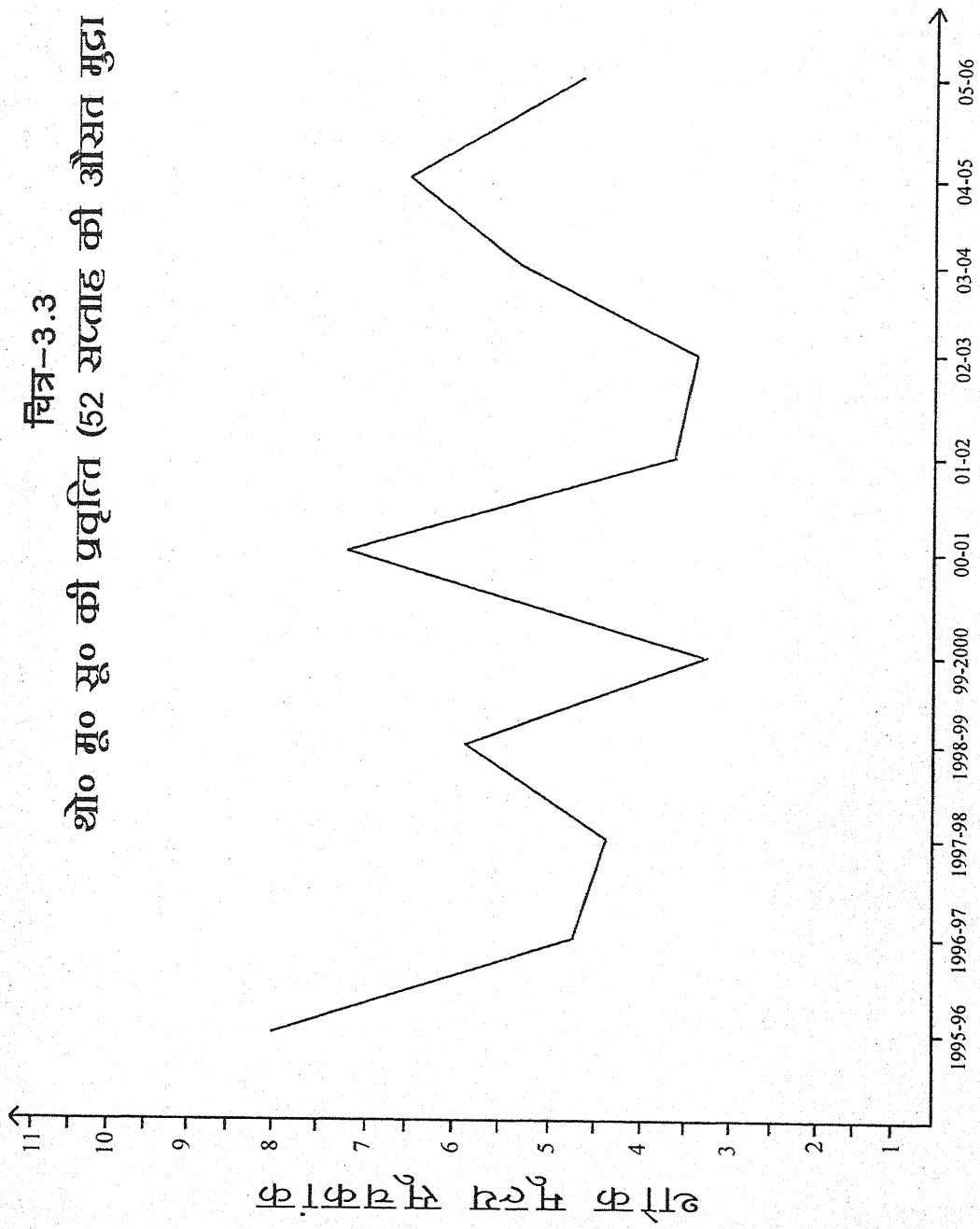
2001-02

इसके बाद जहां यह दर निरन्तर बढ़ती रही। 21 जनवरी, 2006 को 4.5 प्रतिशत के स्तर पर यह एक वर्ष पूर्व दर्ज की गई 5.4 प्रतिशत की दर से कहीं कम थी। (सारणी 3.6–3.7) औसत डब्लू पी आई मुद्रास्फीति 1990 के दशक के पूवार्ध के 10.6 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2001–02 से 2004–05 के दौरान 4.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।

4. <u>छूट का स्तरीय विवेचन–</u> सर्वप्रथम हम खाद्यान्नों से सम्बन्धित सब्सिडी का अध्ययन करेगें। सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के माध्यम से गरीबों को न्यूनतम पोषण सहायता मुहैया कराना तथा विभिन्न राज्यों में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करने के दायित्व की पूर्ति करते हुये सरकार खाद्य सब्सिडी वहन करती है। वर्ष 2000–01, 2001–02, तथा 2002–03 के तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष खाद्य सब्सिडी को 27 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि हुई है।

2003–04 के दौरान वार्षिक वृद्धि घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई तथा 2004–05 (स0उ0) में इसके और कम होकर 2.54 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। (सारणी 3.8)

<u>उर्वरक सब्सिडी–</u> उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देने ओर किसानों का वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र सरकार यूरिया और विनियंत्रित पी एण्ड के उर्वरकों जैसे कि डाई अमोनिया फास्फेट (डी0ए0पी0), मुरिएट आप पोटाश (एमओपी) तथा एकल सुपर फास्फेट (एसएसपी) को छोड़कर जिसका अधिकतम फुटकर मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ग्यारह मिश्रित उर्वरकों के विक्रय मूल्यों को अधिसूचित करती है। 28 फरवरी 2002 से उर्वरकों के विक्रय मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

सारणी–3.8
खाद्य सब्सिडियों में वृद्धि

वर्ष	खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	स0 घ0 उ0 के प्रतिशत के रुप में
1990–91	2450	–	.43
1991–92	2850	16.33	.44
1992–93	2800	–1.75	.37
1993–94	5537	97.75	.64
1994–95	5100	–7.89	.50
1995–96	5377	5.43	.45
1996–97	6066	12.81	.44
1997–98	7900	30.23	.52
1998–99	9100	15.19	.52
1999–00	9434	3.67	.48 $
2000–01	120602	27.84	.57 $
2001–02	17499	4510	.77 $
2002–03	24176	38.16	.98 $
2003–04	25160	4.07	.91 $
2004–05	25800	2.54	.83 $
(स0 अ0)			
2005–06	26200	1.55	N.A.
(ब0 अ0)			

$ – स0 घ0 उ0 के प्रतिशत के रुप में (1999-00) पर आधारित नयी श्रृंखला।

* – चीनी पर खाद्य सब्सिडी के अतिरिक्त।

श्रोत - बजट दस्तावेज, विभिन्न प्रकाशन एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

चूंकि उर्वरक का विक्रय मूल्य उनके उत्पादन से कम है इसलिये सरकार द्वारा आंके गये अन्तर को सब्सिडी के बतौर वहन किया जाता है। वर्ष 2005–06 के दौरान यूरिया पर सब्सिडी 11053.90 करोड़ रुपये और विनियंत्रित फास्फेटी पोटाशीय उर्वरकों पर सब्सिडी 5200.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था लेकिन वर्ष 2005–06 के दौरान उत्पादन खपत में वृद्धि होने और आपूर्ति स्टाक। कच्ची सामग्री की लागतों में भारी हाने के कारण इसमें काफी अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। (सारणी–3.9)

सारणी–3.9

उर्वरक सब्सिडी

आयातित यूरिया	घरेलू यूरिया	नियंत्रण मुक्त पी0 एण्ड के उर्वरक (करोड़ रु0)	जोड़	वर्ष
335	170	–	505	1980–81
659	3730	–	4389	1991–92
1	9480	4319	13800	2000–01
47	8044	4504	12595	2001–02
0	7790	3224	11014	2002–03
0	8521	3326	11847	2003–04
493.9	10243.2	5142.2	15879.2	2004–05
943.5*	10110.4*	5200.0*	16253.9*	2005–06

* – **बजट अनुमान**

3. **<u>डाक सेवाओं पर दी गई सब्सिडी–</u>** नकद खर्चों के केवल 76 प्रतिशत को मोटे तौर पर कवर करते हुए डाक प्रणाली में उपभोक्ता प्रभारों सहित डाक सेवाओं में आर्थिक सहायता का तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। सारणी नवीनतम निर्देशकों के अनुसार 2002–03 में 1364.40 करोड़ रुपये का घाटा बढ़कर 2005–06 (ब0अ0) में 1449.64 करोड़ रुपये होने की संभावना है। तर्काधार को स्पष्ट करते हुये, आथिक सहायता की पद्धति और आकार इस समय एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न बन जाता है। (सारणी 4.0)

(v) **<u>कर ढांचा–</u>** हमें ज्ञात है कि वर्तमान समय में कर सरकार की आय प्राप्ति का प्रमुख साधन है यहां पर हमने विगत 5 वर्षों के कर ढांचे को सारणी में दिखाया है।

(क) <u>प्रत्यक्ष कर–</u> सारणी (4.1) को देखकर पता चलता है कि व्यैक्तिक आयकरों के लिये मूल छूट सीमा सन् 2001–05 तक 50,000/ तथा महिलाओं के लिये 5000 की छूट थी।

1. सन् 2005–06 में व्यैक्तिक आयकर के लिये मूल छूट सीमा को बढ़ाया गया, सामान्यतः 1 लाख रुपये तक, महिलाओं के लिये, 1.35 लाख रुपये तक, वरिष्ठ नागरिकों के लिये 1.85 लाख रुपये तक।

2. सन् 2005–06 में व्यैक्तिक आयकरों की दरों को आशोधित किया गया। 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच तक की आय के लिये 10%, 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक की आय के लिये 20%, 2.5 लाख रुपये से ऊपर की आय के लिये 30%, 10 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय पर व्यष्टियों हिन्दु अविभाजित परिवारों व्यष्टि के संघों तथा व्यष्टि निकाय के मामले में 2.5% का अधिभार प्रयोज्य है।

सारणी - 4.0

डाक सेवाओं पद दी गई सब्सिडी

सेवा	सब्सिडी प्रति इकाई	ट्रफिक (मिलियन में)	कुल सब्सिडी (करोड़ रु0)
पोस्टकार्ड	6.56	229.00	150.13
मुद्रित पोस्टकार्ड	1.57	39.16	6.16
पत्र कार्ड	4.58	293.96	134.70
रजिस्ट्रेशन	16.69	200.45	334.55
मनी ऑर्डर	26.97	109.58	295.59
रजि0 समाचार पत्र			
(क) (एकल)	8.64	53.19	45.93
रजि0 समाचार पत्र			
(ख) (बंडल)	13.66	32.24	44.04
मुद्रित पुस्तकें	–	–	–
पार्सल	–	–	–
अन्य	–	–	–
कुल योग			

श्रोत- डाक विभाग।

सारणी–4.1
व्यैक्तिक आयकर की सारणी

	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
व्यैक्तिक आयकर (पुरुषों)	50,000	50,000	50,000	50,000	10,0000
महिलाओं के लिये (छूट) (65 वर्ष से कम)	5000 छूट	5000 छूट	5000 छूट	5000 छूट	135,000 तक
मानक कटौती	150,000 = 30000	150,000 = 30000	150,000 = 30000	150,000 = 30000	150,000= 30000
	150,000 से अधिक	किन्तु 30,000 से	कम आय पर	= 25000	
आयकर	50,000 – शून्य	50,000 – शून्य	50,000 – शून्य	50,000 – शून्य	1,00,000 = शून्य
	50,000/ से 60,000/) 10%	50,000/ से 60,000/) शून्य	50,001/ से 60,001/) 10%	50,001/ से 60,001/) 10%	1,00,001/ से 1,50,000/) 10%
	60,000/ से 150,001/) 20%	60,000/ से 150,001/) 20%	60,001/ से 150,001/) 20%	60,001/ से 150,001/) 20%	1,50,001/ से 2,50,000/) 20%
	50,0000/) 30%	50,0000/) 30%	50,0000/) 30%	50,0000/) 30%	50,0000/) 30%

श्रोतः- आयकर विभाग , नोट – सन् 2000 का ब्योरा सन् 2001 के समान है ।

3. वर्ष 2005–06 में मानक छूट को हटा दिया गया है। धारा 88, 88ख तथा 88ग के तहत सभी प्रवृत क्षेत्रक सीमाओं/छूट को हटा दिया गया है जबकि सन् 2004–05 तक मानक छूट वैतनिक कर्मचारियों के लिये सारणी के अनुसार थी।

4. सन् 2005–06 में घरेलू कम्पनियों तथा फर्मों के लिये निगम कर दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया। तथापि 10% का अधिभार प्रयोज्य है।

अप्रत्यक्ष कर (2005–06) सीमा शुल्क–

(I) सीमा शुल्कों को आसियान स्तरों के संरेखित बनाने की पूर्व घोषित प्रतिबद्धता का अनुपालन करते हुये वर्ष 2005–06 के बजट में कृषि भिन्न उत्पादों पर चरम सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।

(II) निवेश के संवर्धन के लिये चुनिंदा पूंजीगत वस्तुओं तथा उनके हिस्सों पर सीमा शुल्क को घटाकर 10.5: किया गया।

(III) वस्त्र, मशीनरी तथा प्रशीतित वैनों पर शुल्क को 20% से घटाकर 10% किया गया।

(IV) चमड़ा तथा जूता उद्योग में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी पर शुल्क को 20% से घटाकर 5% किया गया, ईथिल विनाईल एसिटेट पर शुल्क को 20% से घटाकर 10% किया गया।

(V) बैटरी प्रचालित सड़क वाहनों तथा मुद्रणालयों के विर्निदिष्ट पुर्जों के लिये शुल्क को 20% से घटाकर 10% किया गया।

(VI) स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये धातु के प्राथमिक तथा अर्धतैयार रुपों अर्थात स्टेनलेस स्टील अन्य सम्मिश्र स्टील फेरों सम्मिश्र धातु, अल्युमिनियम, तांबा, जिंक, टिन इत्यादि पर शुल्क को 15% से घटाकर 10% किया गया।

(VII) उच्च भस्मांश वाले कोकिंग कोयले पर शुल्क को घटाकर 5% किया गया।

(VIII) पोलिएस्टर तथा नायलान चिपों वस्त्र रेशों धागों तथा मध्यवर्तियों फैब्रिकों तथा तैयार निर्मित वस्त्रों पर शुल्क को 20% से घटाकर 15% किया गया।

(IX) सूचना प्रौद्योगिकी करारबद्ध मदों के विनिर्माण के लिये अपेक्षित सभी निविष्टियों तथा विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क हटा दिया गया।

(X) सूचना प्रौद्योगिकी करारबद्ध मदों तथा उनकी निविष्टयां जिन पर शुल्क लगता है के आयातों पर 4 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क लगाया गया। उत्पाद शुल्क के भुगतान के बदले प्रतिकारी शुल्क के लिये केडिक उपलब्ध कराया गया, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को प्रस्तावित प्रतिकारी शुल्क से छूट प्रदान की गई।

(XI) वातावरणिक पेय जल जेनरेटरों पर शुल्क को 20% से घटाकर 5% कर दिया गया।

(XII) पैट्रोलियम क्षेत्र की सीमा शुल्क संरचना को युक्ति संगत बनाया गया, कच्चे तेल पर शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया गया। घरेलू खपत के लिये L.P.G. तथा सब्सिडी प्राप्त कैरोसिन पर शुल्क की दर शून्य की गई तथा मोटर स्प्रिट (एम एस) तथा डीजल (एच एस डी) सहित अन्य पैट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क को 20% या 15% से घटाकर 10% किया गया।

<u>अप्रत्यक्ष कर (2005–06) उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर–</u>

<u>उत्पाद शुल्क–</u>

(1) पोलिएस्टर फिलामेंट, धागे, टायरों तथा एयरकंडीशनरों पर शुल्क को घटाकर 16 प्रतिशत किया गया।

सारणी 4.2 कर राजस्व के श्रोत

	वा0 अ0	वा0 आ0	वा0 आ0	वा0 आ0	वा0 आ0	वा0 आ0		ब0 अ0
	1990—91	1995—96	2000—01	2001—02	2002—03	2003—04	2004—05	2005—06
प्रत्यक्ष (क)	11024	33563	68306	69197	83085	105082	132027	177077
वैयक्तिक आयकर	5371	15592	31764	32004	36866	41379	48312	66239
निगम कर	5335	16487	35696	36609	46172	63562	83566	110573
अप्रत्यक्ष (ख)	45158	76806	118681	116125	131284	147294	171010	192215
सीमा शुल्क	20644	35757	47542	40268	44882	48629	57655	53182
उत्पाद शुल्क	24515	40187	68526	72555	82310	90774	99155	121533
सेवा कर	0	862	2613	3302	4122	7891	14200	17500
सकल कर राजस्व	57576	111224	188603	187060	216266	254348	304980	370025

सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रुप में राजस्व

प्रत्यक्ष (क)	19.1	30.2	36.2	37.0	38.4	41.3	43.3	47.9
वैयक्तिक आयकर	9.3	14.0	16.8	17.1	17.0	16.3	15.8	17.9
निगम कर	9.3	14.8	18.9	19.6	21.3	25.0	27.4	29.9
अप्रत्यक्ष (ख)	78.4	69.1	62.9	62.1	60.7	57.9	56.1	51.9
सीमा शुल्क	35.9	32.1	25.2	21.5	20.7	19.1	18.9	14.4
उत्पाद शुल्क	42.6	36.1	36.3	38.8	38.1	35.7	35.5	32.8
सेवा कर	0.0	0.8	1.4	1.8	1.9	3.1	4.7	4.7

श्रोत - आर्थिक समीक्षा- 2005-06 बजट दस्तावेज।

(2) स्वतन्त्र वस्त्र निर्माताओं को छूट मार्ग का लाभ उठाने या सेनवेट क्रेडिट के साथ 8 % का उत्पाद शुल्क अदा करने का विकल्प दिया गया।

(3) एम एस या पैट्रोल तथा एच एस डी पर उत्पाद शुल्क का निर्धारण यथा मूल्य तथा विशिष्ट शुल्कों के संयोजन के रुप में किया गया। एम एस के लिये 8% जमा 13 रु0 प्रति लिटर तथा एच एस डी के लिये 8% जमा 3.25 रु0 प्रति लिटर।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अंततः बिक्री के लिये कैरोसिन तथा घरों को आपूर्ति के लिये तरलीकृत पैट्रोलियम (एल पी जी) पर शुल्क को 8% से घटाकर शून्य किया गया।

(5) टायरों, ट्यूबों तथ फ्लैपों पर उत्पाद शुल्क को 24 प्रतिशत से घटकार 16 प्रतिशत किया गया।

(6) वस्त्र निर्मित धागों सहित पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर शुल्क को 24% से घटाकर 16% किया गया तथा स्वतन्त्र प्रसंस्करण कर्ताओं द्वारा बाहर से अधिप्राप्त धागों से विनिर्मित पोलिएस्टर फिलामेंट धागों सहित प्रसंस्कृत फिलामेंट धागों पर 8% का वैकल्पिक शुल्क लगाया गया।

(7) ब्रांडेड आभूषणों पर शुल्क 2%, मोजायक टाइलों पर 8% तथा 1800 सी0सी0 से अधिक की ईंधन क्षमता वाले सेमी0 ट्रेलरों के लिये सड़क ट्रैक्टरों पर 16 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कृषि ट्रैक्टरों को छूट दी जानी जारी है।

(8) चाय पर 1रु/किग्रा0 के अधिभार परिस्कृत खाद्य तेलों पर 1रु/किग्रा0 के शुल्क तथा

वनस्पति पर 1.25रु/किग्रा0 के शुल्क को समाप्त कर दिया है।

(9) वार्षिक कारोबार आधारित एस एस आई छूट के लिये उच्चतम सीमा को 3 करोड़ रुपये से बढ़कर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एस0एस0आई0 यूनिटों के पास दो विकल्प हैं– 1 करोड़ रुपये के प्रथम समाशोधन पर पूर्ण छूट या सैनवेट क्रेडिट के साथ 1 करोड़ के प्रथम समाशोधन पर सामान्य शुल्क।

(10) लौह पर इस्पात पर शुल्क 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया गया।

(11) अपवंचन रोधी उपाय के रुप में शीरे पर प्रति मी0 टन शुल्क को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रु0 किया गया, सीमेंट क्लिंकरों पर प्रति मी0 टन शुल्क को 250 रु0 से बढ़ाकर 350 रु0 किया गया।

(12) एम, एस तथा एच एस डी पर उपकर को 50 प्रतिशत पैसे प्रति लिटर बढ़ाया गया ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सके।

सिगरेटों पर विशिष्ट दर में लगभग 10% की वृद्धि की गई तथा बीड़ी को छोड़कर गुटका, चबाने वाली तम्बाकू, स्नफ तथा पानमसाला आदि अन्य तम्बाकू उत्पादों पर 10% का अधिभार लगाया गया।

सेवा कर–

1. सेवा कर 8 % से बढ़ाकर 10% किया गया। 1 अप्रैल 2005 से उन लघु सेवा प्रदागकों के लिये एक छूट योजना प्रयोज्य होगी जिनकी सकल कर योग्य सेवायें विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 4 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

2. विनिर्माता से प्राप्त निविष्टयों के उत्पादन प्रसंस्करण को छूट प्रदान की गई जिन्हें उत्पाद शुल्क के भुगतान पर समाशोधित किये जाने वाले अनुतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिये उसी विनिर्माता को लौटा दिया गया है।

VI- **अन्य आर्थिक चर–** अन्य आर्थिक चर में मुख्यतया विदेशी निवेश अनिवासी जमा राशियां और विदेशी ऋण की स्थिति का अध्ययन करेगे।

(1) **विदेशी निवेश–** भुगतान संतुलन में विदेशी निवेश प्रवाहों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह तथा पोर्टफोलियो प्रवाहों में विदेशी संस्थागत प्रवाह तथा भारतीय कम्पनियों द्वारा एडीआर और जीडीआर के जरिये जुटाये गये संसाधन शामिल है।

(2) **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ0डी0आई0)–** वर्ष 2001–02 से दो वर्ष तक गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाने के पश्चात वर्ष 2004–05 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (निबल) अन्तर्प्रवाहों में 36 प्रशित की वृद्धि हुई। (चित्र 6.3)।

(3) **विदेशी संस्थागत निवेश (एफ0आई0आई0)–** एफ डी आई की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में एफ आई आई अन्तर्प्रवाहों वर्ष 2003–04 तक पूंजी प्रवाहों की मुख्य किस्मों में नहीं था। वर्ष 1997 के पूर्वी एशियाई संकट के पश्चात इस तरह के प्रवाह वर्ष 1998–99 मे वास्तव में निबल बर्हिप्रवाह बन गये। (चित्र 6.3)। वर्ष 1999–2000 में मामूली सुधार के बाद वर्ष 2002–03 मे मंद एफ आई आई प्रवाह सतत रुप से होकर वर्ष 2002–03 में 377 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया तथापि वर्ष 2003–04 और 2004–05 इन प्रवाहों के लिये उल्लेखनीय रुप से तेजी वाले वर्ष रहे हैं।

चित्र– 6.3

कुल विदेशी निवेश, एफ डी आई तथा एफ आई आइ प्रवाह निबल: 1995–96 से 2004–05
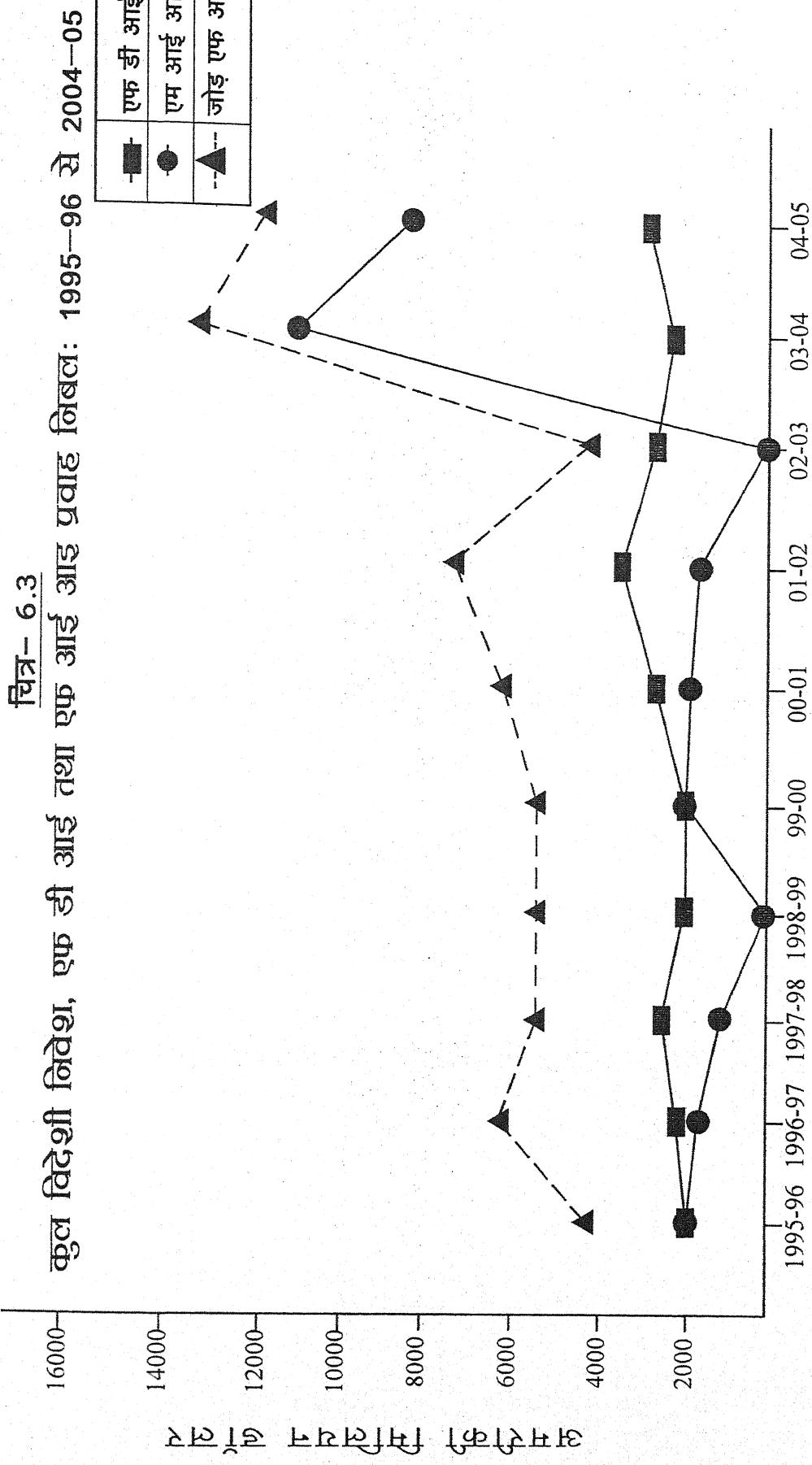
(ii) अनिवासी जमाराशियाँ– प्रवासी जमाराशियां परम्परागत रुप से पूंजी खाते के लिये स्थिर अन्तर्प्रवाहों का एक मुख्य श्रोत है।

वर्ष 1996–97 में 3.3 बिलियन अमरीकी डालर के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद 1990 के दशक के बाद के वर्षों के दौरान इन जमाराशियों में कुछ कमी हुई लेकिन वर्ष 2003–04 में इसमें पुनः सुधार हुआ और ये 3.6 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। लेकिन तत्पश्चात वर्ष 1990–91 के बाद पहली बार वर्ष 2004–05 में अनिवासी जमाराशियां निबल बहिर्प्रवाह बनी। चालू वर्ष के दौरान, नवम्बर 2005 तक 248 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य की ये जमाराशियां निबल बहिर्प्रवाह रही है। तिमाही आधार पर, भुगतान शेष के अनुमान दर्शाते हैं कि अप्रैल–जून, 2005 में 108 मिलियन अमरीकी डॉलर के निबल अर्न्प्रवाहों में अनिवासी जमाराशियां जुलाई एवं सितम्बर 2005 में 282 मिलियन अमरी डॉलर के निबल अन्तर्प्रवाहों में बदल गई जो इन जमाराशियों के प्रवाह की पद्धति में संभावित बदलावा को दर्शाती है।

इस समय, नई अनिवासी जमाराशियां दो खातो मे उपचित हैः क्रमशः विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एमसीएनआर (बी) और अनिवासी (विदेशी) रुपया लेख एन आई (ई) आर ए।

(iii) विदेशी ऋण– भारत का विदेशी ऋण मार्च 2005 के अन्त में 123.3 बिलियन अमरीकी डालर था, जो कि वर्ष के दौरान 11.6 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाता है। जिसमें 8.5 बिलियन अमरीकी डालर दीर्घावधिक ऋण और 3.1 बिलियन अमरीकी डालर अल्पावधिक ऋण के लिये था।

द्विपक्षीय एवं रुपया ऋण को छोड़कर दीर्घावधिक ऋण के सभी संघटकों ने वर्ष 2004–05 के दौरान वाणिज्यिक उधार के साथ वृद्धि दर्शाई थी तथा लगभग 5 बिलियन अमरीकी डालर की अत्याधिक वृद्धि दर्ज की, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजर की अनुकूल शर्तों ने भारतीय कारपोरेट की पहुंच बढ़ाई है। अल्पावधि ऋण अत्याधिक आयातों के कारण बढ़ा। इन्हीं कारणों के कारण भारत का विदेशी ऋण बढ़कर सितम्बर 2005 में 124.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। सारणी 6.4। तथापि 29 दिसम्बर 2005 को निष्पादित 5.5 बिलियन अमरीकी डालर के आई एम डी के शोधन से वर्ष 2005–06 के दौरान भारत के विदेशी ऋण में कमी की आशा है।

विदेशी ऋण की समग्र राशि मे बढ़ोत्तरी के बावजूद जीडीपी से सम्बद्ध ऋण और ऋण सेवा अनुपातों जैसे महत्वपूर्ण ऋण संकेतकों में वर्ष 2004–05 के दौरान भारत के विदेशी ऋण की स्थिति में सामान्य सुधार का संकेत दिखाई दिया।

सारणी 4.3 में जीडीपी अनुपात से सम्बद्ध कुल विदेशी ऋण में सुधार होकर वह मार्च 2005 के अन्त में 17.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 के दौरान ऋण सेवा अनुपात में 6.2 प्रतिशत तक गिरावट हुई। तथापि कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण कर हिस्सा तथा विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में सम्बद्ध अल्पावधि ऋण का अनुपात मार्च 2005 के अन्‍ में 6.1 प्रतिशत तथा 5.6 प्रतिशत बढ़ा। ग्लोबल डिवलपमेंट फाइनेंस, 2005 वर्ल्ड बुक के अनुसार तुलनात्मक रुप से सुखद विदेशी ऋण संकेतकों सहित भारत का वर्ष 2003 में लगातार विश्व के शीर्ष दस ऋण देशों में आठवों स्थान है।

*****

सारणी– 4.3

भारत के विदेशी ऋण

	वर्ष		मार्च अंत			सितम्बर अंत
	2000	2002	2003 सं0	2004 सं0	2005 सं0	2005 (ख0 अ0)
दीर्घावधि ऋण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	94327	96098	100289	107284	115754	116023
अल्पावधि ऋण	3936	2745	4669	4431	7524	8303
कुल विदेशी ऋण	98263	98843	104958	111715	123278	124326
दीर्घावधि ऋण (करोड़ रुपये)	411388	468932	476831	472128	506793	511575
अल्पावधि ऋण	17162	13396	22180	19251	32922	36525
कुल विदेशी ऋण	428550	482328	499011	491379	539715	548100

प्रतिशत के रुप में अनुपात

सकल घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में विदेशी ऋण	22.1	21.1	17.8	20.3	17.4	N.A.
कुल विदेशी ऋण के सम्बन्ध में अल्पावधि ऋण	4.0	2.8	4.5	4.0	6.1	6.7
चालू प्राप्तियों के सम्बन्ध मं ऋण शोधन	17.1	13.6	16.0	16.3	6.2	N.A.
कुल ऋण के सम्बन्ध में रियायती ऋण	38.9	35.9	36.8	36.1	33.3	31.6
विदेशी ऋण परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में अल्पावधि ऋण	11.2	5.4	6.5	4.0	5.6	6.1

श्रोत- आर्थिक समीक्षा (2005-06)।

चतुर्थ अध्याय

आर्थिक सुधारों के सुपरिणाम

(i) वाणिज्य एवं व्यापार

(ii) उपभोक्ता

(iii) किसान

(iv) करदाता

(v) निम्नवर्ग– मजदूर आदि

आर्थिक सुधारों के सुपरिणाम

चतुर्थ अध्याय

1. वाणिज्य एवं व्यापार– आर्थिक सुधारों के प्रजापति ब्रह्मा पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी0वी0 नरसिंह राव जी हैं। उच्च आर्थिक दर अर्थ व्यवस्था की मजबूती तथा प्रतिस्पर्धा की क्षमता की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक विदेशी निवेश किया गया।

लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें मजबूत तथा प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सक्षम बनाया।

वर्ष 2002 वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में यानी अप्रैल से सितम्बर के बीच औसतन औद्योगिक विकास की दर लगभग 5.2 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में वह दर 2.4% थी। इससे एक उत्साहजनक माहौल बना, इसी वर्ष में निर्माण के क्षेत्र में भी विकास की दर अच्छी रही वर्ष के प्रथमार्थ में निर्माण क्षेत्र में भी विकास की दर 7.3% थी। इस अवधि में निर्यात में भी वृद्धि हुई है सरकार ने इस पूरे वर्ष में स्थिति वृद्धि दर 12% निर्धारित की।

वर्ष (2003–04)

वैश्विक सुधार के सुदृढ़ होने से वर्ष 2004 में वैश्विक उत्पादन तथा व्यापार में विकास की सम्भावनाएं उज्ज्वल हुई हैं। वैश्विक व्यापार में सम्भावित ठोस उछाल से भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में सहायता मिलने की आशा है तथापि इस मौजूदा संवृद्धि के जोखिमों में काफी कमी आई है। इनमें वैश्विक तेल कीमतों को निरन्तर सुदृढ़ता, प्रमुख मुद्राओं के मध्य उत्प्लावकता और विकसित देशों ब्याज दर बढ़ोत्तरी के खतरे शामिल हैं। निम्न ब्याज

दर से संभाव्य वैश्विक संक्रमण और मुद्रा असंतुलन के प्रभाव का सफलतापूर्वक प्रबन्धन करने में व्यापक नीतियों की प्रभावोत्पादकता की प्रासंगिता सिद्ध हो रही है।

वैदेशिक क्षेत्र मजबूती का श्रोत रहा है जो ऐसे सार्वजनिक नीतियों के संचालन को सहज बनाता है। यह क्षेत्र पिछले वर्षों में मजबूत हुआ है जहां अब भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति नीतिगत चिंता का विषय नहीं रहा है। जहां व्यापार घाटा बढ़ा है वहीं पिछले तीन वर्षों में चालू लेखा अधिशेष में रहा है ऐसा मुख्यतया अनिवासी भारतीयों से विप्रेषण के कारण हुआ है वर्ष 2003–04 में बड़ी मात्रा में पूंजी प्रवाह से आरक्षित निधियों का और संचयन हुआ है जिससे आरक्षित निधियों की पर्याप्तता के विभिन्न संकेतकों के अनुसार आरक्षित निधियों की सुखद स्थिति व्यक्त होती है। ये आरक्षित निधियां व्यापार, सुधार तथा अन्य प्रशासनिक उपायों को मजबूत करने की दिशा में अवसर उपलब्ध कराते हैं। भारत पहले ही आटोकल पुर्जो और अन्य इंजीनियरिंग सामानों के लिए एक मुख्य केन्द्र के तौर पर देखा जा रहा है अगले वर्ष एटीसी के समाप्त होने के अवसर मिलेंगे, विभिन्न नीतिगत घोषणाओं के आधार पर निर्यात वृद्धि की व्यापक रणनीतियों के निर्माण की आवश्यकता है जो निर्यात वृद्धि को उच्च तथा सतत विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। एशियाई देशों के साथ टैरिफ की कमी से अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा पर लाभदायक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

भारत के भुगतान संतुलन में वर्ष 2003–04 से महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अधिशेषों के तीन लगातार वर्षों के बाद नवोदित चालू लेखा घाटा चालू वर्ष में अधिक अनुपात में रहा है। घाटा मुख्यतः बचतों के मुकाबले निवेश में अधिकता को प्रदर्शित करता है जिसे विदेशी

पूंजी प्रवाहों से वित्त पोषित किया जा रहा है।

पण्य तथा सेवा के आकार में हाल के वर्षों में नियमित वृद्धि देखी गई है जो विश्व के शेष देशों के साथ अर्थव्यवस्था के बेहतर समेकन को स्पष्ट करते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में उच्च वृद्धि कई वर्षों से बनी है। वर्ष 2004–05 में इस वृद्धि का प्रमुख घटक विनिर्माण क्षेत्र था। पूंजीगत माल ने 2004–05 के दौरान अपनी वृद्धि दर में तीव्र गति बनाए रखी।

भारत के अनुसंधान और विकास, इंजीनियरी डिजाइन, दूरसंचार सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण केन्द्र के रूप में विश्व के निर्यातक के रूप में देखे जाने से प्रौद्योगिकी गहन सेवाओं के निर्यात की बड़ी सम्भाव्यता है। एटीसी की समाप्ति से वस्त्र निर्यात में तेजी आने की सम्भावना है।

निवेश परिदृश्य में घरेलू और विदेशी निवेश दोनों में ही प्रत्यक्षतः सुधार होने से और निवेश को मार्गदर्शित करने वाले मानदण्डों को और उदार और सरल बनाने के लिए किए गए नीतिगत उपायों से कुल मिलाकर औद्योगिक क्षेत्र की समग्र उत्पादक क्षमता के पर्याप्त मात्रा में बढ़ने की सम्भावना है।

कच्चे तेल के उत्पादन में सम्भावित वृद्धि को देखते हुए खनन क्षेत्र के कार्य निष्पादन में निकट भविष्य में सुधार आने की आशा है।

(ii) उपभोक्ता– फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शर्मा का कहना है कि मौजूदा समय उपभोक्तावाद का है आम आदमी जितना कमाता है

उससे कहीं ज्यादा खर्च करने की योजना पहले से ही बना लेता है।

समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है चाहे वह किसान हो उत्पादक हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, या फिर सरकारी कर्मचारी हो। अतः यहां पर हम प्रत्येक वर्ग जो उपभोग करता है को लेंगे सन 2002 के बजट प्रस्तावों (आर्थिक सुधारों के) उपभोक्ता के लिए सुपरिणाम निम्नवत हैं।

1– तेल क्षेत्र में कई दूरगामी प्रस्तावों की घोषणा की गई है उसे सरकारी मूल्य निर्धारण से मुक्त करके तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से जोड़ दिया। इसके फलस्वरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो गई। तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण तेल भण्डार खाते में सरप्लस हो गया है।

विदेशी शराब को सस्ता कर दिया गया।

सन् 2003 में– उपभोक्ता हित में सस्ती होने वाली वस्तुएं।

(i) छाते, रजिस्टर तथा लकड़ी की वस्तुएं, नकली जरी, घड़ी।

(ii) किरोसिन प्रेशर लालटेन, सीडी, बायसिकल, खिलौनी, टाइल।

(iii) बर्तन व रसोई की वस्तुएं, माचिस, प्रेशर कुकर, कार।

(iv) टायर और इलेक्ट्रिक वाहन तथा जीवन रक्षक दवाएं।

(v) बिस्कुट, दंत चिकित्सा, कुर्सी, शीतल पेय, एयर कंडीशनर।

केन्द्रीय सांख्यकी संगठन (C.S.O.) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2004 की पहली छमाही (अप्रैल–सि0) में G.D.P. की विकास दर 6.7% थी और वित्तीय वर्ष 2005

में G.D.P. पहली छमाही में 8.1% दर्ज की गई।

(iii) किसान– पिछले कई वर्षों से नई तकनालाजी अपनाने के फलस्वरूप फसलों के कुल उत्पादन और उत्पादिता एवं रोजगार में लगातार वृद्धि हुई है। क्योंकि बहुविधि फसलों और भाड़ा मजदूरों के प्रयोग से रोजगार के अवसरों कृषि में हरित क्रान्ति लाने के संकल्प ने जनमानस पर अच्छा प्रभाव डाला है।

कृषि में विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो गया है और इसके खाद्यान्न आयात नाममात्र हो गए और वह बफर–स्टाक कायम करने में सफल हो गया ताकि, किसी एक वर्ष या लगातार दो–तीन वर्षों में पड़े सूखे का सामना कर सके। इससे हमारी कृषि और किसान सबल बन गए और उनका खेती करने का स्तर और रहन–सहन का स्तर ऊंचा उठा है।

सन् 2002–03 के बजट में अनाज की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही मुक्त करने, नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर पाबंदियां उठाने, कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए मझोली और बड़ी इकाइयों को भी अनुमति प्रदान करने, कृषि निर्यात और उदार बनाने, सभी कृषि उपजों का वायदा बाजार विकसित करने, ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास कोष (आई0डी0एफ0) के लिए आवंटन बढ़ाकर 5500 करोड़ तथा इस पर ब्याज की दर 2% घटाकर 8.5% करने का प्रस्ताव किया।

(iv) करदाता– सन् 2002–

(1) आयात शुल्क और उत्पाद कर का मुक्तिकरण करके उद्योग क्षेत्र में निवेश आसान बनाया।

(2) सन् 2003 में व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए एक पृष्ठीय फार्म।

(3) कर प्रशासन को सरल और आधुनिक बनाया गया।

(4) एल0टी0सी0 पर रोक हटी विकलांगों को आयकर छूट।

सन् 2003-04-

(5) वैतनिक कर्मचारियों जिनकी वेतन आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है के लिए मानक छूट बढ़ाकर 40% या 30,000 रुपए जो भी कम हो कर दी गई। वैतनिक कर दाताओं के लिए जिनकी वेतन से आय 5 लाख रुपए से अधिक है मानक छूट 20000/- रुपए हैं।

(6) 5 लाख रुपए तक के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भुगतान चाहे उनका एकमुश्त भुगतान किया जाए या किस्तों में, आयकर से मुक्त होंगे।

(7) आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मुख्यतः दो कारणों से एक क्रान्तिक घटक है।

(8) राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में कर राजस्व आवर्धन मुख्य विषय होना चाहिए, क्योंकि कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात निम्न बना हुआ है।

(9) केलकर कृतिक बल ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों में कारोबार प्रक्रियाओं की पुनः रूपरेखा तैयार करनेके लिए नक्शे का खाका तैयार किया है। इसके अनुसरण में कई उपाय किए गए हैं- जैसे- छूट तंत्र की पूरी जांच करना, अधिसूचनाओं की संख्या में कमी लाने कार्यविधियों को सरल बनाने तथा कागज रहित एवं पारदर्शी प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाने की स्पष्ट आवश्यकता है जो कि विश्वास पर संचालित होगी।

(10) संरक्षण तथा छूटों के माध्यम से कराधार का विस्तार।

(11) ब्रेकट कीप, वर्गीकरण, विवादों और न्यून दरों के लिए पैरवी की समस्याओं से बचने के लिए कम परन्तु न्यून दरें की गई।

(12) कर प्रणाली उर्धवस्थ व संपार्श्विक दोनों की इक्विटी बढ़ाना।

(13) भारतीय सामान और सेवाओं का उत्पादनव अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए गैर विकृत उपभोग करों की ओर अन्तरण।

(14) वर्तमान व भावी उपभोग संगठन के रूपों और वित्त श्रोतों के बीच तथष्टता बढ़ाना।

(15) एक प्रभावी व कुशल अनुपालन प्रणाली की स्थापना की गई।

कर राजस्व के तत्काल श्रोतों की तुलना में उत्प्लावकता पर ध्यान दिया।

(16) केलकर कृतिक बल ने कर– स.घ.उ. अनुपात को 2003–04 (अनन्तिम) में 9.2% से, प्रगामी रूप से बढ़ाकर 2008–09 में 13.17% करते हुए 2008–09 में एफ0आर0बी0एम0 (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम) के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रयासरत हैं।

(17) वर्तमान कर प्रणाली को और अधिक सरल और सुप्रवाही बनाने की ओर अग्रसर।

(18) स.घ.उ. के प्रति उच्चतर कर अनुपालन के जरिये हासिल राजकोषीय सुधार का प्रयोग सामाजिक अवसंरचना तथा अन्य विकास आवश्यकताओं में घाटों के छूट प्रदान कग्ने के लिए किया जा रहा है।

(19) 5 वर्ष से अधिक बैंक जमा कर आयकर छूट।

(20) एफ0बी0टी0 20 से घटकर 5% हो गई (फिंज बनैफिट टैक्स सीमान्त या लाभ कर)।

(21) राज्यों के स्तर पर लागू विभिन्न तरह के करों को हटाकर उनकी जगह मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू की गई।

(v) निम्न वर्ग, मजदूर आदि– 1. सन् 2002 में वित्तमंत्री ने गरीब परिवार की बालिकाओं को कम दर पर खाद्यान्न की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया।

2. एक रुपए प्रतिदिन के भुगतान के आधार पर गरीबों के लिए जन रक्षा नाम की एक बीमा स्कीम की घोषणा की। इसके तहत कोई भी व्यक्ति चयनित और निर्धारित अस्पतालों में प्रतिवर्ष 30 हजार रुपए तक अंतरंग उपचार कराने का हकदार होगा।

3. केन्द्र सरकार ने देश के विकास और (निम्न वर्ग) आदमी को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारम्भ की हैं, जिनमें ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत निर्माण और शहरी पुनरुत्थान योजना शामिल है करीब आठ लाख करोड़ रुपए की बजट वाली ये योजनाएं धन की कमी के कारण भले ही आधी–अधूरी इच्छाशक्ति से शुरू की गई प्रतीत होती है, लेकिन यदि इनके लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है और इनके क्रियान्वयन में ईमानदारी बरती जाती है तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि इनसे आम आदमी को काफी लाभ पहुंचेगा।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं की मात्रा 20 कि0ग्रा0 से बढ़ाकर 35 कि0ग्रा0 कर दिया गया।

*****

पंचम अध्याय
आर्थिक सुधारों के दुष्परिणाम

(i) वाणिज्य एवं व्यापार

(ii) उपभोक्ता

(iii) किसान

(iv) करदाता

(v) निम्नवर्ग– मजदूर आदि

पंचम अध्याय

* आर्थिक सुधारों के दुष्परिणाम *

(1) वाणिज्य एवं व्यापार–

1. भारतीय अर्थतंत्र की विकास दर गत 1996–97 से लगातार घट रही है।

2. दोहा दौर की व्यापार वर्ताओं के अन्तर्गत बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण में और तेजी लाने हेतु वैश्विक समुदाय के समक्ष तत्कालिक स्वरूप की चुनौतियां हैं ऐसे उदारीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों द्वारा कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के विरुद्ध हाल के संरक्षणवादी उपायों से ऐसे आउटसोर्सिंग से न केवल कुशलता लाभ से बल्कि इस प्रक्रिया के अधीन बचाए गए संसाधनों से रोजगार लाभ से वंचित होना पड़ेगा।

3. आज वाणिज्य एवं व्यापार के सुधारों के कुछ दुष्परिणाम मुख्य हैं जिन्हें यदि दूर कर दिया जाए तो भारतीय उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।

(i) लघु क्षेत्र के लि आरक्षण, (ii) उच्च सीमा शुल्क टैरिफ, (iii) श्रम कानूनों की कठोरता जो बड़ी फर्मों का निर्माण करने और बड़े पैमाने पर किफायत और कार्य क्षेत्र का लाभ उठाने में बाधक है, (iv) सामान्य प्रतिस्पर्धी बाजार की गति की प्रतिक्रिया स्वरूप फर्मों के शुरू और बन्द होने में सामने आने वाली समस्याएं और (v) अप्रत्यक्ष करों की संरचना में विकृतियां, जिससे संसाधनों के आवंटन पर प्रभाव पड़ता है।

4. इसके साथ–साथ औद्योगिक वृद्धि दर भी अब कई वर्षों से 10% के स्तर से नीचे बनी रही है। भारतीय आर्थिक नीति के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती 10% से अधिक की औद्योगिक

वृद्धि दर हासिल करने के लिए कार्य नीतियां बनाना है।

विद्युत क्षेत्र चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्राइवेट निवेश लगभग स्थिर ही बना रहा है। ब्याज दरों का उच्च स्तर पर बने रहना भी निवेश में स्थायी वृद्धि का दूसरा निरुत्साहक घटक है।

5. जनवरी 2005 के बाद व्यावसायियों और निवेशकों का भारत में विश्वास काफी कम हो गया है। नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड एकॉनोमिक रिसर्च (NCAER) ने एक सर्वे में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से भारतीय शेयर बाजार में उथल–पुथल मची है तब से यानी कुछ महीनों के दौरान पूंजी बाजार में निवेश के मामलों में निवेशकों की रुचि में काफी कमी आई है। वर्ष 2000–01 में G.D.P. की विकास दर 6% थी, जो उसके अगले ही वर्ष पिछले एक दशक के सबसे कम स्तर पर पहुंचकर मात्र 4.2% रह गई, लेकिन 2003–04 मे अर्थव्यवस्था ने लम्बी छलांक लगाई और विकास दर बढ़कर 8.5% हो गई, लेकिन फिर 2004–05 में विकास दर 6.8% रह गई। इस तरह पिछले 3–4 वर्षों से अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 6.3% के आसपास चल रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आठ प्रतिशत तो दूर सात प्रतिशत ही औसत विकास दर हासिल करना भी एक टेढ़ी खीर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ सबसे बड़ी यह समस्या है आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद जी0डी0पी0 की विकास दर में काफी उतार–चढ़ाव होता रहा है और विकास दर में स्थायित्व का अभाव दिखता है।

2. **उपभोक्ता–** (i) सन् 2002 में रसोई गैस और किरोसिन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। रसोई गैस में 40 रु0 प्रति सिलेण्डर वृद्धि के साथ–साथ मोमबत्ती, बल्व, पांच सौ रुपए तक घड़ियां, घरेलू इस्तेमाल के कांच के बर्तन, काले सफेद टी0वी0, टूथब्रुश और नकली जेवरों पर उत्पाद शुल्क दोगुना कर दिया है।

2. सीमेंट तथा हल्का डीजल महंगा हो गया। डिब्बा बंद वनस्पति तेल महंगा हो गया।

3. ब्रांड वाले रिफाइण्ड खाद्य तेल पेट्रोलियम व उर्वरक महंगे हो गए।

4. चबाने वाली तम्बाकू, मोटर, स्प्रिट और कीटनाशक महंगे हो गए।

5. देश के उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु की खरीद पर औसतन 35 फीसदी कर अदा करना होता है।

देश में उपभोक्ता वस्तुओं पर कुल कर भार 44.11 फीसदी, पूंजीगत वस्तुओं पर 43.26 फीसदी, आधारभूत वस्तुओं पर 30.28 फीसदी और माध्यमिक वस्तुओं पर 30.06 फीसदी बैठता है।

इसकी वजह से इन वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ जाती हैं जिसका सीधा असर देश के आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है।

6. जरूरी चीजों की कीमतों को काबू करने में सरकारें पूरी तरह विफल रही हैं पिछले दो साल के दौरान आटा, चावल, चीनी, दाल और सरसों तेल जैसे जरूरी चीजों की कीमतों में 50 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हुई है। इस महंगाई की मार से आम उपभोक्ताओं की कमर टूटी जा रही है। (सारणी–4.4)

सारणी-4.4
आसमान छूती कीमतें- कीमत रु० में

वस्तुएं	20 मई 04	20 मई 06	वृद्धि
आटा चक्की	7.50/8.00	11.50/2.00	50%
चावल (सामान्य)	7.50/8.00	16/17	112%
सरसों का तेल	35/36	58/60	66%
वनस्पति	38/40	60/62	55%
चीनी	15	23/24	60%
अरहर दाल	26/28	42/45	60%
रसोई गैस	284/	295	04%
पेट्रोल	37.99	43.51	15%
डीजल	26.45	30.47	15%

(iii) **किसान**– बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हमारे कृषि क्षेत्र पर लगी गिद्ध दृष्टि के चलते विगत एक दशक से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ने के बजाए घटा है हमारे रहनुमाओं द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में लिए जाने वाले फैसलों, कृषि के क्षेत्रों की उपेक्षा परम्परागत बीजों के बजाए दुनिया की कुछ बड़ी बीज कम्पनियों जैसे– मोसेंटों, डूपोंट, साइजेंटा आदि के दबाव में हाइब्रिड बीजों का उपयोग और मौसम की प्रतिकूलता के चलते किसानों की हालत दिन–ब–दिन खराब होती जा रही है। बाहर से महंगे हाइब्रिड बीजों के निर्यात करने के कारण हमारे अपने कृषि अनुसंधान बंद हो गए हैं। कम पानी कम रसायन, कम कीटनाशकों की जरूरत वाले बीजों

का आविष्कार न कर हम लगातार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में ऐसे बीजों की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक दिन हमारे पूरे कृषि व्यवसाय को अपने नियंत्रण में ले लेगी। कांट्रेक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों को उनकी ही जमीन पर मजदूर बनाया जा रहा है और इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में किसानों से उनकी जमीन उनकी संस्कृति को हड़पा जा रहा है। कांट्रेक्ट फार्मिंग का दूसरा पहलू यह भी है कि गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा है जिसे जमीन की उर्वरता कम समय में ज्यादा लाभ बटोरने के कारण समाप्त की जा रही है। किसानों की दुर्दशा के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों दोषी हैं। किसानों के सामने खेती से लेकर अपने जीवन का संकट गहरा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल और सरकारें किसानों को महज कोरे आश्वासन दे रही हैं। किसानों को वायदों के सिवा, कुछ नहीं मिल रहा, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इससे बुरा क्या होगा कि अन्नदाता को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

एसइजेड के नाम पर राज्य सरकारें किसानों की जमीन ले रही हैं बड़े व्यावसायिक घराने एसइजेड बना रहे हैं किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

देश के कुल रोजगार का 57 प्रतिशत हिस्सा कृषि और उस पर आधारित क्षेत्रों पर आश्रित रहा है। कुल राष्ट्रीय आय का चौथाई हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है विगत छह–सात वर्षों से देश का आर्थिक विकास छह से आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का दावा किया जा रहा है। जबकि हमारी कृषि उत्पादकता लगातार घट रही है। सेंसेक्स की ऊंचाई के सहारे एक वर्ग वातानुकूलित कमरे में बैठा मुनाफा कमा रहा है तो दूसरी ओर हमारा किसान खाद, बीज और बाढ़ सूखे से जूझ रहा है। उसकी हालत पहले से खराब हुई है। कृषि लागत लगातार

बढ़ाई जा रही है। किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन भला कैसे बढ़ेगा? 1967 में 2.6 क्विंटल गेहूं सेएक तोला सोना खरीदा जा सकता था। आज 14.2 क्विंटल गेहूं से उतना सोना खरीदा जा सकता है। आज हम गेहूं, दाल, चीनी और प्याज आयात करने पर मजबूर हो रहे हैं। देश के तमाम वैज्ञानिक विकास के बावजूद अभी भी 60 प्रतिशत कृषि वर्षा पर आधारित हैं कुल कृषि योग्य भूमि (1,829.2 लाख हेक्टेयर) का 63 प्रतिशत असिंचित है। किसानों और गैर किसानों की औसत आमदनी में पांच गुना का अन्तर है। खेती बारी के बेहद घाटे का सौदा बनने के कारण चालीस फीसदी से अधिक किसान अब इसे त्याग कर शहरों की ओर पलायन की इच्छा जता रहे हैं।

भारत देश जहां पर लगभग पैंसठ करोड़ आबादी खेती पर निर्भर है और दूसरे 20 करोड़ लोग कृषि कामगार हैं, दोषपूर्ण आर्थिक उदारीकरण का दुष्परिणाम झेल रहे हैं। कृषि क्षेत्र से राज्य के समर्थन को धीरे–धीरे खींचकर किसानों को मानसून व बाजार के रहम पर छोड़कर दरअसल राष्ट्रीय नीतियां व्यापारिक व औद्योगिक घरानों के पक्ष में झुक रही हैं।

उत्तर प्रदेश में किसानों की आमदनी सबसे कम महज 1,630 रुपए प्रतिमाह थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के किसानों की हालत उनसे थोड़ी सी ही अच्छी थी। जबकि सबसे बेहतर कृषि आय जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई, जहां के किसानों की खेती से होने वाली कमाई 5500 रुपए मासिक थी। इसके आसपास ही पंजाब और केरल के किसानों की स्थिति थी। कृषि मंत्रालय के पिछले अध्ययन भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पिछले पांच वर्षों से कृषि क्षेत्र की कमाई गिर रही है। भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण के मौजूदा दौर में किसान

कहीं अधिक दण्डित हो रहे हैं।

(iv) करदाता–

(1) जिन लोगों की वार्षिक आय रुपए 5 लाख से कम है उन्हें छोड़कर अन्य सभी आयकरदाताओं को कर रियायतों में कटौती कर दी गई है।

(2) सन् 2003 में निजी आयकर पर 5 फीसदी अधिभार पूरी तरह से खत्म।

(3) घाटों को कम करने के लिए क्रमिक बजटों में की गई पहलों के बावजूद राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मुख्यतया राजकोषीय लक्ष्यीकरण में जवाब देहिता के अभाव के कारण दुर्दमनीय बना रहा।

(4) पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रयोज्य उत्पाद शुल्क की राथामूल्य दरों को विशिष्ट दरों में बदलना तथा लघु उद्योगों के लिए आरम्भिक छूट सीमा 1 करोड़ रुपए से घटाकर 40 लाख रुपए करना।

(5) रिटर्न की 1/6 स्कीम खत्म।

(6) सर्विस टैक्स 10 से बढ़कर 12 फीसदी।

(7) एटीएम समेत 15 नई सेवाओं पर सेवाकर।

(8) शेयर ब्रोकरों पर टैक्स लागू।

(9) ए0आर0 को पैन जरूरी।

निष्कर्षतः– सरकार ने अपने आय के श्रोत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को कर सीमा में लाने का प्रयास किया जिससे गैर बचत वाले लोग भी कर चुकाने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

परिणामस्वरूप मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग जीवन यापन सम्बन्धी सुविधाओं को जुटाने में असमर्थ हो जाएंगे। ऐसे में लोग करों से बचने की कोशिश करेंगे अथवा अनैतिक कार्य करेंगे।

(v) मजदूर या निम्न वर्ग– (1) सन् 2002 के बजट में, पूरे देश में गरीब वर्ग द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का तेल प्रति लीटर पर 1.50 पैसे की वृद्धि की गई यह गरीबों पर निर्मम प्रहार है।

(2) हाल के आंकड़ों ने बताया कि मुद्रा स्फीति की दर 5.24 प्रतिशत रही है। आटा–दाल से लेकर सब्जियां तक सभी कुछ महंगी हो चुकी हैं। औसतन एक मध्यवर्गीय परिवार के बजट में हाल की महंगाई ने कम से कम 15–20 फीसदी की चोट की है। निम्न मध्यमवर्गीय आदमी की हालत और भी खराब है। दाल–आटा 20 से 70 फीसदी की उछाल खुदरा बाजार में दिखा रहा है। पर आम जनता, रिक्शा वाले और असंगठित मजदूर की कमाई जनवरी, 06 से लेकर जून, 06 तक थोड़ी भी नहीं बढ़ी है ऐसे में उनकी परेशानियों की कल्पना की जा सकती है।

बढ़ती महंगाई में पुराने जीवन स्तर को बनाए रखना बहुत कम लोगों के लिए सम्भव है। खास तौर पर उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, जिनकी आय किसी महंगाई सूचकांक से नहीं जुड़ी है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए स्थितियां लगातार मुश्किल होती जा रही हैं। उदाहरण के लिए रिक्शे वालों, घरों में साफ–सफाई का काम करने वाली महिलाओं के पारिश्रमिक में 17% की बढ़ोत्तरी नहीं हुई, पर उन्हें गेहूं करीब 20% महंगा खरीदना पड़ रहा है।

यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हाशिये पर रह रहे लोगों को दो वक्त की रोटी उपलब्ध कराए। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था इस मामले में निहायत निकम्मी साबित हुई है।

योजना आयोग द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक, गरीबों का 57% हिस्सा तो मौजूदा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के दायरे में आता ही नहीं। बल्कि जब से नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू हुई है मध्य वर्ग को भी राशन की चीनी और गेहूं से सरोकार नहीं रहा।

मैग्साय पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे ने हाल में बताया कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरीबों को पता ही नहीं है कि उनके लिए अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपलब्ध है। गरीबों के लिए जो अनाज सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, वह तस्करी द्वारा कहीं और पार हो जाता है।

तो मसला यह है कि 5.24 प्रतिशत महंगाई का समग्र आंकड़ा इतना खौफनाक नहीं है, जितना खौफनाक यह तथ्य है कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा न्यूनतम खाद्य सुरक्षा से भी वंचित हो रहा है गरीब को दो जून की रोटी के जुगाड़ के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। गेहूं आटे के भाव, इतनी ऊंचाई पर किसी घटना का नहीं, घटनाक्रम का परिणाम है जो अर्थव्यवस्था में कई सालों से चल रहा है।

*****

षष्टम् अध्याय

बजट प्रावधानों का जनमानस पर प्रभाव

(i) आयात–निर्यात–छूट–उत्पादन शुल्क–व्यापारी।

(ii) छूट में कमी, समाप्ति, किसान, व्यापारी, खाद बीज।

(iii) कर प्रस्तावों में संशोधन–करदाता।

(iv) रेल किराया

(v) पेट्रो–केमिकल्स

(vi) ईंधन

(vii) स्वास्थ्य सेवायें

(viii) डाक–तार सेवायें

* षष्टम् अध्याय *

बजट प्रावधानों का जनमानस पर प्रभाव

(i) <u>आयात–निर्यात–छूट</u> (उत्पादन शुल्क– व्यापारी सन्दर्भ)– पीसी के उपनाम से मशहूर वित्तमंत्री पी0 चिदंबरम एक अर्थशास्त्री के रूप में यह मानते हैं कि बजट में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कमी से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकसित होगी, इस सम्बन्ध में उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे ही बजट में उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा हुई, छोटी कार बनाने वाली दो कम्पनियों ने अपने विभिन्न मॉडल के दाम घटाने की घोषणा कर दी। इससे आटो उद्योग को तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी।

देश के प्रमुख उद्योग मण्डलों ने वर्ष 2003–04 के आयात–निर्यात नीति "एक्जिम पालसी" को विदेश व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक साहसी कदम बताते हुए इसका स्वागत किया है। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अरुण जेटली ने नई एक्जिम नीति घोषित करते हुए कहा कि इस वर्ष 2003–04 में सेवा क्षेत्र और कृषि वस्तुओं के निर्यात पर ज्यादा जोर दिया गया है।

एसोसिएटेड चेंबर्स आफ कॉमर्स 'एसोचेम' ने एग्जिम नीति को व्यावहारिक और निर्यातोन्मुखी बताते हुए कहा कि निर्यात की प्रतिबन्धित सूची से पांच वस्तुओं को हटाने का निर्णय सम्पूर्ण निर्यात की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके कारण विश्व व्यापार में एक फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य और आसान होगा। एसोचैम का मानना है कि सेवा

क्षेत्र निर्यात पर विशेष ध्यान, पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर रियायत 'ईपीसीजी' योजना का उदारीकरण और कृषि निर्यात क्षेत्रों को मजबूत बनाकर निर्यात बढ़ाने के प्रयास काफी साबित होंगे। सी0आई0आई0 के अध्यक्ष वाई0सी0 देवेश्वर ने आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास दर 8.1 फीसदी रहने के अनुमान पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अगर सुधारों की गति को जारी रखा जाए तो आने वाले सालों में देश 9% की विकास दर हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास दर में कृषि क्षेत्र की 2.3 उद्योग की 9%, मैन्यूफैक्चिरिंग क्षेत्र की 9.4% और सेवा क्षेत्र की 9.8% वृद्धि दर का योगदान रहा है। अब आर्थिक विकास की दर को 9% पर ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दरो 4% और मैन्यू फैक्चिरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर 12% करने की आवश्यकता है अर्थव्यवस्था में बेहतर वृद्धि के साथ ही मुद्रास्फीति की दर 5% के स्तर पर रहने से पूंजी की लागत को बढ़ने से रोकने में मदद मिली है।

पी0एच0डी0 चैम्बर आफ कॉमर्स ने कहा कि कई मामलों में शुल्क नहीं लगाने या न्यूनतम की नीति जारी रखने से निर्यातक समुदाय को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि नीतियों में स्थायित्व होना काफी जरूरी है। खाड़ी संकट और वैश्विक निर्यात मंदी की दृष्टि से भी आवश्यक है।

चेम्बर अध्यक्ष विनोद चंडिओक ने कहा कि सरकार ने शुल्क पात्रता पास बुक, डी ई जी बी व्यवस्था रखने का अच्छा निर्णय लिया है। नए उत्पादों के निर्यात में डी ई पी बी की अस्थायी दर तय करने जैसे प्रावधान काफी मददगार होंगे।

भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ (फिक्की) ने कहा कि घोषित एक्जिम नीति दीर्घकाल की रणनीति के मुताबिक है और 2007 तक विश्व व्यापार में 1 प्रतिशत भागेदारी का लक्ष्य हासिल करना और आसान होगा।

फिक्की ने परिचालन लागत कम करने के लिए प्रक्रिया आसान बनाने के उपायों की सराहना की और कहा कि आयात–निर्यात की प्रक्रिया जितनी आसान होगी कामकाज में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

हार्डवेयर निर्माताओं के संगठनमेट ने एक्जिम पालसी का स्वागत किया और कहा कि नीति में हार्डवेयर का प्रमुखता देकर उसके वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनने में मदद की गई।

अन्य प्रमुख संगठनों में इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ई0एस0सी0) और कोलकाता के इंडियन चेम्बर आफ कॉमर्स ने भी एक्जिम नीति की प्रशंसा की है। तेल का खेल उतना साफ नहीं है जितना मोटे तौर पर दिखता है तेल के खेल को गहराई से देखें, तो पता चलता है कि आने वाले 30 वर्षों में विश्व की राजनीति, अर्थनीति और कूटनीति इससे ही तय होगी। मसला यह है कि विकास और तेल की खपत, का सकारात्मक रिश्ता है। यानी जो अर्थ व्यवस्थाएं विकसित होती हैं वहां तेल की खपत तेजी से बढ़ती है।

भारत चीन के बाद सबसे तेजी से विकसित होता पेट्रोल का उपभोक्ता बाजार है यू0एस0 इनर्जी इनफॉरमेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2025 तक भारत की खपत का स्तर 53 लाना बैरल रोजाना तक पहुंच जाएगा। फिलहाल यह करीब 22 लाख बैरल रोजाना है।

और नवम्बर 2001 में 18 डालर/बैरल भाव में मिलने वाला तेल अगस्त 2005 में 70

डालर/बैरल के भाव में पहुंच गया था। भारत 75 फीसदी तेल आयात करता है।

(ii) छूट में कमी/समाप्ति (किसान, व्यापार, खाद, बीज आदि संदर्भित)–

देश भर के व्यापारिक संगठनों ने सरकार से बजट में घरेलू व्यापार के लिए पंचवर्षीय योजना लाने की मांग की है साथ ही घरेलू व्यापार को मजबूती प्रदान करने के लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर आंतरिक व्यापार मंत्रालय के गठन किए जाने का भी सुझाव दिया है। व्यापारियों के राष्ट्रीय संगठन कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के मुताबिक अगले वित्त वर्ष को सरकार व्यापार वर्ष घोषित करे, साथ ही बजट में ऐसे प्रावधान करे जिससे घरेलू व्यापार को बढ़ावा मिल सके।

विश्व व्यापार के जरिये अमेरिका और यूरोपीय देशों की कोशिश है कि भारत जैसे विकासशील देशों की कृषि लागत बढ़ा दी जाए। किसानों को दी जा रही सब्सिडी समाप्त कर दी जाए और उन्हें आयातित खाद्यान्न पर निर्भर कर अपने कृषि उत्पादों को खपाया जाए। आज देश के तमाम उर्वरक कारखाने बंद पड़े हैं, खाद, बीज, मिट्टी और कीटनाशकों की समुचित जांच परख करने की प्रयोगशालाएं बंद होती जा रही हैं। शोध पर पैसा नहीं लगाया जा रहा है। कृषि तकनीक में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। आयातित तकनीक पर निर्भर होते जा रहे, तालाबों और झीलों का समुचित रखरखाव नहीं कर, इन्हें कुछ लोगों के हाथों में पट्टे पर सौंपकर परम्परागत सिंचाई के साधनों को समाप्त कर रहे हैं, जिससे भूमिगत जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है।

विश्व व्यापार संगठन के दबाव में जहां हमारे जैसे विकासशील, देश कृषि क्षेत्र की

सब्सिडी घटाते जा रहे हैं वहीं अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों ने कृषि सब्सिडी बढ़ा दी है। वे अपने यहां कृषि को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और विकासशील मुल्कों पर दबाव डाल रहे हैं कि उनके कृषि उत्पादों को अपने बाजारों में खपाएं।

आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में खाद्यान्न उत्पाद वर्ष 1999–2000 के 2099 लाख टन से घटकर वर्ष 2004–2005 में 2,064 लाख टन रह गया। ऐसी स्थिति में बढ़ती जनसंख्या, जो वर्ष 2001 में 1 अरख के आंकड़े को पार कर गई थी आगे इसके पेट भरने की समस्या विकराल हो जाएगी। वर्ष 1991 में हमारी जनसंख्या 84.63 करोड़ थी तब प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन चावल की उपलब्धता 221.7 ग्राम, गेहूं की 166.8 ग्राम और दालों की 41.6 ग्राम थी वर्ष 2001 में घटकर यह मात्रा क्रमशः 208.1 ग्राम, 124.1 ग्राम और 26.4 ग्राम रह गई थी। इससे पता चलता है कि दस वर्षों में जहां जनसंख्या में 21.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन चावल की उपलब्धता 6.13 प्रतिशत, गेहूं की उपलब्धता में 25.6 प्रतिशत और गरीबों के लिए प्रोटीन उपलब्धता का सबसे सस्ता साधन दालों की मात्रा में 36.5 प्रतिशत की कमी आई है।

निष्कर्षतः किसानों की दुर्दशा और उसके खेती से दूर होने का सबसे बड़ा कारण उसकी फसल का मूल्य न मिलना, डब्ल्यू0टी0ओ0 में हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय खेती बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कब्जे में जा रही हैं। गेहूं जैसी खाद्यान्न सुरक्षा की फसल को अपने खून और पसीने से पैदा करने वाला किसान आज हताश है सरकार और सरकारी अधिकारियों की गफलत का नतीजा है कि भारत आज गेहूं का आयातक बन गया है जबकि कुछ साल पहले तक वह इसका निर्यातक था।

देश में बिजली और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कृषि की लागत बढ़ रही है। ऐसे में कौन किसान खेती करना चाहेगा? फसल की कीमत न मिलने से वह आत्महत्या कर रहा है। हाई टेक्नालाजी के नाम पर किसानों को धोखा दिया जा रहा है आज जो कृषि नीति वातानुकूलित कमरों में बनाई गई है वह गांव की हकीकत से काफी दूर है। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दलाल, सरकार अफसरशाह और स्वार्थी नेताओं का गठजोड़ हो गया है जिसका खामियाजा हमारे अन्नदाता भुगत रहे हैं पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण योजनाओं को भुला दिया है।

जी0एम0 फसलों के नाम पर कपास की पहली पैदावार दक्षिणी राज्यों से शुरू होकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। सरकार इसे बढ़ावा दे रही है पहली बीटी बैगन की फसल को सरकार इजाजत देने की सोच रही है बीटी के नाम पर किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ठेका खेती की आड़ में भारत के बीज क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कब्जा करना चाहती हैं जब आप बीज की स्वतंत्रता समाप्त कर उसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले कर देंगे, तो देश की खाद्यान्न सुरक्षा कैसे होगी? उत्पादकता के नाम यही धोखा देश के किसानों के साथ किया जा रहा है।

सिंचाई क्षमता व्यापक करने और खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सरकारें कुछ नहीं कर रहीं। जब किसान को सिंचाई की सुविधा मिलेगी तभी फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों की खस्ताहाल स्थिति के लिए किसानों की राजनीति करने वाल भी दोषी हैं। किसान लांबिंग नहीं कर सकता, लिहाजा वह इसका खामियाजा भुगत रहा है। जम्मू–कश्मीर के आर एसपुरा सेक्टर में सबसे अच्छा बासमती पैदा होता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव के

कारण वहां के किसान यह बासमती राज्य से बाहर नहीं बेच पाते।

आज किसानों की आय दिन–प्रतिदिन कम होती जा रही है। सरकार दावा करती है किसानों को कम पर ब्याज ऋण मिल रहा है, लेकिन यह हकीकत नहीं है किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिले इसके लिए जरूरी है कि सरकार बैंकों को इस तरह का दिशा–निर्देश जारी करे। इसके साथ ही परम्परागत कर्ज के श्रोतों पर पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि किसानों को आसानसे आसान शर्तों पर कर्ज मिले।

(iii) <u>कर प्रस्तावों में संशोधन</u> (करदाता के संदर्भ में)–

(1) वस्तुओं के दाम ज्यादा होने की वजह से उपभोक्ता में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती और उद्योग जगत को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के लिए और उपभोक्ताओं को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सरकार को करों का बोझ कम करना चाहिए।

(2) राज्यों के स्तर पर लागू विभिन्न तरह के करों को हटाकर उनकी जगह मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) जिस तरह लागू की गई है वह स्वागत योग्य है। हालांकि कई राज्यों में वैट अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इस कारण जो अपेक्षित लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। लिहाजा ऐसे गम्भीर प्रयास होने चाहिए कि वैट को देश के सभी राज्य सरकार लागू करें।

(3) वैट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सरकार को इसी तरह का प्रयास अब केन्द्रीय स्तर पर भी करना चाहिए। इसके तहत एक राष्ट्रीय वैट व्यवस्था लागू कर कुल कर भार को 20% के स्तर पर सीमित कर देना चाहिए। पर इसके लिए कई उत्पादों पर फिलहाल लागू 8

फीसदी विशिष्ट उत्पाद कर समाप्त करना होगा और साथ ही केन्द्रीय उत्पाद कर को 16 फीसदी से घटाकर दो साल में 12 फीसदी के स्तर पर लाना होगा। इन्हीं कदमों से समूचे देश को एकीकृत बाजार का रूप दिया जा सकता है और उपभोक्ताओं को सीधे फायदा पहुंचाया जा सकता है।

सीमांत लाभ कर (एफ बी टी) के प्रावधानों को भी बेहद सरल बनाए जाने के जरूरत है एफ बी टी के प्रावधानों को सरल बनाने के साथ–साथ उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्यों को एफ बी टी के दायरे से पूरी तरह बाहर कर देने की आवश्यकता है। साथ ही सेवानिवृत्ति की स्थिति में मिलने वाले लाभों पर भी एफ बी टी नहीं लगना चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।

कैट संगठन का आरोप है कि केन्द्र सरकार ने व्यापारियों को मिलने वाले अधिकांश लाभों को समाप्त कर दिया है। लिहाजा कीमत सूचकांक की बढ़ोत्तरी को देखते हुए व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 2 लाख किया जाना चाहिए। साथ ही आयकर की टैरिफ लिस्ट में भी संशोधन करके 2 से 4 लाख तक की आमदनी पर आयकर 10% और इससे ऊपर आमदनी पर 20% कर लगाया जाना चाहिए। साझेदारी फर्मों में भी छूट की सीमा तय होना चाहिए। आयकर कानून की धारा 194 एच, 194 आई, 194 जे, 194 ए व 194 बी में श्रोत पर आयकर में छूट की, सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए। इस संगठन ने यह भी सिफारिश की है कि फ्रिज बेनिफिट टैक्स में संशोधन किया जाए और व्यापारियों के बजाए यह उन कम्पनियों के लिए लागू की जाए, जिनका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ से अधिक है छोटे व्यापारियों को एफ बी टी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

(iv) <u>रेल किराया</u>– रेलवे मार्ग परिवहन का अत्यन्त सक्षम रूप है। उदाहरण के लिए रेल मार्ग पर संचालन हेतु ऊर्जा की खपत 440 जौल्स प्रति केजी के एम है। जबकि ट्रकों के लिए 1836 जौल्स की आवश्यकता होता है। इसके अलावा रेलवे से कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। तथा दुर्घटनाएं भी कम होती हैं।

वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए रेलवे बजटों में किराया और मालभाड़ा ढांचों के टैरिफ पुनर्संतुलन को युक्ति–युक्त बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया गया है। इनमें मालभाड़ा के लिए श्रेणियों की संख्या को 59 से कम करके 27 करना और उच्चतम और न्यूनतम मालभाड़ा की दरों को 8.0 से कम करके 2.8 करना और कतिपय उच्च दर वाली वस्तुओं जैसे–पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा, इस्पात तथा सीमेंट के लिए मालभाड़ा दरों में कटौती करना शामिल है पिछले 4 वर्षों के दौरान मालभाड़ा में कोई समग्र वृद्धि नहीं की गई है।

वर्तमान मालभाड़ा सूची में से 4000 वस्तुओं को पुनः समूहीकृत कर युक्तियुक्त मालभाड़ा सूची में 80 मुख्य वस्तु मदों में बांटकर महत्वपूर्ण सुधार किया गया है।

वर्ष 2003–04 के दौरान, राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए किराये की संरचना का यौक्तीकरण किया गया। जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल किराया सुपरफास्ट/एक्सप्रेस ट्रेनों की तदनुरूपी श्रेणी के किराये की तुलना में पहले बढ़ाए गए 10% किराये की अपेक्षा 5% कम किया गया। गैर व्यस्ततम अवधि के दौरान घटी दरों पर किराये की धारणा को रेलवे में लागू किया गया। प्रायोगिक उपाय के तौर पर 15 जुलाई से 15 सितम्बर, 2003 तक की अवधि के दौरान की गई यात्रा के लिए सभी राजधानी ट्रेनों में

वातानुकूलित प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित 2–टियर के मूल किराये में 10% की कमी कर दी गई। जिसके कारण इस अवधि के दौरान विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों की संख्या और अर्जन में वृद्धि हुई। वर्ष 2003 में यात्रियों की संख्या में 2.7% की वृद्धि हुई वर्ष 2002 की इस अवधि की तुलना में 15% की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय रेल लगभग प्रतिदिन 1 करोड़ 30 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। पिछले कई सालों से रेलवे के यातायात में हर वर्ष 2.5% की वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2002–2003 को यात्री सुविधा वर्ष घोतित किया था। 1 करोड़ 30 लाख यात्रियों में से 1 करोड़ 20 लाख अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करते हैं।

सन्तुष्टि वर्ष के मद्देनजर उच्च वर्ग के भाड़े में जहां आफ सीजन की छूट के सहारे यात्रियों को उच्च वर्ग में यात्रा हेतु प्रोत्साहित किया गया है, वही सामान्य यात्रियों के भाड़े में कई वर्षों से न कोई बढ़ोत्तरी हुई न कटौती।

सारणी -4.5

पेट्रोल में कब कितने दाम बढ़े सारिणी- 4.5

दिनांक	कीमत	वृद्धि
30.09.2000	29.18	3.03 रुपए
04.06.2002	29.42	2.40 रुपए
01.09.2002	29.68	.20 पैसे
16.09.2002	30.18	.50 पैसे
01.10.2002	30.43	.25 पैसे
17.10.2002	30.83	.40 पैसे
16.01.2003	31.07	.40 पैसे
01.03.2003	32.84	1.84 रुपए
16.03.2003	34.23	1.39 रुपए
16.06.2004	36.38	2.10 रुपए
01.08.2004	37.48	1.10 रुपए
21.06.2005	43.16	2.73 रुपए
07.09.2005	46.29	3.15 रुपए
06.06.2006	50.50	4.21 रुपए

श्रोत- समाचार पत्र,

(v) <u>पैट्रो केमिकल्स</u>– केन्द्र सरकारों ने छह साल में अब तक पेट्रोल पर 52% और डीजल पर साढ़े 42% दाम बढ़ाए हैं। केन्द्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर पिछले एक दशक (1997) से अब तक पेट्रोल पर 20 मर्तबा दाम बढ़ा चुकी है। हालांकि उसने 31 बार घटाए भी, लेकिन घटाने का ग्राफ चंद पैसों में रहा। बढ़ोत्तरी में 19 मर्तबा एक रुपए या अधिक की बढ़ोत्तरी की। 1997 से जून 2006 तक में यह वृद्धि सबसे भारी भरकम है इसके पूर्व 7 सितम्बर 2005 को पेट्रोल में 3 रुपए 15 पैसे की वृद्धि करके दर 46 रुपए 29 पैसे की गई थी। तब से यही दर चली आ रही थी नौ माह बाद अब फिर भारी भरकम वृद्धि की है। (सारणी–4.5)।

सारणी के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजलों में वृद्धि के छह घंटे बाद ही रिलायंस कम्पनी ने भी अपने पेट्रोलियम पदार्थों में तत्काल वृद्धि कर दी है। पेट्रोल में 3.97 रुपए, डीजल में 2.04 रुपए बढ़ाए गए हैं। एक माह के अन्दर रिलायंस ने यह दूसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं।

पेट्रोल का दाम 50 रुपए लांघ जाने के बाद भी बिक्री के ग्राफ में कोई खास गिरावट की उम्मीद नहीं है। खासतौर पर दुपहिया वाहनों की रोजाना बढ़ रही तादाद पेट्रोल की बिक्री बदस्तूर बनाए रखेगी। अलबत्ता दाम की बढ़ोत्तरी के बाद कुछ दिन खरीददार सरकार को बुरा–भला कहने से नहीं चूकते।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर व मशहूर अर्थशास्त्री बी0बी0 भट्टाचार्य ने 'अमर उजाला' से बातचीत में यह स्वीकार किया कि पेट्रोल पदार्थों के मूल्य में की गई बढ़ोत्तरी महंगाई को बढ़ाने वाली साबित होगी। भट्टाचार्य ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है इसका असर 'चेन रिएक्शन' की तरह होता है। जैसे– माल ढुलाई की बढ़ी हुई दरें, यात्री किराये में वृद्धि सन् 2000 से अब तक पेट्रोल हुआ 19 रुपए और डीजल 14 रुपए लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के

विरोध में कई संगठनों ने विभिन्न स्थानों में जाम लगाया और पुतला फूंका। अर्थात इसका चौतरफा विरोध हुआ।

रिलायंस ने पेट्रोल में दाम बढ़ाए

सन् 2006	11 मई 06 तक	12 मई से	6 जून तक	वृद्धि
पेट्रोल	46.29 /	49.02 /	52.99 /	3.97 /
डीजल	33.80 /	36.45 /	38.49 /	2.04 /

वर्तमान स्थिति

	पुरानी दर	नई दर	वृद्धि
पेट्रोल	46.29 /	50.50 /	04.21 /
डीजल	33.80 /	35.98 /	02.18 /

सा7रणी– 4.6

मूल्य बढ़ोत्तरी – लकड़ी

वर्ष	मूल्य
2000	100 रु0 / कुन्टल
2001	110 रु0 / कुन्टल
2002	110 रु0 / कुन्टल
2003	120 रु0 / कुन्टल
2004	140 रु0 / कुन्टल
2005	150 रु0 / कुन्टल
2006	200 रु0 / कुन्टल

श्रोत– साक्षात्कार

सारणी- 4.7

कोयला

वर्ष	मूल्य
2000	6 रु0 / कि0ग्रा0
2001	N.A.
2002	6 से 7 रु0 / कि0ग्रा0
2003	8 से 9 रु0 / कि0ग्रा0
2004	8 से 10 रु0 / कि0ग्रा0
2005	10 से 12 रु0 / कि0ग्रा0
2006	13 से 14 रु0 / कि0ग्रा0

श्रोत- साक्षात्कार (दुकानदार)

(vi) ईंधन– विगत 5 वर्षों में लकड़ी, मिट्टी के तेल, कोयला एवं रसोई गैस के मूल्य सारिणी के अनुसार बढ़े हैं।

सारिणियों (4.6, 4.7, 4.8, 4.9) को देखकर ज्ञात होता है कि जनसाधारण की गरीब जनता के द्वारा अधिक और लगभग प्रत्येक वर्ग द्वारा प्रयोग किया जाने वाली, लकड़ी कोयला, मि्टटी का तेल के मूल्यों में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हुई है।

सामाजिक वर्ग के गरीब वर्ग द्वारा अधिकता से प्रयोग किया जाने वाले लकड़ी कोयला, मिट्टी का तेल में प्रतिवर्ष न्यूनतम बढ़ोत्तरी ही हुई है। फिर भी यह वृद्धि महंगाई ग्राफ को ऊंचा कर देती है और गरीब जनता के बजट में कुप्रभाव डालती है। रसोई गैस क मूल्य में भी होने वाली वृद्धि गृहणियों के बजट में कुप्रभाव डालती है और वे अपनी अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं में कटौती करके इसकी पूर्ति को नहीं रोकती है, क्योंकि ये बुनियादी आवश्यकता है।

सारिणी- 4.8

मिट्टी का तेल

वर्ष	मूल्य
1998	3.15 पैसे/ली0
1999	N.A.
2000	6.15 पैसे/ली0
2001	8.30 पैसे/ली0
2002	9.85—9.90 पैसे/ली0
2003	9.90 पैसे/ली0
2004	9.85 पैसे/ली0
2005	9.85 पैसे/ली0
2006	10.30—10.40 पैसे/ली0

श्रोत- साक्षात्कार

सारिणी- 4.9

रसोई गैस

2001	234.49 पैसे/ली0
2002	234.49 पैसे/ली0
2003	255.10 पैसे/ली0
2004	275.50 पैसे/ली0
2005	298.55 पैसे/ली0
2006	298.35 पैसे/ली0

श्रोत- गैस एजेन्सी (साक्षात्कार)

(vii) स्वास्थ्य सेवाएं– स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन स्थिति अभी भी सन्तोषजनक नहीं है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2002 में देश की आम जनसंख्या के बीच अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त किए जाने के बुनियादी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें विकेन्द्रीकृत जनस्वास्थ्य प्रणाली की पहुंच को और अधिक बढ़ाने, लोक स्वास्थ्य निवेश को बढ़ाने और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के समाभि रूप होने पर महत्व दिया गया है। एनसीएमपी ने संचारी रोगों को नियंत्रित करने के कार्यक्रमों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए निवेशों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लोक स्वास्थ्य निवेश को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इसमें स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद की 2–3 प्रतिशत बढ़ी हुई राशि, लोक स्वास्थ्य पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों से बढ़े हुए अंश दान प्राप्त कर खर्च करने पर भी जोर दिया जा रहा है इस दिशा में सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) को चलाया है।

सरकार ने नवम्बर 2004 में संचारी रोगों की निगरानी को मजबूत बनाने और गैर संचारी रोगों के लिये जोखिम कारकों पर निगरानी रखने हेतु एक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चलाया है। 2005–06 में केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र स्कीमों के लिए आयोजना परिव्यय 2908 करोड़ रुपए रखा गया है। आयोजना परिव्यय का लगभग 55 प्रतिशत मलेरिया, तपेदिक कुष्ठरोग, एड्स, अन्धता कैंसर और मानसिक विकृतियों जैसे प्रमुख संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित रोग नियंत्रित कार्यक्रम पर व्यय किया जाएगा।

सारणी (5.0) को देखकर ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं तथा रोग निवारक अभियानों

सारणी– 5.0

स्वास्थ्य देखभाल की प्रवृत्तियां (1951–2004)

	1951	1981	2004	अवधि / श्रोत
एस0सी0 / पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0	725	57853	168986	सित0, 04 /
डिस्पेन्सिरिया और अस्पताल (समग्र)	9206	23555	38031	आर0एच0एस0 जन0, 01–02 सी0बी0एच0आई0
बिस्तर (निजी और सरकार)	117198	569495	914543	जनवरी, 2002 सी0बी0एच0आई0
उपचर्या (कर्मचारी)	18054	143887	836000	(2004)
डाक्टर (आधुनिक पद्धति)	61800	268700	625131	(2004) एम0सी0आई0
मलेरिया (मामले मिलियन में)	75	2.7	1.84	(2004)
कुष्ठ रोग (मामले प्रति 10000 जनसंख्या)	38.1	57.3	1.17	(सितम्बर 2005)
पोलियो (मामलों की संख्या)	29709.0	225	57	(दिसम्बर 2005)

एस0सी0 / पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 :– उपकेन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

आर0एच0एस :– ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े।

सी0बी0एच0आई0 :– केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो।

एम0सी0आई0 :– भारतीय चिकित्सा परिषद।

श्रोत :– आर्थिक समीक्षा

की सफलता से बहुत से भयानक रोगों की पूर्णतः समाप्ति एवं कुछ रोगों से ग्रसित मरीजों की संख्या में बहुत कमी आई है, परन्तु पूर्ण सफलता मिलना अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि अभियानों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के रास्ते में काफी रुकावटें हैं जिन्हें दूर करना होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल (निजी, सरकारी) कर्मचारी आधुनिक पद्धति आदि दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है, परन्तु पर्यावरण के असन्तुलन के कारण नए–नए रोगों का जन्म हुआ है। बहुत से ऐसे भयानक रोग हैं जिन्हें जड़ से मिटाना काफी कठिन कार्य है फिर भी प्रचार, विज्ञापन आदि पद्धति द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा है एवं स्वास्थ्य मंत्रालय इस ओर लगातार प्रयासरत है, परन्तु यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी रोगों से पूर्णतः निजात पाना मुश्किल है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं, आधुनिक पद्धति आदि ने सामाजिक वर्ग के प्रत्येक वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव ही डाला है।

(viii) <u>डाक तार सेवाएं</u>– नकद खर्चों के केवल 76 प्रतिशत को मोटे तौर पर कवर करते हुए डाक प्रणाली में उपभोक्ता प्रभारों सहित डाक सेवाओ में आर्थिक सहायता का तत्व अधिक महत्वपूर्ण है।

कम्प्यूटरों और संचार प्रौद्योगिकी के प्रसार से डाक प्रणाली में गहरे निहितार्थ छिपे है भारतीय डाक सहित पूरे विश्व में फैली डाक प्रणालियां अपनी भूमिकाओं, अपनी महत्वपूर्ण सक्षमताओं को विसित और विस्तारित करते हुए देश और यहां तक कि उन प्रौद्योगिकियों को काम में लाते हुए अपना जाल पूरे देश में फैलाए हैं।

ग्राहकों के निवास से डाक उठाने का कार्य जो पूरे देश में आरम्भ किया जा चुका है जो उसके व्यापक ग्राहक आधार को उपभोक्ता अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली प्रमुख पहल है। प्रत्यक्ष डाक जिसमें संवर्धनात्मक मदों जैसी पता रहित डाक वस्तुएं शामिल होती हैं, जो देश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विज्ञापन की सुविधा प्रदान करने हेतु आरम्भ की गई है। उच्च स्तरीय उपभोक्ता ग्राहकों के लिए पार्सल सेवाओं की विद्यमान श्रृंखला की अनुपूर्ति हेतु 'लोसिस्टिक पोस्ट' सेवाएं आरम्भ की गई है। अन्य बातों के साथ–साथ खुदरा डा सेवाओं में प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र अब प्रचुरता में डाक घरों में उपलब्ध है जिससे जनता को काफी सुविधा होती है।

वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (एसजीएसएस) 2004 विशेष रूप से उच्च स्तरीय अधि प्राप्ति का आश्वासन देने वाली स्कीम ने वर्ष 2004–05 में 8775 करोड़ रुपए जुटाए। भारतीय डाक की वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के भुगतान के नगद (ii) पीओएसबी खातों में भुगतान, (iii) मनी आर्डर से भुगतान के विकल्प ने जनता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

एक नई स्कीम जिसे आईएमओ कहा जाता है जो सीधे ही घरेलू धनराशि को सम्प्रेषित करने की सेवा देती है बाजार के ग्राहकों के लिए अभिप्रेत है। जो दिए गए समय पर धनराशि की डिलीवरी करवाती है चलाई गई है। अभी हाल में एक अन्य स्कीम चलाई है जो गरीब जनता के लिए अच्छी है जिसमें डाक घर बचत बैंक खाताधारक को 15 रुपए प्रतिवर्ष के मामूली से प्रीमियम के भुगतान पर 1 लाख दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर के साथ कवर किया जा सकेगा।

*****

सप्तम् अध्याय

अध्ययन आख्या

उपलब्धियां– निष्कर्ष

सुझाव I - संस्थागत

II - प्रशासनिक

III - राजनैतिक

IV - सामाजिक

* सप्तम अध्याय *

अध्ययन आख्या

उपलब्धियां– निष्कर्ष :– (1) निष्कर्षतः यह कहा जा सकता चाहिए, जो समाज के सभी वर्गों की कसौटी पर कुछ प्रतिशत खरा उतरना चाहिए, महंगाई में वृद्धि की वजह सिर्फ जमाखोरी नहीं है, बल्कि विपरीत मौसम, खाद्यान्नों की कम उपलब्धता और सरकार के फैसलों के कारण भी यह स्थिति उपजी है।

(2) एक ऐसा देश, जिसे विश्व बैंक ने दुनिया का 12वां धनी देश करार दिया है जिसका सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2005 में 35,34915 करोड़ रु0 के आंकड़े को छू गया। उसे अपने बीमार कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास करना होगा 160 अरब डालर विदेशी मुद्रा भण्डार वाले भारत के लिए अपने हर किसान के आंसू पोछना सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए।

(3) जो यंत्रीकरण भारतीय कृषि क्षेत्र में हुआ भी वह मुख्यतः समृद्ध किसानों तक ही सीमित हैं। छोटे किसान जो भारतीय किसान जनसंख्या का मुख्य भाग है। यंत्रीकरण की प्रक्रिया से अछूते ही रहे हैं। यह बात निन्दनीय है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप किसान जनसंख्या में असमानता में वृद्धि हुई है।

कृत्रिम खाद, कीटनाशक और कुछ सुविधाजनक मीनों को 'आधुनिक खेती के लिए आवश्यक 'बताकर किसान की बढ़ी हुई आमदनी हथिया ली गई। खेती की मूल समस्या जमीन से जुड़ी है। किसान गेहूं, चावल, कपास, गन्ना या कोई भी और फसल उगाए वह एक सीमा

से आगे नहीं बढ़ पाएगी। बढ़ती आबादी के साथ भूमि बंटती चली जाती है। खेत जितने छोटे–छोटे जाएंगे, खुदरा खर्च उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। आज यही स्थिति पैदा हो चुकी है। पंजाब में प्रति किसान के पास 3 एकड़ से कम भूमि बच पाई है। इतने छोटे खेतों में किसान कैसी भी फसल उगाए, उस परिवार के मूलभूत खर्च कभी पूरे नहीं हो पाएंगे।

छोटे शहरों, मंडियों तथा कस्बों का आर्थिक आधार खेती पर ही टिका है। यदि किसान की जेब में पैसा नहीं, तो छोटे शहरों में छोटे दुकानदार मंदी का शिकार हो रहे हैं यह स्थिति इतनी गम्भीर हो सकती है कि आने वाले समय में किसान और छोटे दुकानदार (जो कुल आबादी का 80 प्रतिशत से अधिक है) बुरी तरह मंदी के शिकार हो सकते हैं।

महंगाई एक गम्भीर समस्या है इससे कुछ हद तक छुटकारा पाने के लिए मांग और आपूर्ति में सन्तुलन कायम करना चाहिए। इसके प्रयास में मुद्रास्फीति की दर कम होगी। इस प्रयास में हमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान देना होगा। आम आदमी सेंसेक्स, इंडेक्स, इन्फलेशन रेट, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को नहीं जानता, उसे सिर्फ सस्ता और महंगा से मतलब है किसान यही जोड़ता है कि बुआई के समय का बीज कितने रुपए किलो खरीदा था, जबकि फसल तैयार होने में उसकी कीमत कितनी है। ऐसे लोगों को कर्ज देने के बजाए सरकार उनके खेतों को पानी, खाद और बीज सस्ते दर पर समय से उपलब्ध कराएं, और तैयार फसल बेचने में उन्हें बिचौलियों से मुक्ति दिलाएं। देश के 48.6 प्रतिशत किसान ऋणग्रस्त है।

किसान को जो हजारों बरस से खेती कर रहा है, कर्जदार बनने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सरकार इसके कारण और निवारण की जगह सरकारी साहूकार की भूमिका में होती

है जो चुनाव में उन पर ब्याज माफी की कृपा करती है और बीच में वसूली के डंडे चलाती हैं। इस तरह कर्ज की व्यवस्था में उलझकर किसान सरकारी तंत्र का दास होकर रह जाता है। कृषि के संवर्द्धन और किसान के विकास का रिश्ता दूर–दूर तक नजर नहीं आता। तापमान में बदलाव का मनुष्य और पशु–पक्षियों पर असर की बातें हम करते हैं खेती पर मौसम के असर पर वैज्ञानिक शोध करते हैं, पर उसके नतीजे सरकारों की चिन्ता में शामिल नहीं होते। ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी दुनिया चिंतित है, पर उसके दुष्परिणाम किसानों के हिस्से में किस तरह आते हैं, इस पर हर तरफ मौन है। ऋतुओं के असन्तुलन से अनाज की कई किस्में गायब हो चुकी हैं। खेती अगर जुआ है तो दांव पर किसान की जिन्दगी लग रही है।

कोई भी नीति बनाने से पहले यह ध्यान में रखना होगा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और किसान है गांधी और नेहरू को सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अपनी सोच में उतारकर ही 76 फीसदी गांवों वाले इस देश का भला हो सकता है।

(4) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के कहने पर 2004–05 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) गरीबों की आबादी पता करने के लिए देशव्यापी सर्वे कराया था। चहुमुखी विकास के शोर के बीच इस सर्वे के नतीजे आंख खोल देने वाले हैं। इसमें पाया गया है कि गरीबों की आबादी 26 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी तक जा पहुंची है। इसमें से भी पांच फीसदी आबादी यानी लगभग साढ़े पांच करोड़ लोग बुरी तरह से भुखमरी के शिकार हैं। ये लोग दो जून की रोटी के बगैर भी सोने को विवश हैं। दूसरी तरफ कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों में दावा किया गया है कि किसी भी राज्य में पिछले कुछ वर्षों

के दौरान भुखमरी से मौत का कोई मामला नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि खाद्य मंत्रालय द्वारा निर्धनतम गरीबों के लिए शुरू की गई अन्त्योदय योजना के तहत अभी तक सिर्फ ढाई करोड़ परिवार ही कवर हो पाए हैं। इसके तहत 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 1991–92 में देश में गरीबों की संख्या 33 फीसदी थी, लेकिन 1995–99 के सर्वेक्षण में इसके घटकर 26 फीसदी होने का दावा किया गया था, लेकिन अब इसमें पुनः 2 फीसदी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। निष्कर्षतः लगभग सवा दो करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चल गए हैं।

भारत में लगभग 16 करोड़ (42.40 प्रतिशत) बच्चे उचित पोषण की कमी के शिकार हैं और 37 प्रतिशत सामान्य से कम स्तर पर बड़े होते हैं। स्पष्टतः इनके स्वास्थ्य तथा पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा क्रियान्वयन में जन सहयोग लेने के बाद ही अधिकतर योजनाओं के उचित परिणाम सामने आ सकेंगे।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 फीसदी ग्रामीण ऐसे हैं, जिनका मासिक उपभोक्ता व्यय 235 रुपए से भी कम है। यानी आज के बाजार भाव से दस रुपए में एक व्यक्ति महज 500 ग्राम आटा खरीद सकता है। पांच फीसदी शहरी ऐसे हैं, जिनका प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 335 रुपए है यानी खान–पान पर ये शहरी गरीब लोग प्रति व्यक्ति महज 13 रुपए खर्च कर पाते हैं। उपरोक्त आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

फरवरी, 2007 में मुद्रास्फीति की दर घटकर 6.05 प्रतिशत पर आ गई मार्च के आरम्भ

में यह 6.63 प्रतिशत थी। इस दौरान उपभोक्ता वस्तुएं खासकर सब्जियों, फलों, दालों, चीनी खाद्य तेलों और अंडों के दामों में गिरावट आई है। वहीं सीमेंट और कागज के दामों में वृद्धि हुई है।

सरकार ने महंगाई रोकने के लिए 15 फरवरी 2007 को पेट्रोल के दाम में 2 रुपए और डीजल के दाम में 1 रुपए लीटर की कमी की है। इसके अलावा आलू समेत कई खाद्य उत्पादों के वायदा कारोबार पर मार्जिन मनी प्रतिशत को बढ़ा दिया गया ताकि वायदा कारोबार घट सके और इन उत्पादों की जमाखोरी कम हो।

2006–07 के आर्थिक सर्वेक्षण से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि वर्तमान मुद्रास्फीति का सीधा सम्बन्ध देश में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर बना रहने से है। अर्थात देश अपनी विकास दरको ऊंचा उठाने में कामयाब रहा है जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता (अर्थात जनता के हाथों में धन) में बढ़ोत्तरी की तुलना में वस्तुओं की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इसलिए मांग और आपूर्ति के इस अन्तर के चलते कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं किसानों की आत्महत्याओं तथा बढ़ती बेरोजगारी की समस्याओं के साथ जनता की बढ़ती खुशहाली में इस तरह के दावों का कोई मेल नहीं है। सच तो यह है कि मुद्रास्फीति में मौजूदा बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण अर्थ व्यवस्था में तरलता का बढ़ना नहीं, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अंधाधुंध बढ़ोत्तरी का नतीजा है। यह इसलिए भी हो रहा है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के मामले में वायदा कारोबार पर रोक नहीं लगा रही है। इस नीति ने आवश्यक वस्तुओं के बाजार में सट्टा बाजार की पैठ कराई है। गौरतलब है कि पिछले 3 वर्षों में वायदा बाजार में जिंसों के कारोबार के कुल मूल्य में 600 प्रतिशत से ऊपर की बढ़त हुई है। इससे दो बेहद नुकसानदेह

प्रक्रियाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। एक, किसानों को अपनी पैदावार के बढ़े हुए बाजार भाव से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि निजी व्यापारी उनके उत्पाद की अग्रिम खरीददारी कर चुके होते हैं। अर्थात किसानों को अपनी पैदावार की वास्तव में बहुत कम कीमत मिलती है। दूसरे, व्यापारी अपना स्टॉक बाजार में तभी उतारते हैं जब इसके कारण उत्पन्न कृत्रिम कमी के चलते उनके सामनों की कीमतें ऊपर चढ़ जाती है। अतः स्पष्टतः है कि जब तक आवश्यक वस्तुओं के वायदा कारोबार को रोका नही जाता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उचित दरों पर वस्तुओं का वितरण नहीं बढ़ाया जाता, तब तक कीमतों में बढ़ोत्तरी के तले पिस रही आम जनता को राहत नहीं मिल सकती है।

हमें अपनी आर्थिक नीतियों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह समीक्षा खासतौर पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत जनता से किए गए वायदों के मद्देनजर की जानी चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के छह बुनियादी सिद्धान्तों में से चार जनता की रोजी–रोटी तथा उसके कल्याण की व्यवस्थाआं में बेहतरी लाने के विभिन्न पहलुओं से जुड़े होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में न्यूनतम साझा कार्यक्रम से जुड़े दो मुद्दों को रेखांकित किया गया है। समावेशी तरीके से ऊंची वृद्धि दर सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति की दर बढ़ाए बिना इस दर को टिकाए रखना। इसके अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्चों में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी करने और रोजगार में तीव्र बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने के वायदे किए गए हैं, पर आर्थिक सर्वेक्षण इन पहलुओं के सम्बन्ध में बताता है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र पर किए जाने वाला कुल खर्च जहां 2001–02 में 28.26 प्रतिशत था, गौरतलब है कि हाल के वर्षों में,

खासतौर पर सामाजिक क्षेत्र में देखने में आया कि वास्तविक खर्च बजट अनुमान से काफी नीचे रह जाते हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया गया था कि स्वास्थ्य पर खर्च जो इससे पहले तक सकल घरेलू उत्पाद का 1.26 प्रतिशत या बढ़ाकर जी0डी0पी0 के तीन फीसदी तक ले जाया जाएगा। पर 2006–07 तक यह लगभग 1.39 प्रतिशत से ऊपर नहीं जा पाया है।

रही, बात रोजगार की तो इस क्षेत्र में हालात और भी निराशाजनक बने हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1994 से 2004 के बीच संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर में .38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। इन दस वर्षों में देश में नए रोजगार पैदा होने के बजाय पहले से उपलब्ध रोजगारों का भी एक हिस्सा खत्म हो रहा है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ताजातरीन 61वें चक्र के जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं वे यही दिखाते हैं कि शहर तथा गांव, दोनों में ही स्त्री तथा पुरुष, दोनों के लिए अधिकांश श्रेणियों में बेरोजगारी की दरें बढ़ी हैं महिलाओं के मामले में बेरोजगारी में बढ़ोत्तमरी की दर और भी ज्यादा रही है।

यह परम आवश्यक है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए वायदे ईमानदारी से पूरे हों, तथा हमें अपनी नीतियों की दिशा में ऐसे जरूरी सुधार करना चाहिए, जिनकी मदद से जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके व उसके कल्याण की व्यवस्थाओं को उन्नत बनाया जा सके।

5. आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को सर्वव्यापक बनाया जाए, प्रोग्रामों की गुणवत्ता और क्षेत्र विस्तार को उन्नत करना होगा, ताकि देश राष्ट्रीय नीति में सुनिश्चित परिणाम एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों (स्वास्थ्य, कर सम्बन्धी, विकास आदि) को शीघ्र प्राप्त कर सके। .... यह भी

प्रत्याशित है कि त्वरित आर्थिक विकास, रोजगार जनन में सुधार, सकल देशीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के फलस्वरूप देश और व्यक्ति दोनों का समग्र विकास सम्भव होगा।

फिर भी– सच्चाई तो यही है कि समाज की तकदीर इफरात घोषणाओं से नहीं ईमानदार अमल से ही बदलेगी।

वस्तुतः हमारे विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी सोच तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण का कम होना है। इसी कारा अपार सम्भावनाओं के हाते हुए भी हम हर वर्ष को खोते जा रहे हैं।

भारत के कुछ प्रदेश के राज्यों के साथ संकट यह है कि बचत तथा कर के माध्यम से धन सर्वाधिक निवेश के लिए इन राज्यों से आता है, किन्तु निवेश अन्यत्र जाकर होता है इसका कारण बिजली सड़क रेल का अभाव है। इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

6. पिछले तीन बजटों से यात्री किराये में वृद्धि नहीं हुई, इसके कारण महंगाई से जूझ रहे लोगों को रेल बजट से काफी राहत मिली है। परन्तु दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे यात्री भाड़े पर दी जा रही सब्सिडी 8000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। महंगाई बढ़ रही है, ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए कुछ महंगाई तो बढ़ेगी, यह लोगों को स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान समय में रेलवे के लिए यात्री सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए।

सुझाव– संस्थागत– (1) फिक्की के अध्यक्ष सरोज पोद्दार के मुताबिक आर्थिक सर्वेक्षण में इंफ्रास्टक्चर क्षेत्र के रास्ते की बाधाओं को दूर करने के साथ ही कर सुधारों पर जोर देने से देश की औद्योगिक प्रगति व आर्थिक विकास में जबर्दस्त मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि व्यापक कर सुधारों से घरेलू उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेंगे। इस वजह से देश में कर ढांचे को आसियान देशों की तर्ज पर ढालने की जरूरत है। विकास के रास्ते की मुख्य बाधा ऊर्जा की कमी को बताए जाने को सही ठहराते हुए पोद्दार ने कहा कि बिजली की उपलब्धता मांग के मुकाबले 12% कम रहने से अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुप का नुकसान होगा।

(2) एसोचैम के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के मुताबिक आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 माह में अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद सरकार को मुद्रास्फीति की दर पांच फीसदी से कम के स्तर पर रखने पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही ब्याज दरों को आठ फीसदी के स्तर पर बनाए रखने पर भी जोर देना होगा। निवेश को मौजूदा 31 फीसदी से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) के 35 फीसदी पर ले जाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा 3 साल के अन्तराल के बाद सामने आए चालू खाता घाटा को भी आने वाले समय में समाप्त करने पर ध्यान देने की जरूरत है।

(3) पी0एच0डी0 की अध्यक्ष सुषमा बरलिया के अनुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिए अब 10% आर्थिक विकास दर का लक्ष्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही सरकारी को एफ0डी0आई0 की सीमा बढ़ाने श्रम सुधारों को लागू करने और लघु उद्योगों के हित के लिए जरूरी नीतियां बनानी होगी।

(4) मद्रास स्कूल आफ इकोनामिक्स के निदेशक डी0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि जी0डी0पी0 की विकास दर नौ फीसदी रहने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि मध्यम काल में नीतियों में संशोधन के लिए यह उचित मौका है।

(5) अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि मुद्रास्फीति के करीब 5 फीसदी होने के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान जी0डी0पी0 में 9 फीसदी की विकास दर हासिल की जा सकती है। रिसर्ज एण्ड इनफारमेशन सिस्टम्स फार डेवलपिंग कंट्रीज (आर0आई0एस0) के

महानिदेशक नागेश कुमार ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

II प्रशासनिक :–

(1) सरकार को लघु उद्योगों को बचाने के लिए हर सम्भव कदम उठाने चाहिए, लेकिन इसके W.T.O. के सामने झुकने के बजाए आयात पर प्रतिबन्ध जैसे कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

(2) वित्तमंत्री को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी संस्थान अपने कोटे का पूरा सामान लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों से ले। मौजूदा समय में कुल सरकारी खरीद का मात्र 15 फीसदी ही लघु उद्योग क्षेत्र से लेने का प्रावधान है। इस सीमा को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

(3) नई दिल्ली देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने शनिवार को वित्त मंत्री पी० चिदम्बरम से कहा कि उन्हें अगले साल के बजट में नीतियों में कुछ संशोधन की घोषणा करनी चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने बुनियादी और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है।

(4) अर्थशास्त्रियों ने बजट पूर्व बैठक में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार को कृषि सब्सिडी को तार्किक बनाने और 2009–10 तक वस्तु और सेवाकर लागू करने के अलावा कृषि और अनुसंधान एवं विकास के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाना चाहिए।

III राजनैतिक– (1) आर्थिक समीक्षा 2005–06 में आर्थिक विकास दर 8 से ज्यादा रहने के अनुमान पर उद्योग जगत ने प्रसन्नता जताई है। उद्योग जगत का कहना है कि उचित नीतिगत उपायों से इस दर को बढ़ाकर नौ फीसदी तक ले जाया जा सकता है। हालांकि उद्योग

जगत ने साथ ही यह भी कहा है कि ऊंची विकास दर को बनाए रखने के लिए सरकार को आर्थिक सुधारों को लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही उद्योग जगत ने सरकार से कृषि और मैन्युफैक्चिरिंग क्षेत्र के तेज विकास पर ध्यान देने का भी आग्रह किया है।

(2) अगर वामदलों द्वारा सुझाए गए उपायों पर अमल हो तो कच्चे तेल की कीमत पर होने वाली हरेक बढ़ोत्तरी पर पेट्रोल उत्पादों की कीमत बढ़ाने का मौका ही न आए। इस पर देरसबेर अमल करना ही पड़ेगा। यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में कच्चे तेल के दाम सौ डालर प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। वैसी स्थिति में हमारी सरकार क्या करेगी? क्या पेट्रो उत्पादों की कीमत इस हद तक बढ़ा देगी, कि पूरी अर्थ व्यवस्था हीर लड़खड़ा जाए।

सरकार को इस मुद्दे पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से केवल परिवहन महंगा नहीं होता, रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं महंगी हो जाती हैं चाहे अनाज हो, फल और सब्जियां हों, दूध हो, जीवन रक्षक दवाएं हों। सब सड़कें या रेल परिवहन के जरिये हम तक पहुंचते हैं। तेल महंगा होगा तो ढुलाई महंगी होगी, नतीजतन आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। इससे आम आदमी को परेशानियां होंगी। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है उस अनुपात में लोगों की आय नहीं बढ़ती। लिहाजा मूल्यवृद्धि होने पर आम लोगों को अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है। यह स्थिति आम आदमी के लिएतो ठीक नहीं ही है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ठीक नहीं है। महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो आर्थिक विकास दर ऊंची नहीं हो पाएगी। हालांकि शेयर बाजार बीते दिनों ऊंचाई पर पहुंच चुका था और अब उसमें गिरावट देखी जा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था

की बेहतरी का मानक नहीं होता, अर्थव्यवस्था की मजबूती इससे तय होती है कि इसमें किसान कितना खुशहाल है, बेरोजगारी कितनी कम हुई है। मुद्रास्फीति कितनी नियंत्रण में है। महंगाई पर अंकुश लगाने के बारे में अब सरकार को सचमुच गम्भीरता से सोचना चाहिए।

IV सामाजिक– (1) खाद्यान्न संकट से निबटने के लिए परम्परागत खाद, बीज और रसायनों को अपने हाट–बाजारों पर अधिकार बनाए रखने की, जनसंख्या को नियंत्रित करने की तथा वर्षा जल को तालाबों, झीलों में इकट्‌ठा कर, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की, साथ ही अपनी उपजाऊ जमीन को शहरीकरण से बचाए रखने की आवश्यकता है।

(2) ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं और इस कार्यक्रम की निगरानी करने वाली प्रमुख एजेन्सियों की भूमिका प्रभावी बनानी होगी।

(3) इसके अलावा श्रम आधारित निर्यात को विशेष रूप से बढ़ावा देने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

*****

* साक्षात्कार अनुसूची *

* सामान्य *

1. नाम ....

2. वर्तमान पता : ....

3. आयु : ....

4. व्यवसाय : ....

5. शैक्षिक योग्यता : ....

6. जाति व धर्म : ....

6. वर्तमान आय (रुपये में) : ....

7. पारिवारिक सदस्यों की संख्या : ....

1. आप किस वर्ग से सम्बधित हैं ?

   (i) प्रबुद्ध वर्ग (ii) शिक्षक वर्ग (iii) अधिकारी वर्ग

   (iv) किसान वर्ग (v) मजदूर वर्ग (vi) अन्य वर्ग

2. आप बजट के बारे में जानते हैं ?

   (i) हां (ii) नहीं

3. बजट वर्ष के किस माह में पेश किया जाता है ?

4. बजट से आप किस प्रकार सम्बन्धित हैं ?

5. आपको बजट आने का इन्तजार रहता है ?

6. आप की लगभग कितनी आय है ?

(i) 2000—4000 (ii) 4000—8000 (iii) 8000—12000

(iv) 12000—16000 (v) 16000—20000 (vi) 20000—25000

7. निम्नलिखित सामान्य उपभोग की वस्तुओं में जिन पर आप मासिक व्यय करते हैं, सही का निशान लगायें ?

गेंहूँ अण्डा फल मक्खन, मेवे, चाय, काफी, मांस, मछली, दाल, चावल, सब्जी, मसाले, ईंधन,

8. बजट के आने पर उपरोक्त वस्तुओं के महंगी होने पर अपने व्यय को किस प्राकर समायोजित करते हैं?

(i) उपरोक्त चीजों में कटौती करके

(ii) इनकी मात्रा कम करके

(iii) अन्य खर्चों में कटौती करके इनकी पूर्ति करते हैं।

(iv) अपनी आय बढ़ाकर

9. मकान किराया, आन्तरिक साज सज्जा परिधान में मासिक कुल व्यय—

10. बजट आने पर उपभोग वस्तुओं के महंगी होने पर इन पर व्यय किस प्रकार करते हैं ?

(i) आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति रोककर।

(ii) इन पर व्यय नहीं करते।

(iii) अपनी सुविधानुसार किस्तों में

(iv) अन्य

11. क्या बजट आने के पूर्व, वस्तुओं के महंगी होने के भय से अधिक खरीददारी करते है ?

    (i) हाँ (ii) नहीं

12. क्या पिछले 5 वर्षों के बजट से आप सन्तुष्ट हैं ?

    (i) हाँ (i) नहीं

    हाँ तो क्यों –

    नहीं तो क्यों –

13. मुद्रास्फीति के बारे में आप क्या जानते हैं ?

    (i) हाँ (ii) नहीं

14. बढ़ती हुई महंगाई के लिये आप किसे जिम्मेदार मानते हैं ?

    (i) सरकारी रणनीतियाँ (ii) मौजूदा हालात

    (iii) प्राकृतिक दशायें और आपदायें (iv) अन्य कोई कारण (v) उपरोक्त सभी

15. जिस दर से महंगाई बढ़ी है और बढ़ रही है। क्या उसी दर से आपकी आय भी बढ़ी है ?

    (i) हाँ (ii) नहीं

16. कुदरत की मार और सरकार की टेढ़ी नजर किसानों को भारी पड़ रही है ?

    (i) सहमत है। (ii) असहति है।

17. महंगाई नियन्त्रण कैसे सम्भव है– सुझाव ?

    (i) गैर योजना व्यय कम करके।

    (ii) सरकारी व्यय रोक कर।

    (iii) बिचौलियों, जमाखोरों पर लगाम कस कर।

    (iv) और अन्य

18. आम बजट किस प्रकार का होना चाहिए ?

19. कर ढांचे की विसंगतियां, जन मानस पर क्या प्रभाव डालती है ?

20. गत बजट में वेतन भोगी लोगों को दिया जाने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन समाप्त कर दिया गया था। क्या उसे पुनः जारी करना चाहिये?

(i) हाँ (जारी करना चाहिये) (ii) नहीं (जारी नहीं करना है)

21. अपने देश में उपभोक्ताओं पर परोक्ष करों का कुल भार लगभग अंतिम मूल्य का 35 प्रतिशत तक आता है। बजट में क्या इसे कम करना चाहिए ?

(i) हाँ (ii) नहीं

* अध्ययन सन्दर्भ *

I- पुस्तकें

II- रिपोर्ट्स

III- पत्र पत्रिकायें

I- पुस्तकें

Writer's Name	Book's Name
(1) Adarkar, B.P.	Indian Fiscal Policy
(2) Agrawal, S.N. &Mehta J.L.	Public Finance, Theory and Practice
(3) Bhagwat, Jagdish	The Economics of under Developed Countries
(4) Bastable, C.F.	Public Finance
(5) Chelliah Raja	Fiscal Policy in Under Developed Countries
(6) Dalton	Principles of Public Finance
(7) Dhar & Lydall	The Role of Small Enterprises in Indian Economics Development
(8) Gadgil D.R.	The Industrial Evolution of India
(9) Hicks U.K.	Public Finance
(10) Kurihara	Monetary Theory & Public Policy
(11) Kealya, B.K.	Final Dunket Act- New Patent Regime
(12) Lutz, H.L.	Public Finance
(13) Lewis, W.A.	The Theory of Economics Growth
(14) Nukse, R.	Problems of Capital Formation in Under Developed Countries
(15) Prof. Prest	Public Finance
(16) Plehn	Public Finance
(17) Raj K.N.	Employment Aspects of Planning in Under Developed Countries
(18) Raj K.N.	New Economic Policy
(19) Ramananathan V.V.	The Structure of Public Enter Prises in India
(20) Seligman	Essays in Taxation
(21) Singh, Charan	India's Economic Policy
(22) Shirras Findlay	The Science of Public Finance
(23) Venketasubbias, H.	Indian Economy Since Independence

II- रिपोर्ट्स

(1) C.S.O. की रिपोर्ट्स (बजट सम्बन्धी)

(2) World Development Reports

(3) Planning Commission की Five Year Plan Reports (2000-2005)

(4) Planning Commission - Approach Paper of The Tenth Five Year Plan.

(5) Humaman Development Report (2000-2005)

(6) National Accounts Statistics (2000-2005)

(7) Govt. of India Economics Survey (2000-2005)

(8) R.B.I.- Report an currency and Finance (2000-2005)

(9) R.B.I.- Report an Money and Finance (2000-2005)

(10) Economics Survey Report (2000-2005)

(11) Taxtion Enquiry Commission Report

(12) वित्त मंत्रालय बजट का सार (2000-2005)

(13) वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट (2000-2005)

III- पत्र पत्रिकायें

(1) Economics And Political Weekly

(2) Hindustan Times

(3) The Economics Times

(4) New Bharat Times

(5) Financial Express

(6) R.B.I. Bulletion

(7) Money Currency & Finance
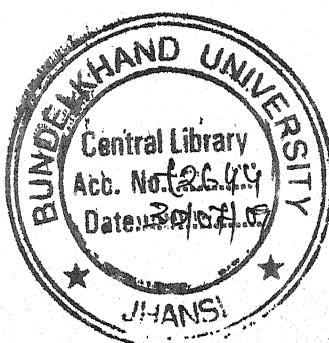
V.S. Chauhan

-: निदेशक :-

डॉ॰ विजय सिंह चौहान

पं॰ जे॰ एन॰ कॉलेज, बाँदा

[अर्थशास्त्र विभाग]

प्रतिमा गुप्ता

शोधार्थिनी

श्रीमती प्रतिमा गुप्ता